हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 मार्च, 1984

खंड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 21 मार्च, 1984

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एव उतर	(8)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(8)29

विभिन्न विशयों का उठाया जाना–	(8)32
वक्तव्य	
मुख्य मंत्री द्वारा उपयुक्त मामले सम्बन्धी	(8)34
सदन की मेज पर रखें गए कागज पत्र	(8)39
सरकारी संकल्प–	
एस्टैट डियूटी एक्ट, 1953 में अमैडमैंअ सम्बन्धी वर्श 1983–84 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस (दूसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान।	(8)40
(i) राज्य के राज्सवों पर प्रभारित अनुमानो पर चर्चा	(8)47
(ii) अनुपूरक अनुदानों की मागों पर चर्चा तथा मतदान	(8)47
22.03.1984 को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के स्थान पर सरकारी कार्य करने का निर्णय	(8)62
वर्श 1983–84 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस (दूसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(8)63
वर्श 1978–79, 1979–80 और 1980–81 की एक्सैस डिमाण्डज ओवर ग्रांटस एंड एप्रोप्रिए ांज पर चर्चा तथा मतदान।	(8)77

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 21 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ. में 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तांराकित प्र न एवं उतर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होगें।

Sugar Mill at Jind

***711. Chaudhri Kundan Lal:** Will the Minister for Cooperation be pleased to State—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a sugar mill at Jind;

(b) if so, the estimated cost thereof and the time by which it sis likely to start production to full capacity thereof; and

(c) the annual income likely to accrue to the Sate Exchequer?

सहकारिता तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह):

(क तथा ख) जींद में एक चीनी मिल लगाई जा रही हैं। निमार्ण कार्य प्रगति पर हैं। इस परियोजना पर 10 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमार हैं। इसमे उत्पादन अक्तुबर, 1984 को भाुरू होने वाले अगले क्रि ाग सीजन से भाुरू हो जायेगा।

(ग) इस स्टेट पर कोई अनुमान नही दिया जा सकता।

चौधरी कुन्दन लाल: क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि वहां पर स्वर्ण जाति, हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के कितने–कितने आदमी लगाये गये हैं? क्या सरकार वहा पर डिसटिलरी लगाने का भी विचार रखती हैं?

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: डिसटिलरी लगाने का हमारा अभी कोई विचार नही हैं। जहां तक मुलाजिमों का ताल्लुक हैं, इस में कुल 56 मुलाजिम लगें हैं। जिन मे से 9 आदमी डेली बेसिज पर लगे हैं, 27 आदमियों को थ्रु एम्पलायमैंट एक्सचेंजिज व विज्ञापन द्वारा लगाया गया औरप 20 आदमी एडहाकं बेसिज पर लगे हैं। इन में बैकवर्ड क्लासिज का एक और ि ाडयूल्ड कास्ट्स के तीन आदमी हैं।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक:क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि जो आदमी रोजगार पर लगाये हैं, इन में उचाना के कितने आदमी हैं? इस मिल के लिए जो म ाीनरी खरीदी गई

हैं वह कितने रूपये की खरीदी हैं? म ाीनरी परचेज करने के लिए क्या कोई परचेज कमेटी बनाई हैं, अगर बनाई हैं तो किन किन आदमियों की बनाई हैं? इसके अलावा स्पीकर साहब, इन्होने मिल का फांउडे ान स्टोन रखने के लिए श्री राजीव गांधी को बुलाया था लेकिन वे नही आ सके। क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि उस अरेजमैंट के कारण सरकार का कितना रूपया खर्च हुआ हैं?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस मिल की कमि ानिंग के लिए कम से कम 10 करोड़ रूपया खर्च आयेगा। जिसमें 440 लाख रूपये की म ाीनरी परचेज करने के आर्डर्ज हैं। म ाीनरी खरीदने के लिए स्टेट भूागर मिल्ज फैडरे ान लेवल पर हाई पावर्ड कमेटी ने टैंडर्ज इन्वाईट किये हैं। इस कमेटी ने टैकएमैंकां नाम की फर्म को 440 लाख रूपये का कंट्रैक्ट दिया हे। इसके अलावा इन्होने दूसरा सवाल पूछा हैं कि उचाना हल्के के कितने आदमी लगे हैं। अध्यक्ष महोदय, एम्पलाईज का सिलैक ान कांस्टीच्यूंसी वाईज नही होता। बाकी जो ब्रेक–अप इन्होने पूछी थी वह मैंने बता दी हैं।

श्री फतेह चन्द विजः क्या मंत्री महोदय के पास कोई कम्पलैंट आई हैं कि कंसट्रक ान का काम करते समय इस मिल का बिल्डिंग मैटीरियल किसी और जगह भी इस्तेमाल किया हैं?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः मेरे पास ऐसी कोई कम्पलैंट नही आई।

श्रीमती चन्द्रावतीः क्या मंत्री महोदय, बतायेगें कि किसी जगह भूगर का कारखाना लगातें समय किन किन बातो को ध्यान रखा जाता हैं?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, भूगर मिल लगाने से पहले उस इलाके के लोगों की इच्छा का ध्यान रखा जाता हें। दूसरे, यह ध्यान रखना पड़ता हैं कि उस इलाकें में गन्ने की अवेलेबिलिटी है या नही। एक मिल का चलाने के लिए उस एरिया मे तकरीबन 19 लाख क्विंटल गन्ना क्रि ांग सीजन में आना चाहिए, तभी मिल कामयाब हो सकती हैं।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फरमाया कि यह मिल अक्तुबर 1984 में गन्ना पेलना भुरू कर देगी लेकिन दूसरी तरफ आपने फरमाया कि राज्य के खजाने को होने वाल आमदनी का एस्टीमेट नही लगाया जा सकता हैं कि कितना मुनाफा होगा, कितना उत्पादन होगा। इसके अलावा आपने कहां कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई हैं। क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि उस कमेटी के भद्र पुरूशों क्या क्या नाम हैं? दूसरी बात आपने फरमाई थी कि श्री राजीव गांधी ने वहां पर त ारीफ लानी थी यानी आल इंडिया कांग्रेस सैक्रेटरी ने मिल का ि ालान्यास करना था, लेकिन वे किसी वजह से नही आ सके। क्या मंत्री महोदया बतायेगें कि उस संबंध में की गई तैयारी पर कितना रूपया खर्च हुआ हैं?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जहां तक मिल में मुनाफे की बात हैं, अगर एक मिल सीजन मे 19 लाख क्विंटल भूगर मिलती हैं। इस हिसाब से 1 लाख 90 हजार बोरी भुगर की बनती हैं। मुनाफा या नुकसान उस समय की प्राईस आफ भूगर पर डिपैंड करता हैं, इस वक्त कुछ नही कहा जा सकता। डा. मंगल सैन और श्री कुलबीर सिंह जी ने पूछा था कि श्री राजीव गांधी ने ि ालान्यास रखना था। यह बात सही हैं कि उन्होने ि ालान्यास रखने के लिए आना था लेकिन नही आ सके। उनके आने से एक दिन पहले बडी़ जबरदस्त बारि ा हुई थी और जिस दिन आना था उस दिन भी बारि ा होती रही, इस वजह से उनको रूकना पड़ा था। बारि ा की वजह से रोहतक में फ्लड की स्थिती पैदा हो गई थ, सड़के बन्द हो गई थी, इसलिए हमने उनसे रिक्वैस्ट की थी वे अपना प्रोग्राम कैंसल कर दे। अध्यक्ष महोदय, सदन को जानकर खु ाी होगी कि तीन भूगर मिलें हैं जिनका तकरीबन छः छः करोड़ रूपया आई.एफ.सी.आई. और दूसरे फाईनैंि ायल इन्स्टीच्यू ान से लेना था। यह 18 करोड़ रूपया गवर्नमैंट आफ इंडिया की मदद से और उनके गुड आफिसिज की वजह से मिला हैं। सारे इंडियां मे पहली तीन मिलों को फाईनैंि ायल इन्स्टीच्यू ान से पैसा मिल सका हैं और ये तीनो मिलें हरियाणा प्रदे ा में है। जहां तक श्री राजीव गांधी के आने की तैंयारी का ताल्लूक हैं, इस पर कोई खास चर्चा नही किया गया। उस दिन पंचायतों का राज्य सम्मेलन भी हमने बुलाया था। भूगर मिल का फाउडे ान स्टोन ले करने पर जो खर्चा आया हैं,

उसका हिसाब किताब मैं क्या बता सकता हूं। जो पैसा टैंटो और दरियों पर खर्च हुआ हैं, उसकी डिटेल मेरे पास नही हैं। जहां तक हाई पावर्ड कमेटी के सदस्यों का ताल्लूक हैं, इस कमेटी ने म ाीनरी खरीदने के लिए मांगे गये टैंडर्ज को स्क्रूटेनाईज किया था। कमेटी के मैम्बर फाईनैि ायल कमि नर, मैनेजिंग डायरैक्टर आफ भूगर मिल्ज फैड्रे ान, भूगर मिल के मैनेजिंग डायरैक्टर तथा इंडस्ट्री डिपार्टमैंट के कुछ आदमी हैं।

श्री भले रामः क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि जींद के अलावा दूसरी किन किन जगहों पर भूगर मिल लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने भारत सरकार को रिकमैंडे ान भेजी हैं और उसकी लेटैस्ट पोजी ान क्या हैं?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, तीन भूगर मिलों की मंजूरी के बारे लैटर आफ इन्टैंट के लिए भारत सरकार को लिखा हैं। इन में श्री भले राम जी का इलाका गोहाना, कैथल और भूना ये तीन जगहें हैं। लैटैस्ट पोजी ान यह हैं कि भूना के लिए 03.02.1983 को लैटर आफ इन्टैंट लेने के लिए एप्लीके ान मूव की, कैथल के लिए 19.05.1983 को ओर गोहाना के लिए 07.03. 1983 को एप्लीके ान मूव की गई।

चौधरी धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस मिल के एरिया आफ आप्रे ान मे कौन

कौन से गांव आते है और कहा बहादूरगढ में भी भूगर मिल लगाने का सरकार का कोई विचार हैं?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, भााहबाद और पलवल में जो एरिया आफ आप्रे ान है वह 16 किलोमीटर हैं जहां हम किसानो को अच्छा सीड और दूसरी सहूलियतें, जैसे फर्टिलाइजर पर सबसीडी वगैरह दे रहे हैं। जींछ के लिए 24 किलोमीटर एरिया आफ आप्रे ान हैं लेकिन इसमे कुछ गांव और भी भामिल किए हैं। इसी तरह से भााहबाद के अन्दर लगल कांस्टीच्यूंएसी के पंजाब बोर्डर के साथ लगते हुए गांव भी भामिल किए गए हैं। बहादूरगढ में भूगर मिल लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही हैं।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेगें की जो 56 एम्पलाईज लगाए है इनमें से डेलीवेसिज पर कब से लगें है, ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेजिंज वालों के नाम कब आए, कुछेक को ऐडहौक बेसिज पर लगाने की आव यकता क्यों पड़ी ओर इनमे हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज लेाग कम क्यों हें।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इनमे कुछ एम्पलाइज ऐसे है जो ऐडहौक बेसिज पर या डेली बेसिज पर हैं। इनकी संख्या 29 हैं। बाकी जो ऐम्पलाइज है उनकी नेचर आफ जौब टैक्निकल हैं। इंजीनियर्ज और दूसरे टैक्नीकल आदमी हमें पोस्टस एडज्ञवर्टाइज करके लेने पड़े। इस मिल मे 700 एम्पलाइह

लगेंगे। हम पूरा ख्याल रखेगें कि हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज को पूरा प्रतिनिधित्व मिले।।

श्री नेकी रामः स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के कर्मचारियों का नम्बर तो बताया लेकिन उनकी क्लास नही बताई। क्या वे बताएगें कि इनमें से भंगी कितने हैं और दूसरे कितने हैं। इसका नम्बर कम क्यों हैं और गवर्नमैंट ने जो रिजर्वे ान रखी हैं उसके मुताबिक क्या स्थिती हैं?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैने बाताया कि इस मिल में करीब 700 ऐमप्लाइज होगें। इस मिल को कमी ानिंग अक्तूबर, 1984 तक होगी और तब तक ही सारे मुलाजिम लगेंगे। मै माननीय सदस्यों को वि वास दिलाता हूं कि हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज को पूरी रिजर्वे ान मिलेगी।

चौधरी कुन्दन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अब तक उन्हे हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लोग लेने में क्या दिक्कत थी और अब उनके कोटे को पूरा करने की कृपा करेंगें?

श्री अध्यक्षः इसका जवाब आ गया हैं।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह भूगर मिल कोआप्रेटिव सैक्टर मे बन रही है लेकिन इसका ि ालान्यास ये राजीव गांधी जी से कराना चाहते थे। क्या मंत्री जी बताऐगें कि

उन्हे किस कैपसिटी से बुला रहे थे? स्पीकर साहब, दूसरी बात इनसे मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नही है कि जब राजीव जी के बाने का प्रोग्राम था तो बाकायदा हैलिकोप्टर से पैम्फलैटस फैके गए? स्पीकर साहब, भाामियानों का तो कोई अन्त ही नही था।(विघ्न) जींद मेरे पड़ोस में है और मुझे इन सब बातो का पता है। ट्रक सैकडो़ और हजारों गावों में भेजे गए। हमारे अन्दाजे के मुताबिक तो कम से कम 40 लाख रूपये अस समय खर्च हुए होगें। क्या मंत्री जी इन सारी बातों का जवाब दैगें?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, 1982 के जब चुनाव हए तो राजीव जी नारनौद, जींद, जुलाना, उचाना, और नरवाना मे गए थे और लोगों की मांग थी कि हमारे यहां भाूगर मिल लगे। उस चीज को मदेनजर रखते हुए आपने उनकी मदद की हैं। इसके अलावा वे, मैम्बर पार्लियामैंट भी है ओर हमारे मुख्य मंत्री जी, ने उस फंक ान को प्रिजाइड औवर करना था।(विघ्न) जहां तक हैलिकाप्टर का सम्बन्ध हैं, वह हैलिकोप्टर नही था बल्कि सिविल ऐविए ान विभाग का जहाज था।

श्री मंगल सैनः यह तो और भी सिरियस बात हैं।

Chaudhri Birender Singh: That is not is serious matter, Sir. We have paid for that.

श्री मंगल सैनः कितने पैसे दिए थे?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः सिर्फ एक हजार रूपए दिये थे।

चौधरी फूल चन्दः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यो ने एक सवाल तो यह पूछा कि एम्पलायमैंट एक्सचेंज से नाम क्यो नही मांगे गए तथा दूसरा सवाल यह पूछा कि रिजर्वे ान के तहत जो आदमी रखे गए थें किस कैटेगरी के है। लेकिन दोना बातो का जवाब मंत्री जी बड़ी चालाकी से ि ाफट कर गए। क्या वे बताऐगे कि एम्पलायमैंट एक्सचैजिंज को क्यो इग्नोर किया गया और रिजर्व कैडिंडेटस को कौन कौन सी कैटेगरीज मे रखा गया हैं? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अगर आप चालाकी भाब्द की जगह सिनानप भाब्द प्रयोग कर लेते तो क्या ठीक न होता? ऐसे भाब्द एवायड करने चाहिए।(विघ्न)

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैने बताया कि एम्पलायमैंट एक्सचेज के थ्रु भी आदमी रखे गए और एडवरटाईजमैट भी साइमलटेनियसली की गई। दोनो ही बाते साइमलटेनियसली होती हैं। अभी तक केवल 56 आदमी लगे हैं। 20 आदमी एडहाक बेसिज पर लगे हैं और 9 आदमी डेली वेसिज पर लगे हैं। जिनके लिए जरूरत नही होती कि एम्पलायमैंट एक्सचेज से नाम लिए जाएं।

Setting up of Rural Industries under the D.I.C. Scheme

***525 Smt. Chandravati:** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the number of rural industries set up under the D.I.C. Scheme in the State during the year 1980-81, 1981-82 and 1982-83;

(b) the district wise amount of loan and seed money; if any, sanctioned to the industries, referred to in part (a) above;

(c) the number of Industries out of those sanctioned loan and seed money, which have started production togetherwith names of the good/articles being produced therein and the details of the steps being taken by the Government to help them of their products; and

(d) whether any applications for the grant of loan and seed money, are being pending; if so, district wise number of such application which are complete in all respect?

उधोग मंत्री (श्री मती भाकुनतला भगवाडिया):

(क) जिला उधोग केन्द्र स्कीम के अन्तर्गत स्थापित की गई ग्रामीण इकाईयो की वर्शचार संख्या इस प्रकार है:—

वर्श	इकाईयो की संख्या
1980—81	2812
1981—82	3745
1982—83	3859

(ख) वांछित सूचना सदन के पटल (अनुबन्ध ए) पर प्रस्तुत हैं।

(ग) वांछित सूचना सदन के पटल (अनुबन्ध बी) पर प्रस्तुत हैं।

(घ) जी हां। वांछित सूचना सदन के पटल (अनुबन्ध सी) पर प्रस्तुत हैं।

तारांकित प्र न एवं उतर

अनुबन्ध 'ए'

स्वीकृत ऋण तथा सीडमनी की जिलावार रा ि ा

क्रमांक	जिला			स्वीकृत रा ि ा		(रूपए लाखो में)	
			ऋण			सीडमनी	
		80–81	81–82	82–83	80–81	81–82	82–83
1.	अम्बाला	44.14	75.07	8.99	1.57	7.25	3.24
2.	भिवानी	21.63	19.15	7.86	1.61.	1.34	0.70
3.	फरीदाबाद	21.40	27.52	19.63	0.63	2.45	0.66

4.	गुड़गावां	29.90	40.92	24.07	1.66	4.63	0.43
5.	हिसार	35.46	44.72	36.78	4.55	4.96	3.57
6.	जीन्द	16.82	31.28	15.55	2.07	3.89	0
7.	करनाल	33.78	68.64	52.14	2.91	6.24	2.56
8.	कुरूक्षेत्र	19.43	32.82	25.38	0.49	4.47	1.44
9.	महेन्द्रगढ	8.21	20.80	8.55	4.48	5.46	0.46
10.	रोहतक	65.98	39.37	18.68	4.05	7.68	2.48
11.	सिरसा	12.70	11.16	8.83	0.71	1.71	0.17
12.	सोनीपत	33.75	16.76	22.06	4.19	4.54	1.32

अनुबन्ध 'बी'

4237 इकाइयों को ऋण स्वीकृत किया गया हैं। इनमें से 3259 इकाइयों ने प्र न में पूछी गई अवधि में उत्पादन भ्रारू किया। यह इकाईयां स्टील फर्नीचर, ट्रंक, ताले, खेती बाड़ी के औजार, इन्जीनीयरिंग सामान, पी.वी.सी. केब्लज, बर्तन, लकड़ी का फर्नीचर, हथकरघा वस्तुएं, कढाई एवं सिले सिलाए कपड़े चमड़ा उधोग वस्तुए, कपड़े धाने का साबुन, मोमबती, कापियां, स्टे ानरी वस्तुए, डाक्टरी पट्टिया, चूना, रबड़ का सामान, पोलीथीन बैगज,

ग्रोस, बिजली का सामान, मोटर बाईडिंग, राईस मिल्ज, आटा व तेंल मिल, बाण, रस्सी एवं मुढा बनाना, धागें की रीले बनाना, ब्रु ा, बोन मिल्ज, आईस क्रीम व आईस कैंडी, मिट्टी के बर्तन, खेल कूद का सामान, चूडियां, रूई धुनाई करना, पेन्टस व वारनि ा, कपड़े धोने की म ीन, पेपर नैपकिन, लिफाफे प ुाओं की खुराक, मारबल चिप्स आदि–2 का उत्पादन करती हैं। ग्रामीण औधोगिक स्कीम के अन्तर्गत इन इकाईयो को बिक्री सहायता हरियाणा राज्य लघु उधोग एवं निर्यात निगम के माध्यम से प्रदान की जाती हें। निगम ने 12 बिक्री केन्द्र आर्थात प्रत्येक जिले में एक इस प्रकार की इकाइयों को बिक्री सहायता प्रदान करने हेतू स्थापित किए हैं। जो इकाइया बिक्री सहायता प्राप्त करेन मे इच्छूक हैं उन्हे इन केन्द्रो के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य हैं। इन इकाईयो द्वारा उत्पादित 28 वस्तुए सरकारी विभाग द्वारा खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित की हैं, जिनकी पूर्ति केवल हरियाणा राज्य लघु उधोग एवं निर्यात निगम के माध्यम से की जाती हैं। निगम इन वस्तुओ पर सर्विस चार्जिज नही लेती हैं। इन 28 वस्तुओ को सरकारी विभागों मे सप्लाई करने के लिए निगम को एप्रूवड सोरस घोशित किया गया हैं।

अनुबन्ध 'सी'

ऋण तथा सीड मनी के लम्बित प्रार्थना पत्रों की जिलावार संख्याः–

क्रमांक	जिला	31.12.83 तक ऋण तथा सीड मनी प्रदान करने बारे लम्बित प्रार्थना पत्रों की संख्या	
		सीवड–मनी	ऋण
(1)	फरीदाबाद	2	55
(2)	करनाल	–	82
(3)	कुरूक्षेत्र	–	51
(4)	सोनीपत	5	27
(5)	रोहतक	8	–
(6)	हिसार	–	50
	जोड़	15	265

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने बताया कि 4237 यूनिटस मे से 3259 यूनिटस ने काम भुारू किया और 978 यूनिटस ने काम भुारू नही किया। क्या मंत्री महोदया बताएगी कि उन्होने कितने दिनो से काम भुारू नही किया और काम भुारू न करने की वजह क्या है? क्या ये घोस्ट फैक्ट्रीज तो नही हैं जो लोन लेकर के खा गई हों?

श्रीमती भाकुनतला भगवाडियाः आप यह तो मानती हैं कि जितनी फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं वे पूणतः सफल नही होती । ऐसा कुछ तो काम न करने वालो की वजह से होता हैं और उनके स्वयं ही इंट्रैस्ट न लेने के कारण होता हैं। इसलिए यह नही कहा जा सकता कि फैक्ट्रीज भाुरू क्यो नही हुई। अगर इनके नोटिस मे कोई वि ोश फैक्ट्रीज हो तो ये कृपया बताएं।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, मंत्री महोदया हमारे जिले से सम्बन्ध्झा रखती हैं। प्र न के जवाब मे इन्होने जिलावार रा ि ा का ब्यौरा दिया हैं। महेन्द्रगढ़ जिले को वर्श 1982–83 मे 8 लाख 55 हजार रूपये दिए गए जबकि हिसान को 36 लाख 78 हजार रूपये दिये। क्या ये बताऐगीं कि इतना अन्तर क्यों है?

श्रीमती भाकुनतला भगवाडियाः स्पीकर साहब, जितना मांगा गया था उतना ही दिया गया हैं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, बहिन जी ने अपने जवाब मे फरमाया हैं कि जो इन्फर्मे ान मांगी गई है वह सदन की टेबल पर रख दी गई हैं। स्पीकर साहब, अनैक चर **'सी'** मे बताया गया हैं कि सीड मनी के फरीदाबाद में दो, सोनीपत मे पांच और रोहतक मे आठ केसिज पैंडिंग पड़े हैं, इन्हे सीड मनी नही दी गई हैं लेकिन हिसार जिले को कोई भी केस पैंडिंग नही हैं। मै जानना चाहूंगा कि इन्हे यह सीड मनी क्यो नही दी गई? इसी

प्रकार अपने अनैक चर **'बी'** मे फरमाया है कि जो माल रूरल इण्डस्ट्रीज की यूनिटस मे बनता हैं उसे बेचने के लिए 12 मार्किटिंग सैन्टर्ज खोले हुए हैं। मै जानना चाहूंगा कि कितने रूपये का माल अब तक इन मार्किटिंग सैन्टर्ज द्वारा खरीदा गया हैं।

श्रीमती भाकुनतला भगवाडिया: डा. मंगल सैन जी ने कहा है कि सीड मनी तीन जिलो का पैंडिंग है ओर हिसान का कोई भी केस सीड मनी के लिए पैन्डिंग नही हैं। मै हाउस का बताना चाहती हूं कि इस समय सीड की कोई भी एप्लीके ान हमारे पास पैंडिंग नही हैं। अगर किसी की सीड मनी पैंडिंग हैं, वे लिख कर दे हम चैक–अप करवा लेगें।

श्री मंगल सैन: मैने यह भी पूछा था कि जो माल तैयार करके भेजा गया है उसमें से कितने का खरीदा गया है?

श्री अध्यक्ष: डा. साहब आप मेरे से सहमत होगें कि आप बहुत ही लम्बा सवाल करते हैं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, मै जवाब दे देता हूं । जो देतातों में रूरल इण्डस्ट्रीज युनिटस मे माल बना है, उसकी मार्किटिंग सैन्टर्ज से 8 करोड़ 62 लाख रूपये की पैमेंट हुई हैं।

चौधरी साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अनैक चर **'सी'** मे बताया है कि 31.12.1983 तक छः जिलों की 15

एप्लीके ान सीड मनी की और 265 एपलीके ान लोन की पैंडिंग हैं। मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कुरूक्षेत्र जिले की 51 एप्लीके ान क्येां हैं और कब से पैंडिंग हैं?

श्रीमती भाकुनतला भगवाडिया: निर्धारित की गई अवधि के अन्तिम समय मे ये एप्लीके ान आई थी इसलिए लोन नही दिया जा सका। मैं माननीय सदस्य को वि वास दिलाना चाहूंगी कि इनका भीघ्र ही लोन दे दिया जायेगा औरप जिन 15 केसिंज मै सीड मनी बकाया हैं उन्हे भी एप्लीके ान आने पर जल्दी ही दे देंगें।

श्री ए. सी. चौधरी: स्पीकर साहब, इस स्कीम के तहत जिन लोगों को सबसीडी ग्रान्ट की हैं उसका मकसद यही हैं कि बेकार लोगो को काम लि और इण्डस्ट्रीज की इनसलरी यूनिटस भी बढे। सारी स्टेट मे सन् 1980 से ले कर 1983 तक 10416 यूनिटस खुले हैं। मै यह जानना चाहता हूं कि कितने यूनिटस बिजली न मिलने की वजह से बन्द पड़े हैं। रूरल इण्डस्ट्रीज को पूरी बिजली नही मिल रही हैं। यह ओपन सीक्रेट है कि रूरल फीडर्ज से आठ–दस घन्टे बिजली मिल रही हैं। वे इण्डस्ट्रीज तबाह हो रही है या बन्द हो गई हैं? मै सरकार से जानना चाहूंगा कि उनके लिए सरकार क्या प्रावधान करने जा रही हैं।

श्रीमती भाकुनतला भगवाडिया: इस समय मै कैसे बता सकती है कि बिजली न मिलने के कारणप इतने यूनिटस बन्द हो

गये हैं। अगर कोई फैक्टरी वाला मेरे पास ि ाकायत ले कर आये कि उसकी फैक्टरी इस वजह से बन्द हो गई, तो ही कारण का पता लग सकता है।

चौधरी फूल चन्दः क्या मंत्री महोदया बताने का कश्ट करेगी कि क्या सरकार ने डी. आई.सी. स्कीम के तहत रूरल इण्डस्ट्रीज खोलने का हर वर्श का कोई टारगेट फिक्स किया हैं कि इस जिले मे इतनी खोली जायेगी? अगर टारगेट फिक्स किया हैं तो अम्बाला जिले के लिए कितना टारगेट फिक्स किया हैं?

श्रीमती भाकुनतला भगवाडियाः सरकार ने इस बारे कोई टारगेट फिक्स नही कियसा है औरप न ही किसी पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है। जो भी कोई रूरल इण्डस्ट्री लगाना चाहता हैं उसे सरकार सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

डा. औम प्रका ा भार्माः स्पीकर साहब, सरकार की और से लोगों को लान दिया गया परन्तु किसी कारण से वे लोग उस लेान से अपना कारेागार नही चला सके। आप जानते हैं सारे संसार मे आज कल मन्दे की लहर चल रही हैं। भारतवर्श की इण्डस्ट्री भी मन्दे की लहर की ि ाकार है और बड़ भारी क्राइसिज मे फसी हुई हैं। मै सराकर से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने किसी वजह से लोन वापिस नही किये हैं, उन्हे दोबारा सहारा देने के लिए सरकार कोई ऐसे कदम उठायेगी जिससे वे फिर

ऊपर उठ सके। जैसे लाने के सूद की माफी कर दे या दोबारा से लोन दे दें ताकि वे अपने पैरो पर खड़े हो सके।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, डा. औम प्रका ा जी ने बहुत लम्बी बात कह दी। हम चाहते हैं कि देहात के लोगो को ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे क्योकि किसानो के पास भी जमीने नही रही, वे बहुत छोटे किसान हो गये है। इसलिए हम उन्हे भी ऊपर उठाना चाहते हैं। हरिजन,बैकवर्ड और पढे लिखे नौजवान जो बेकार फिरते है हम उन्हे भी काम देना चाहते हैं। इसी बात को ध्यान रखते हुए देहातों मे इण्डस्ट्रीज लगवाते हैं। इसी बात को ध्यान मे रखते हुए देहातों मे इण्डस्ट्रीज के लिए सुविधाये सरकार की और से दी जाती हैं। जो स्कीम जवाब के अन्दर बताई गई हैं उनके लिए 80 परसैन्ट बैंक से लोन मिलता है और 20 परसैन्ट वह अपनी और से लगाता हैं। अगर दो लाख रूपया इण्डस्ट्रीज पर लगता हैं तो 20 हजार उसे अपनी ओर से लगाना पडेंगा। इस बीस परसैन्ट मे भी सरकार की और से दस परसैन्ट सबसीडी दी जाती हैं। ऐसे उधोगों के लिए सरकार की ओर से बिजली देने मे भी पहल की जाती हैं। तीन साल से ले कर सात साल तक आक्ट्राय से मुक्त किया गया हैं, सेलफस टैक्स से पांच साल के लिए और बिजली सरचार्ज से दो साल के लिए मुक्त किया हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने बताया हें कि सरकार ओधोगिक ईकाइयों के लिए और गावों के

लोगो को रोजगार देने के लिए काफी सुविधाये प्रदान कर रही हैं। क्या कारण है कि सन् 1982–83 में हिसान जिले को छोड़ कर और जिलों से लोनव की एप्लीके ान कम क्यों आई? दूसरे जा एप्लीके ानज पैंडिंग है, उनमें कुछ जिला की तो बिल्कूल ही नही हैं। जब बेराजगारी की सम्सया है तो फिर भी एप्लीके ानज क्यो नही आयी? क्या यह सरकार की नीति की असफलता का घोतक नही हैं।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, पहले लोग बैंक से लोन लेते थे इसलिए फिगर्ज कम हैं लेकिन अब खादी बोर्ड और डी. आर.डी.ए. से लेते हैं। यह जो आकंड़े हैं ये बैंक्स के हैं लेकिन फिर बैंक्स ने कर्जा देने पर पाबन्दी लगी दी । अब डी. आर.डी.ए. और खादी बोर्ड से कर्जा लेते हैं। ऐसा करने से देहात के लोगों को काफी राहत मिली हैं।

10:00 बजे

श्री हरि चन्द हुड्डाः स्पीकर साहब, मै चीफ मिनिस्टर साहब से आपकी मार्फत यह जानना चाहता हूं कि यह जो रूरल एरियाज में इण्डस्ट्रीज लगाने की स्कीम हैं, क्या इसमे कानूनन वैन लगा हुआ हैं कि कोई भी ऐसी इण्डस्ट्री देहात मे ही लगाएगा, भाहर मे नही लगाएगा। अगर ऐसा कोई कानून हैं तो यह अच्छी बात हैं। मै चाहता हूं कि जितनी भी देहात की इण्डस्ट्रीज है हैंडलूम की, भाूगर की और लेदर वगैरह की, वह

देहात मे ही लगे ताकि देहातों की तरक्की हों। मै यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सोच रही है कि जो नई इण्डस्ट्रीज हैं वह देहात मे लगें। क्या सरकार इसके लिए कोई बैन लगाएगी ताकि वाह भाहरो में न लग सके।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, देहात में इण्डस्ट्रीज लगाने की जो स्कीम हैं यह ग्रामीण उत्थान के लिए ही हैं। अग तक इसके तहत 15,434 उधोग देहातों मे लग चुके है और इन 15,434 उद्योगो मे 40,689 लोगों को रोजगार मिला हैं।

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ने अभी यह कहा हैं कि रूरल इण्डस्ट्रीज मे जो माल बनता हैं वह सरकार के सैंटर्ज परचेज करते हैं। मै मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि सोनीपत जिले मे 1982–83 में कितना माल इन इण्डस्ट्रीज से परचेज किया गया हैं?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदया, जो आकंड़े आनरेबल मैम्बर ने पूछे हैं, वह हमार पास इस समय नही हैं। जहां तक इन उधोगों से माल खरीदने की बात का ताल्लूक हैं, मै हाउस को बताना चाहता हू कि सरकार की तरफ से किसी भी माल को खरीदने के लिए टैन्डर इन्वाईट किए जाते हैं। जब सरकार माल को एप्रूव कर देती है तो सरकार कुछ पैसा देने मे देरी कर देती हैं। इसलिए हमने यह फैसला किया हें कि उनको पैसा फौरन मिल जाए। निगम उनको पैसा दे देती हैं और बाद में

वह पैसा सरकार से वसूल कर लेती हैं। ऐसा हमने इसलिए किया हैं ताकि देहात में लगे हुए उधोगां को किसी प्रकार पकी पैसे की दिक्कत न हों। (व्यवधान व भाोर) 8 करोड़ 62 लाख रूपए की पिछले दो सालो मे हमने उनको पेमेंट की हैं।(व्यवधान व भाोर)

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मै मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या यह तथ्य कि फिल्मजी ग्राउन्ड पर दरख्वास्तों लटाकाए रखा जाता हैं और जब तक कोई 15–20 बार चक्कर न काट ले, उानको लौन नही दिया जाता। मेरे पास ि ाकायते आई हैं कि जो लोन लोगों को मिलता हैं, उसमे भी कमी ान बंधा हुआ हैं।दूसरी बात मै यह जानना चाहती हूं कि भिवानी जिले में एक ऊज्जा नगर गावं के लड़के ने बिजली का कनैक् ान लेने के लिए डेढ साल पहले एप्लाई किया था लेकिनप उसको आज तक बिजली नही मिल सकी, जिसकी वजह से वह अपना उधोग स्टार्ट नही कर सका, इसका क्या कारण हैं?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, बहिन जी ने दो बाते कही हैं। एक तो यह कि जो लोन लेते हैं, उनका पैसा बंट जाता हैं। जब भी बहिन जी बोलती हैं, तो कोइ न कोई ऐसी बात जरूर कह देती हैं जिसका आधार नही होता। या तो उनके पास कोई तथ्य हो ओर सबूत हों, फिर उनकी बात समझ आ सकती हैं। क्या कभी इन्होने मुझसे या किसी मंत्री से इस बारे में बात की या लिखकर भेजा? जहां तक बिजली का सवाल हैं, हम देहातों के लिए अलग से फीडर नही लगा सकते। हालाकि हम यह चाहते हैं

कि किसी न किसी तरह से देहातो के लिए अलग से फीउर हो जाए और भाहरों के लिए अलग से फीडर हो जाए ताकि जरूरत पडने पर देहातों को ज्यादा बिजली दी जा सके लेकिन इसके लिए खच्र इतना करना पड़ता हैं कि जिसका कोई अन्त नही हें। इसलिए हमारी भी मजबूरी हैं। जब भी कोई फीउर चलेगा तो देहात और भाहर दोनो ही उससे बिजली का इस्तेमाल करेंगें। हमारी कोि ा ा फिर भी यही होती है कि देहातों के अन्दर ट्यूबवैल को ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाए। हमारी कोि ा ा यह भी रहती है कि देहातों को ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाए। हमारी कोि ा ा यह भी रहती हैं कि देहातों मे लगे हुए छोट उधोगों को भी पूरी बिजली दी जाए ताकि इनका काम भी ठीक तरह से चल सके।

श्री सागर राम गुप्ताः स्पीकर साहब, इस सवाल का जवाब में अनक ाचर **'ए'** मे जो सूचना दी हुई है, अगर उसे देखा जाए तो यह ततााक चलेगा कि भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिलों मे जो दूसरे जिलों के मुकाबले मे पिछड़े हुए जिले हैं, इस स्कीम का कम लाभ मिला हैं। आजकल सरकार की पोलिसी यह है कि पिछड़े हुए इलाकों को ज्यादा ऊपर उठाया जाये ताकि वे दूसरो के मुकाबले मे आ सके। मै सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमैंट कोई ऐसे कदम उठाने का इरादा रखती है ताकि इन बैकवर्ड एरियाज मे इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हमने तो पूरी कोि ा ा की हैं कि भिवानी और महेन्द्रगढ जिले जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए क्षेत्र है उनमे ज्यादा से ज्यादा इण्डस्ट्रीज लगायी जायें। हमने वहां पर यह किया हुआ हैं कि कोई भी भाई चाहे देहात मे यह भाहर मे इण्डस्ट्रीज लगाये, हम उसको पूरी फैसिलिटीज और सहायता देते हैं। मै आनरेबल मैम्बर को इस बात का यकीन दिलाता हूं कि हम पूरी कोि ा ा करेगें कि वहां पर देहात मे ज्यादा से ज्यादा इण्डसट्रीज लगायी जाये। इस के लिये सरकार की तरफ से हम कोई भी नही आने दैगें।

Posts of Naib-Tehsildars

***536. Prof. Sampat Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of posts of Naib-Tehsildar advertised by Subordinate Services Selection Board, Haryana during the period Form July, 1977 to July, 1982; and

(b) the number of candidates who applied for the said posts together with the names, addresses and qualifications with divisions of the selected candidates?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) 25

(ख) (i) 7329 आवेदको ने इन पदों के लिए आवेदन पत्र दिए थे।

(ii) विवरणियां (i) व (ii) (ए)तथा (बी) जिन में चुने गये उम्मीदवारो के नाम, पतें तथा अर्हताएं श्रेणी सहित द ार्ाय गए हैं, सदन के पटल पर रखी जाती हैं

STATEMENT-I

The Names, addressed and qualifications with division of the selected candidates recommended to Ambala Division against advertisement No. 6/77 Category No. III and 9/80 Category No. VII on 01-10-1981

Sr. No.	Category No.	Roll No.	Name & Address of the Candidates	Qualification with Division
1	S.C.	76	Sh. Charat Singh C/o Sh. Arjun Dass H. No. 497/18 Vijay Nagar, Hissar	B.A. III
2	S.C.	400	Sh. Rup Singh S/o sh. Sh. Tidu Ram V. & P.O. Raipur Rani Teh. Naraingarh Distt. Ambala	B.A. III/B.ED .II
3	E.S.M.	314	Sh. Prithivi Singh S/o Sh. Amar Singh V. & P.O. Panihar Chowk Distt. Hissar.	B.A. III
4	S.C.	125	Sh. Gopi Chand Bahgotia S/o Sh. Mina Ram V. & P.O. Nawan, Distt. Mohindergarh	B.A. III

STATEMENT-II

The Names, addressed and qualifications with division of the selected candidates recommended to Hissar and Ambala Division against advertisement No. 6/81 Category No. XIX and Advertisement 8/81 Category No. X on 19-11-1982.

(a) HISSAR DIVISION

Sr. No.	Category No.	Roll No.	Name & Address of the Candidates	Qualification with Division
1	General	2020	Om parkash S/o Sh. Ranjit Singh Village Mahalsara P.O. Asrawan Distt. Hissar	B.A. III Division
2	General	1689	Godhu Ram S/o Sh. Phula Ram Village Bhiwani Rahilan Post Office Sarsana Hissar	B.A. III Divn. M.A. III Division
3	General	1932	Mahal Singh S/o Sh. Dalip Singh Vill. Ludas, P.O. Shahpur, Hissar	B.A. III Divn.
4	General	5519	Sahab Ram S/o Sh. Banwari Lal Vill. Sainiwas, P.O. Lili Bhiwani	B.A. III Divn.
5	General	6363	Satish Kumar S/o Sh. Banwari lal C/o M/s Ghisa Ram	B.Com. III Divn.

			Banwari Lal Hissaria Bazar, Sirsa	L.L.B. II Divn
6	Genera l	4934	Ajit Singh S/o Sh. Dalip Singh C/o sh. Jage Ram Kartar Singh, Nai Anaz Mandi Shop No. 29, Bhiwani	B.A. III Divn.
7	Genera l	1652	Dalel Singh S/o sh. Chandgi Ram VPO Chanot, Teh. Hinsi, Hissar	B.A. III L.L.B. II Divn.
8	Genera l	1257	Satbir Singh S/o Sh. Prabhu Singh Vill & P.O Bhupama, Rohtak	B.A. III Divn.
9	Genera l	6431	Satish Chander S/o Sh. Manohar Lal, VPO Abooveshar, Sirsa	B.A. III Divn.
10	Genera l	6672	Bhupinder Rao S/o Sh. Rao Sheoraj Singh, 200/1 Civil Line, Gurgaon	B.A.
11	Genera l	6722	Habibur-Rehman S/o Sh. Rahim Khan, Vill. Sultanpur, Panhana, P.O. Pingwan Girozepur Jhirkha, Gurgaon	B.A. II Divn.
12	Genera l	2471	Vidya Sagar Batla S/o Sh. Ashi Lal Batla C/o Batla Medicla Hall Tohana, Hissar	B.A. II Divn.

13	General	2199	Rishi Raj Sharma S/o Sh. Tek Chand Sharma Tehsildar, Hissar	B.A. III Divn.
14	General	6156	Gian Parkash S/o Sh. Raja Ram VPO Shahpur, Teh. & Distt. Hissar	B.A. II Divn.
15	General	1449	Ami Chand s/o Sh. Suraj Bhan VPO Masitan, Distt. Sirsa	B.A. III Divn.
16	General	6227	Karishan Lal S/o Sh. Devi Lal VPO Purjbhango, Distt. Sirsa	B.A. III Divn.
17	General	77	Kulbir Singh Gill S/o Sh. Dilbhag Singh H.No. 140, Sector 24, Chandigarh	M.A.
18	General	2118	Ram Singh S/o Sh. Sahi Ram Vill. Adampur P.O. Mandi Adampur, Hissar	B.A. II Divn.
19	General	6583	Rajender Singh S/o Sh. Rupan Singh C/o Raj Singh Advocate Civil Palwal, Gurgaon	B.A. III Divn.
20	General	1621	Dalbir Singh S/o sh. Jot Ram VPO Kishangarh, Hissa	B.A. III Divn.
21	General	2252	Raja Ram S/o Sh. Lal Chand V. Matana P.O. Fatehabad	B.A. III Divn.
22	Genera	6309	Prem Kumar S/o Sh. Manphool Ram V. Tejakhera P.O.	B.A. III

	l		Chotala, Hissar	Divn.
23	Genera l	1564	Bir Singh S/o Sh. Prithi Singh VPO Muklan, Hissar	B.A. III Divn.
24	Genera l	569	Om Parkash S/o Sh. Deep Chand V. Matani Teh. Loharu, Distt. Bhiwani	B.Sc, M.SC. II Divn.
25	Genera l	1950	Manjit Singh S/o Sh. Inder Dev VPO Harita, Hissar	B.A. III Divn.
26	Genera l	1867	Krishan Kumar S/o Sh. Prabhu Dayal C/o Alawadi Radio Shop, New Mandi Adampur, Hissar	B.A. III Divn.
27	Genera l	1373	Jagdish Chander S/o Sh. Banwari Lal VPO Sadalpur, Hissar	B.A. III Divn.
28	Genera l	6126	Bhoop Shingh Bishnoi S/o Sh. Bhagi Ram VPO Panjuana(Dhani), Distt. Sirsa	B.A. III Divn.
29	Genera l	2055	Prithivi Singh Godara S/o Sh. Kanshi Ram Godara VPO Mandi Adampur, Hissar	B.A. II Divn.
30	Genera l	2007	Om Parkash Majju S/o Sh. Gopal Ram VPO Dhanger Via Badopal, Hissar.	B.A. III Divn.

31	General	5304	Raj Singh S/o Sh. Lachhi Ram, Vill. Mehrans, P.O. Dhani Phogat Teh. Ch. Dadri, Bhiwani.	B.Sc. III Divn.
32	D/ESM	2267	Satbir Singh Jangu S/o Sh. Kanshi Ram Defence Colony, H. No. 182 Hissar	B.A. III Divn.
33	ESM	2223	Ram Sarup Bhambhu S/o Sh. Gopi Ram Assitant O/o LIC, Hissar	B.A. III Divn.
34	General	2114	Randhir Singh Bhoora, S/o Sh. Hari Singh VPO Ghirai, Teh. Hansi Distt. Hissar	B.A. III Divn.
35	General	3560	Subhash Chander S/o Sh. Rup lal C/o Dhawan Dairy Wala W. No. 12 Nand Colony Pehowa (KRK)	B.A. III Divn.
36	General	2393	Subhash Chander S/o Sh. Hari Chand VPO Kabrel, Hissar	B.Com. III Divn.
37	S.C.	5861	Om Parkash Bhagetiye, VPO Nanwan, Mahendergarh	B.A. III Divn.
38	S.C.	875	Faqir Chand S/o sh. Daryo Singh C/o Behn Kartari Devi 29/63, Shivaji colony, Circular	B.A. III Divn.

			Road, Rohtak	
39	S.C.	4457	Suresh Kumar S/o Sh. Chandan Ram VPO Hatt, Teh. Saffidon, Jind	B.A. III Divn.
40	S.C.	36	Data Ram H. No. 3122, Sector 15-D Chandigarh	B.A
41	S.C.	3716	Harnam Chand S/o Sh. Mangal Ram VPO Munak, Karnal	B.A. III Divn. M.A. III Divn.
42	S.C.	3950	Raghbir Singh S/o Sh. Sunehra Singh O/o Food Corporation fo India, Karnal	B.A. III Divn.
43	B.C.	1915	Mahabir Singh S/o Sh.Ranjit Lal VPO Banhahri, Hissar	B.A.II Divn. MA
44	B.C.	1482	Balwan Singh S/o Sh. Shiri Ram VPO Kulana, Hissar	B.A.III Divn.
45	B.C.	1579	Babu Lal Varma S/o Sh. Tokh Ram Soni, VPO Adampur, Hissar	B.A. II Divn. L.L.B.
46	B.C.	1179	Rishi Parkash Shrama 30/13J Medical Enclave, Rohtak	B.A. III Divn.
47	PHC/B	4262	Mange Ram S/o Sh. Prem Chand Saffidon Mandi, Hat	B.A. II Divn.

	C		Gate, Jind	M.A.
48	General	1502	Balwan Singh Lamba S/o Sh. Jagde Ram, VPO Kheri Via Pabra, Hissar	B.A. III Divn.
49	B.C.	3189	Gurdiyal Singh S/o Sh. Fauja Singh VPO Kheri Via Pabra, Hissar	B.A. III Divn.
50	E.S.M.	5856	Narinder Singh S/o Sh. Ganga Ram Singh Yadav, Meh. Nethiwala Mahendergarh	B.A. III Divn.

(B) AMBALA DIVISION

Sr. No.	Category No.	Roll No.	Name & Address of the Candidates	Qualification with Division
1	General	2230	Rajiv Sharma S/o Sh. Chhabnil Dass Sharma VPO Satrod Khurd, Hissar	B.A. III Divn.
2	General	6191	Gian Parkash Bishnoi s/o Sh. dhonkal Ram VPO Dattaran Wali Tehsil Fazilka Distt. Ferozpur,	B.A.II/L.L.B.II

			Punjab	
3	General	2797	Om Parkash S/o Sh. Manohar Lal Sharma H. No. 78 Block No.6 Prem Nager, Ambala City	B.A. III Divn.
4	General	1123	Raj Kumar S/o Sh. Sh. Bharat Singh VPO Kharher Distt. Rohtak	B.A.II/ M.A.III Divn
5	General	3171	Dharambir S/o Sh. Bichha Ram, VPO Khurdban Distt. Kurukshetra.	B.COM.II M.P.ED. Ist/M.A. II
6	General	4290	Naresh Kumar S/o Sh. Mahabir Singh VPO Dhmerkhan Kalan Teh. Narwana Distt. Jind	B.A. III Divn.
7	General	2493	Mohinder Kumar S/o Sh. Mani Ram, 187 Model Town. Fatehabad	B.Com.III/L.L.B. II
8	General	3007	Surjeet Singh S/o Sh. Balbir Singh H. No. 49-A, Civil Line Mathura Nagri Ambala City	B.A. III Divn.
9	General	2903	Ramdhan Barda S/o Late Atama Ram Vill Kathgarh P.O. Pipliwala, Ambala	B.A. III Divn.
10	Genera	299	Deep Kaushal C/o R.P. Kaushal	B.A.II/L.

	l		H. No. 4578/2 , Chatta naru Mal Patiala(PUNJAB)	L.B. II
11	Genera l	164	Randhri Singh H. No. 168, Sector 28-A Chadigarh	B.A. III Divn.
12	Genera l	3849	Purshotam Dass S/o Sh. Rameshwar Dutt VPO Chochura Via Pundri, Karnal	B.A. III Divn.
13	Genera l	3471	Satish Bhardwaj C/o Hakim Shiv charan Dass, Shahbad Markanda, Kurukshtra	B.A. III Divn.L.L .B.II
14	Genera l	3078	Ashok Kumar S/o Sh. Bhagwan Dass H. No. 143/14, Gobind Colony Kaithal, Kurukshetra	B.A./MA .II
15	Genera l	4356	Rajbir Singh S/o Sh. Ranjit Singh VPO Surajkhera Teh. Narwana, Jind	B.A. III Divn.
16	Genera l	1553	Balraj S/o Sh. Bhagirath Singh VPO Muklan, Hissar	B.A. III Divn.
17	Genera l	3058	Gurmeet Singh S/o Sh. Surrinder Singh VPO Anandpur Jalbera, Ambala	B.A. III Divn.
18	Genera l	106	Mukesh Kaushik H. No. 2500, Sector 19-C, Chandigarh	B.SC
19	Genera	2527	Ashwani Kumar H. No. 28/E	B.A. III

	l		Railway Colony Ambala Cantt.	Divn.
20	Genera l	3363	Prem Chand Gangal C/o M/s Kishan Troding Co. 72, Dhand Mandi, Kurukshetra.	B.A.III Divn.
21	Genera l	403	Rakesh Kumar Garg C/o M/s Sarwan mal Sadhu Ram Iron Merchants Maur Mandi Distt. Bhatinda, Punjab	B.COM III
22	Genera l	2096	Ram Singh S/o sh. Ram Partap V. Khazuri Lathi PO Jandli Kalan, Hissar	B.A./M. A.II
23	Genera l	6856	19	B.A.III Divn
24	Genera l	1664		B.A.III Divn.
25	Genera l	211		B.A.II/M .A.
26	Genera l	2255		B.A./B. ED.III
27	Genera l	6012		B.A.II/M .A.II
28	Genera l	4910		B.A.III,M .A.III
29	Genera	5262		B.A.II

	l			
30	Genera l	6533		B.A.III
31	Genera l	3937		B.Com.II I
32	ESM	1658		B.A.III/L .L.B.II
33	D/ESM	1693		B.A.II
34	D/ESM	3910		B.A.III/L .L.B.II
35	ESM	3508		B.A.III/ M.A.III
36	S.C.	1543		B.A.III
37	S.C.	1595		B.A.III/ M.A.III
38	S.C.	3439		B.A.III
39	S.C.	1276		B.A.III
40	S.C.	100		B.A
41	S.C.	827		B.A.III
42	S.C.	4813		B.A.III/ M.A.III

43	B.C.	2100		B.Sc.I
44	B.C.	2391		B.A/M.A .II
45	B.C.	2175		B.A.III
46	General	1040		B.Sc.III/ B.A.III/ M.A.III
47	B.C.	179		B.A.III
48	Handi Capped	3802		B.A.III
49	General	5988		B.A.III
50	General	5236		B.A.III
51	B.C.	3717		B.Com.III
52	General	1955		B.Com.III
53	B.C.	1971		B.A.II

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब विज्ञाप्ति पोस्टें थी 25 और सिलैक ान किया गया 107 का। क्या मुख्य मंत्री महोदय

बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण था कि इतने आदमी सिलेक्ट किये गये और इनमें 1/3 अकेले आदमपुर हल्के के है या एक वि ोश बिरादरी के है। इनमें से एक–दो को छोड़ कर सारे ही बी0ए0 थर्ड डिवीजन है। एम0ए0 या बी0ए0 फर्स्ट डिवीजन कोई भी नहीं है। क्या गुणों का आधार छोड़ कर किसी और आधार पर सिलैक ान की गयी है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि सिलैक ान एस0एस0एस0 बोर्ड द्वारा की जाती है। बोर्ड ने योग्यता के आधार पर सिलैक ान की है। बोर्ड के सामने जब इंटरव्यू के लिये लड़के जाते है तो उस वक्त उनसे सवाल पूछे जाते है। अगर कोई डबल एम0ए0 भी लड़का हो और वह सवाल का जवाब ठीक से न दे सके तो बोर्ड कैसे उसको सिलैक्ट करेगा। अगर कोई बी0ए0 थर्ड डिवीजन भी है और अगर वह उनके सवालों को ठीक से जवाब दे देता है तो बोर्ड उसको अव य सिलैक्ट करेगा। एक बात इन्होंने यह कह दी कि वन–थर्ड एक बिरादरी के है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। बोर्ड किसी की जात–पात नहीं देखता। बोर्ड केवल योग्यता के आधार पर सिलैक्ट करता है। उसने जो ठीक समझा है, उसको ठीक समझ कर सिलैक ान की है।

श्री मंगल सैनः मुख्य मंत्री महोदय ने बताया है कि 25 स्थानों के लिए इन्होंने 107 लोगों की सिलैक ान की है। इन्होंने यह भी फरमाया है कि बोर्ड ने इंटरव्यू लिया और हो सकता है

उसमें फर्स्ट डिवीजन वाले इतने लायक न हों और थर्ड डिवीजन वाले जवाब देने के लायक हो, इसलिये उनको सिलैक्ट कर लिया गया हो। इसका मतलब तो यह हुआ कि हमारे एजुके ानल इंस्टीच्यु ांज का जो कैलिबर टैस्ट है, वह भी ठीक नहीं। स्पीकर साहब, मैंने गिनती की है। 107 में से सिर्फ 13 सैकिंड डिवीजन के लड़के है। फर्स्ट डिवीजन का तो एक भी नहीं है। बाकी सारे थर्ड डिवीजन है। मैं आपके द्वारा आने काबिल मुख्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वह योग्यताएं या क्वालीफिके ान कौन–कौन सी थी जिनके आधार पर इनको सिलैक्ट किया गया। जो आपने अभी बताई है क्या उनके अलावा भी कोई योग्यता थी, जिनके कारण इनको सिलैक्ट किया गया?

चौधरी भजन लालः यह तो अध्यक्ष महोदय, बोर्ड का काम है। बोर्ड ने ठीक समझ कर सिल्कै ान की है।

चौधरी रो ान लाल आर्यः क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो नायब तहसीलदार सिलैक्ट किए है उनमें से कितने नियुक्त कर दिए गए है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि नायब तहसीलदार जरूरत से ज्यादा सिलैक्ट किए गए है क्या उनको दूसरे महकमों में भेजा जाएगा?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सब जिलों से नायब तहसीलदार सिलैक्ट किए गए है, अब तक 22 की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और पोस्टिंग की जा रही है। बाकी कैंडीडेटस ट्रेनिंग ले

रहे है ज्यों ही उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जायेगी जहां भी जगह खाली होगी, उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी।

श्रीमती बसंती देवीः अध्यक्ष महोदय, कैंडीडेटस की लिस्ट छः महीने में खत्म हो जाती है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस लिस्ट को इतने दिन तक वैलिड क्यों रखा गया है और क्या आगे भी यह लिस्ट वैलिड रहेगी?

चौधरी भजन लालः रैवेन्यू डिपार्टमैंट ने बार बार लिखकर भेजा था कि लिस्ट की मियाद बढाई जाए क्योंकि हमको नायब तहसीलदारों की जरूरत है। अगर नए सिरे से पोस्ट निकालेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। अध्यक्ष महोदय, यह लिस्ट की मियाद मई तक बाकी बचत है।

चौधरी धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, 107 नायब तहसीलदारों की लिस्ट बनी है और इसमें केवल 6 या 7 रोहतक डिस्ट्रिक्ट के है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट के साथ राजनैतिक भेदभाव करके तो ऐसा नहीं किया गया है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, किसी जिले से कोई भेदभाव का सवाल नहीं है, यह सरकार भेदभाव रखने वाली सरकार नहीं है। सब जगह के लड़के सिलैक्ट किए गए है। सब जगहों को नुमाइंदगी दी गई है। लेकिन यह देखना बोर्ड का

काम है कि कौन से लड़के काबिल है। जिले का सवाल बोर्ड के सामने नहीं है।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, सब से ज्यादा लड़के हिसार जिले के लिए गए है और केवल पांच सात लड़के सिरसा जिलें के लिए गए है। चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे है कि सिलैक ान में काबिलियत की बात है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही ज्यादा काबिल लड़के बसते है? क्या मुख्य मंत्री के पास कोई लिखित रूप में ि ाकायत आई है कि एस0एस0एस0 बोर्ड के चेयरमैन ने या बोर्ड के मैम्बर ने पैसे लेकर सिलैक ान की है। उनकी रेट लिस्ट बनी हुई है कि इतना पैसा लाओं और भरती करवा लो?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह बेसलैस और बेबुनियाद बात है। अध्यक्ष महोदय, हिसार हरियाणा का सब से बड़ा जिला है। बड़ा जिला होने के कारण अगर कुछ ज्यादा लोग सिलैक्ट हो गए तो कोई ऐसी बात नहीं है। हिसार, सिरसा और भिवानी ये तीनों ही हिसार जिले का पार्ट रहे। इनको तो खु ाी होनी चाहिए कि हिसार से ज्यादा लड़के सिलैक्ट हुए है।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने सवाल का जवाब टेबल पर रखा है। जो 107 नायब तहसीलदार सिलैक्ट हुए है, इनमें 42 हिसार जिलें के है। महेंद्रगढ जिले का एक संतराम सिलैक्ट हुआ है, दो लड़के जो बोर्ड का मैम्बर है

उसके खानदान के है और एक ही गांव के है। अध्यक्ष महोदय एक तरफ तो एक ही जिले के 42 सिलैक्ट किए गए है और दूसरी तरफ एक जिले से एक ही है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह भेदभाव की नीति नहीं है?

श्री अध्यक्षः राम बिलास जी, क्या यह रैपिटी ान नहीं है। यह अच्छा नहीं लगता कि एक ही तरह का सवाल बार बार पूछा जाए।

चौधरी ओम प्रका ः क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो 7329 कैंडीडेटस ने ऐप्लाई किया था उनमें कितने फर्स्ट डिविजन थे कितने सैकिंड डिविजन थे और कितने थर्ड डिविजन थे। दूसरा सवाल यह है कि हिसार डिविजन के लिए जो कैंडीडेटस सिलैक्ट किए गए है उन में इक्कीस हिसार के है और अम्बाला डिवीजन के लिए जो कैंडीडेटस सिलैक्ट किए गए है उन में भी 15 कैंडीडेटस हिसार के है, क्या यह भेदभाव पूर्ण नीति नहीं है कि अपने हल्कें के दोनों जगह ज्यादा रिप्रैजनटे ान दी गई है?

श्री अध्यक्षः यह भी रैपिटि ान है।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, 7329 लड़कों ने ऐप्लाई किया और इन में से 107 लोग चुने गए जिन मे तीन आदमपुर के है। एक सुरजेवाला गांव का है जो भाम ेर सिंह सुरजेवाला का रि तेदार है। एक डूमरखां कलां का है जो

बीरेंद्र सिंह का भतीजा है और उसके भाई महाबीर का लड़का है।. ..... इसीलिए पच्चीस की बजाए 107 कैंडीडेटस सिलैक्ट किए गए है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः पैसे की बोली की जो कही गई है वह रिकार्ड न की जाए। (ाोर एवं व्यवधान)। आप और जोर से बोल सकते है ताकि लोगों को पता लग जाए कि हरियाणा असैम्बली चल रही है (ाोर एवं व्यवधान)।

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, हम आप के हुक्म की तामील करने के लिए तैयार है लेकिन आप जो भी बात कहें वह प्यार से कहें। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैं कल से बार बार देख रहा हूं कि you are not caring for my orders. मुझे मजबूर हो कर यह बात कहनी पड़ती है कि कम से कम वे भी आनरेबल मैम्बर है। क्या उनका हक नहीं है कि वे अपनी बात कह सकें। फिर आप यह कहते है कि आप प्यार से कहो। मैंने प्यार से ही कहा है। मैंने किसी को डांट नहीं मारी है न ही किसी को कोई अप ाब्द ही कहे है। मैं तो यह चाहता हूं कि हाउस की वैल्युएबल टाइम है, इस को सही तरीके से यूटिलाईज करने की कोि ा ा करे। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, उस समय आप की टोन ही और थी।

श्री अध्यक्षः मैं आप से अच्छी टोन जानता हूं।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय मेरा जो पहला प्र न था वह अधूरा रह गया था। मैं कह रहा था कि विज्ञापित पोस्ट्स 25 थी और उससे ज्यादा यानी चार–पांच गुणा कैंडीडेटस की सिलैक ान की गई थी। दूसरा मेरा सवाल यह था जो भाायद मुख्य मंत्री जी ने सुना था, वे अब सुन लें। इस लिस्ट में 1/3 अकेले आदमपुर हल्के के है और अगर आदमपुर हल्के के नहीं है तो एक पार्टिकुलर बिरादरी के है। अगर मुख्य मंत्री महोदय चाहें तो मैं पढ़ कर सुना देता हूं। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, कोई कुछ भी कहे। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि यह आरोप कतई निराधार है। दूसरी बिरादरी के लड़के भी इस लिस्ट में है। अगर कोई बिरादरी अब तक पीछे रही है और उसके लड़के अब चुन लिए गए तो इसमें क्या हर्ज है। चुनाव बोर्ड ने किया है। बोर्ड ने जिन को ठीक समझा उन को चुन लिया। भट्टू कलां के भी लड़के इस लिस्ट में है।

प्रो0 सम्पत सिंहः वे आप की बिरादरी के है।

चौधरी भजन लालः अगर कोई बिरादरी अब तक पीछे रह गई है और बोर्ड ने उस बिरादरी के लड़कों को ठीक समझ

कर चुन लिया तो क्या हर्ज है। बोर्ड के सामने बिरादरी का कोई सवाल नहीं है, जिसको योग्य समझा चुन लिया।

New Chhan Minor

***555. Shri Inder Singh Nain:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether any work has been started for the construction of new 'Chhan Minor' in district Hissar; and

(b) if so, the time by which the construction of the said minor is likely to be completed?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala):

(a)Yes.

(b)June, 1984.

श्री इंद्र सिंह नैनः क्या मंत्री महोदय जी बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1984 मे जब माइनर चालू हो जाएगी तो कितने एकड़ भूमि इससे सिंचित हो सकेगी। दूसरा मेरा सवाल यह है कि इस माइनर पर कितनी कौस्ट आएगी?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मैम्बर साहेबान को यह बताना चाहता हूं कि 640 एकड़ भूमि में पानी लगेगा और 2.96 लाख रूपया उस पर खर्च आएगा।

Link Roads for Rohat Constituency

***570. Bhim Singh Dahiya:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the name of link roads sanctioned for the villages falling in Rohat Constituency of Soenpat district during the period from 1-1-1977 to date; and

(b) the name of the roads, out of those referred to in part (a) above, which are yet to be completed togetherwith the reasons for the non-completion of each such road?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) आठ सड़कें जैसा कि अनुबंध–1 में वर्णित है, जो कि विधान सभा के पटल पर रखी जाती है।

(ख) पांच सड़कें जैसा कि अनुबंध–2 में वर्णित है, जो कि विधान सभा के पटल पर रखी जाती है।

अनुबंध–1

1–1–1977 से अब तक प्र ाासकीय रूप से अनुमोदित सड़कों के नाम निम्न प्रकार से है:–

1 रोहतक खरखोदा दिल्ली सीमा से रामपुर

2 भटगांव से रतनगढ

3 पोलंगी से जसराना

4 मटिंडू से गुरूकुल मटिंडू

5 सिलाना से चौलका

6 खंडा से खंडा खुर्द

7 सोनीपत भटगांव सड़क से बागरू खुर्द

8 बिढलाना से मोहाना

अनुबंध–2

सड़कों के नाम जो अभी पूरी नहीं की गई तथा साथ में प्रत्येक ऐसी सड़क के पूरा न होने के कारण निम्न प्रकार से है।

क्रमांक	सड़क का नाम	सड़क के पूरा न होने के कारण	
1	मटिंडू से गुरूकूल मटिंडू	कार्य प्रगति पर है	धन के अभाव के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।
2	सिलाना से चौलका	कार्य प्रगति पर है	धन के अभाव के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।
3	खंडा से खंडा खुर्द	कार्य प्रगति पर	धन के अभाव के

		है	कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।
4	सोनीपत भटगांव सड़क से बागरू खुर्द	कार्य प्रगति पर है	धन के अभाव के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।
5	बिढलान से मोहाना	वितिय कठिनाई के कारण आरम्भ नहीं किया गया	

डा0 भीम सिंह दहिया: स्पीकर महोदय, मुख्य मंत्री महोदय द्वारा यहां हाउस में जो सड़कों की लिस्ट दी गई है, उस में नम्बर 3 पर जो सड़क बताई गई है, वह मेरे हल्के से संबंधित है। बाकि रह गई सात सड़कें उन में से पांच सड़कों पर आज तक काम भुरू नहीं हुआ। 1977–78 में थोड़ा बहुत काम हुआ भी था लेकिन जब से चौधरी भजन लाल जी मुख्य मंत्री बने है, वह काम भी ठप्प पड़ा है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वहां से अपोजी ान का मैम्बर होने के नाते तो यह काम ठप्प नहीं पड़ा है? अगर यह सच है तो क्या इसी कारण से वहां काम नहीं किया जा रहा है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, तीन सड़कों का काम पूरा हो चुका है, सिर्फ पोलंगी से जसराना तक का सौ मीटर का टुकड़ा इस लिए रह गया क्योंकि वहां के जमीन के मालिकों ने हाई कोर्ट से स्टे ले रखी है। अगर जमीन का फैसला हो जाएगा तो यह काम भी बहुत जल्दी पूरा होने की सम्भावना है। बिढलान से मोहाना का साढ़े नौ किलो मीटर का रास्ता है, जोकि वितिय कठिनाइयों के कारण अभी एक आध साल तक नहीं कर पाएंगे।

डा0 भीम सिंहः स्पीकर साहब, क्या मुख्य मंत्री महोदय बतलाने का कश्ट करेगे कि 1977 और 1984 के बीच कितनी ऐसी सड़कें हरियाणा के अंदर बनायी गई है। क्या पौसटी आफ फंडज किसी एक सड़क के लिए ही है या बाकि सड़कों के लिए भी यही स्थिति है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जहां जहां सड़कों की अति जरूरत समझी गई, वहां पर सड़कें बनाई गई है। इन के हल्के की सड़कें भी बहुत जल्दी बनाने की कोि ा ा करेंगे।

Literacy in the State

***569. Chaudhri Balvir Singh Grewal:** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the literacy percentage in the State is lower than the national literacy percentage; and

(b) if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken to raise the literacy percentage in the State?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा):

(क) जी हां, थोड़ी सी।

(ख) ि ाक्षा सुविधाओं का लोगों की सुविधाजनक दूरी तक बढ़ा कर यानी और निकट पहुचा कर वि ोश नामांकन अभियान द्वारा तथा उपयुक्त ि ाक्षा प्रोत्साहनों द्वारा।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले साल जितना बजट ि ाक्षा के लिये निर्धारित किया गया था, पार्टीकुलरली प्राईमरी ऐजुके ान के लिये जो पैसा सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया था, क्या वह पैसा उसी परपज के लिये ही खर्च हुआ है या किसी और काम पर खर्च कर दिया गया है। प्रांत में लिट्रेसी की जो परसैंटेज घटती जा रही है क्या वह इसी बात का परिणाम तो नहीं है कि जिस परपज के लिये पैसा रखा गया था, उस परपज पर खर्च न किया गया हो?

श्री जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है। ि ाक्षा के लिए जो पिछले साल का बजट था, वह था 96 करोड़ 96 लाख। प्राईमरी ऐजुके ान को भी हमने महत्व दे रहे है ताकि अधिक से अधिक ि ाक्षा का फैलाव हो सके।

श्रीमती चंद्रावतीः स्पीकर सर, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो प्राईमरी ऐजुके ान और कम्पलसरी ऐजुके ान के लिये मदद मिली थी, क्या वह पैसा दूसरी स्कीमों पर खर्च कर लिया गया है?

श्री जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है कि वह पैसा दूसरी जगहों पर खर्च किया गया हो।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि प्रांत में लिट्रेसी बढाने के लिये कितने प्राइमरी स्कूल और खोले जा रहे है और कितनों को अप–ग्रेड किया जा रहा है? क्या सरकार के पास कोई प्रोग्राम है?

श्री जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, जहां तक स्कूलों को अप–ग्रेड करने की बात है, हमने 1982–83 में 200 प्राइमरी से मिडल और 89 मिडल से हाई स्कूल अप–ग्रेड किये है। पिछले साल 200 प्राइमरी गर्ल्ज स्कूल नये खोले गये है और इस साल पचास और स्कूल प्राईमरी से मिडल अप–ग्रेड करने की योजना है।

श्री एस0सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने स्कूलों के अप–ग्रेडे ान की बात यहां हाउस में कहीं कि इतने प्राईमरी से मिडल और इतने ही मिडल से हाई स्कूलों में अप–ग्रेड हुए है। मैंने पिछले सै ान में भी हाउस में कहा था कि कुछ स्कूल ऐसे है जो कि सरकार की तरफ से अप–ग्रेड करके डाउन

ग्रेड कर दिये गये थे। मैं एक बात सरकार से कहना चाहता हूं कि लिट्रेसी बढ़ाने के लिये हमारा जो बजट है वह ज्यादा से ज्यादा फीमेल ऐजुके ान पर ही लगना चाहिये क्योंकि अगर मां घर में पढी लिखी होगी तभी वह आगे बच्चें को अच्छी ि ाक्षा दे सकेगी और तभी जाकर लिट्रेसी की परसैंटेज में इजाफा होगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार फीमेल ऐजुके ान को बढावा देने के लिये और अधिक फीमेल हाई स्कूल खोलने का कोई विचार रखती है जिससे कि स्टेट के अंदर ि ाक्षा का सही तरीके से प्रसार हो सके?

श्री जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, मैंने पहले ही बताया है कि पिछले साल लड़कियों के 200 प्राइमरी स्कूल मिडल बना दिये गये है और इसी तरह से आगे से भी हम लड़कियों के स्कूलों को अप–ग्रेड करेंगे। वि ोश तौर पर बैकवर्ड एरियाज में सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वहां पर भी ि ाक्षा का फैलाव हो सके। फिफथ फाईव ईयर प्लान में 1985 तक सैंटर की तरफ से 880 स्कूलों को अप–ग्रेड करने के लिये हमें हिदायत दी गयी थी लेकिन हमने 1981–82 तक 880 स्कूलों को अप–ग्रेड कर दिया जोकि 1985 तक होने चाहिये थे।

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, अप–ग्रेडे ान की बात यहां पर मिनिस्टर साहब ने कही। मैं बताना चाहता हूं कि कई ऐसी इन–एक्सैसीबल जगहें है जहां पर टीचर अपनी डयूटी पर नहीं पहुंचते लेकिन हाजरी भी लग जाती है और तनखाहें भी

मिल जाती है। क्या सरकार इस तरह का कोई इंतजाम करने का विचार रखती है कि मोरनी–हिल के जो इन–एक्सैसीबल एरियाज है, वहां पर लोकल टीचर्ज को ही अप्वायंट किया जाए ताकि वे लोग इंट्रैस्ट के साथ वहां बच्चों को पढा सकें?

श्री जगदी ा नेहराः जिन एरियाज का सरदार लछमन सिंह जी ने जिक्र किया है कि वहां पर टीचर्ज नहीं पहुंचते, वहां पर बाकायदा चैकिंग की जाती है। मैंने खुद भी सैकड़ों स्कूलों में जाकर चैक किया है अब वहां पर टीचर हाजिर रहते है। जहां तक मोरनी हिलज के इनएक्सैसीबल एरियाज का ताल्लुक है कि वहां के मास्टर वहां पर ही नियुक्त किये जाएं, ऐसा इसलिये नहीं हो सकता कि इस इलाके में अभी इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है। फिर भी हम कोि ा ा करेंगे कि डिफीक्लटीज वाली जगहों पर नजदीक से नजदीक के ही मास्टर्ज लगाएं जाएं जोकि अपनी डयूटी को सही तौर पर निभा सके और बच्चों की पढाई का भी नुक्सान न हो।

चौधरी ओम प्रका ाः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पिछले साल ऐलीमैंट्री ऐजुके ान के लिये 314 लाख रूपया खर्च किया गया था। और इस साल यह घटकर 224.27 लाख रूपया रह गया है, इसके क्या कारण है, यह इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया है?

श्री जगदी ा नेहरा: ऐसी बात नहीं है स्पीकर साहब, हमने तो आगे भी सप्लीमैंटरी के द्वारा 9 करोड़ 37 लाख रूपये की मांग की है। इसलिये जिस परपज के लिये जितना बजट हमारा था, वह पूरे का पूरा उसी परपज के लिये खर्च किया गया है। लिट्रेसी की परसैंटेज में फर्क कोई ज्यादा नहीं है। हमारे हरियाणा की फिगर्ज है 35.84 और हिंदुस्तान की 36.17 केवल .33 का ही फर्क है।

श्री अध्यक्ष: अब सवालों का समय समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

S.Y.L. Canal Project Organisation

***581. Shri Mangal Sein, Shri Hira Nand Arya, Master Shiv Parshad:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that the Punjab Government has taken a decision during the year 1984 to disband the S.Y.L. Canal Project Organisation ; and

(b) if so, the step, if any, taken or proposed to be taken by the Government to ensure execution of work on the S.Y.L. Canal Project in the Punjab portion?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला):

(क) नहीं, पंजाब का एस0वाई0एल0 संगठन भंग नहीं किया गया। हमारी प्रार्थना पर अमले की गिनती की जांच की जा रही है और उसे घटाया जा रहा है।

(ख) इस प्रौजैक्ट के निमार्ण की धीमी गति के कारण, यह मामला केंद्रीय सरकार को रैफर किया गया है, जैसा कि 31–12–1981 के त्रिपक्षीय इकरारनामा में व्यवस्था है। केंद्रीय सरकार से प्रार्थना की गई है कि वह एस0वाई0एल0 नहर के काम को स्वयं करवाये या इसे केंद्रीय सरकार की एजैंसियों से जैसा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधक बोर्ड/ब्यास निर्माण बोर्ड आदि से पूरा करवाये। इसके फलस्वरूप कैबिनेट सचिव, भारत सरकार ने अपने स्तर पर दो बैठकें बुलाई है तथा पंजाब सरकार से बातचीज की है ताकि परियोजना को भीघ्र अति भीघ्र पूरा किया जा सके।

Street Light in Hassangarh Constituency

***682. Shrimati Basanti Devi:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the names of villages in Hassangarh Constituency provided with street lights togetherwith the basis on which electricity charges are being billed.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

जहां ग्राम पंचायतो ने स्ट्रीट लाइट कनैक ानों के लिए समझौता नहीं किया है उनसे बिजली बोर्ड प्रत्येक ग्राम

निवासी घरेलू एवं व्यवसायिक उपभोक्ता से एक रूपया प्रतिमास स्ट्रीट लाईट देखभाल के लिए सामान्य और सेवा चार्जिज के ि ाड्यूल्ड के अनुसार बिजली उपभोग चार्ज करता है।

विवरण

हसनगढ़ चुनाव क्षेत्र में गावों के नाम	
1	करोथा
2	पहरवार
3	मायना
4	कन्हली
5	कारौर
6	सिमली
7	खेड़ी साध
8	चुलियाना
9	कहलावड़
10	गांधरा

11	दतौड़
12	अटाल
13	मोरखेड़ी
14	पाक्समा
15	कसरैंटी
16	बलियाना
17	नौनंद
18	रोहना
19	हसनगढ
20	ईस्माईला (9 बिस्वा)
21	समचाना
22	गीजी
23	ईस्माईला (11 बिस्वा)
24	सांपला
25	गढी सांपला

26	खेड़ी सांपला
27	नया बांस
28	रिटोली
29	कबूलपुर
30	मातना
31	बालंद
32	सुनारी कलां
33	डोभ
34	सुनारी खुर्द

Delaration of Kurkushetra District as Industrially Backward Area

***656. Chaudhri Sahab Singh Saini:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to declare Kurukshetra district as an Idustrially Backward Area:

(b) if so, the time by which the said district is likely to be delcared as such; and

(c) whether any Industry in the Public Sector is also proposed to be set-up in Kurukshetra district?

उद्योग मंत्री (श्रीमती भाकुंतला भगवाड़िया):

(क) जी नहीं।

(ख) प्र न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

Grain Market at Village Bass

***664. Shri Verender Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the consturction work of Grain Market in village 'Bass' Tehsil Hansi, District Hissar has been stopped; and

(b) if so, the reasons therefore togetherwith the time by which the aforesaid construction work is likely to be restarte/completed?

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल):

(क) जी नहीं।

(ख) कार्य प्रगति पर है और इसके जून, 1984 तक पूरा होने की सम्भावना है।

50% Reservation of Posts for Balmikis and Mazhabi Sikhs

***678. Shri Manphool Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Haryana Government to increase the limit of reservation of posts in Government service to the extent of 50% for Balmikis and Mazhabi Sikhs in the State?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): नहीं जी।

Drinking Water from Bhakra Canal for Ambala City

***645. Mster Shiv Parshad:** Will the Chief Minster be pleased to state-

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to bring drinking water from Bhakra Canal to Ambala City; if so, the date on which the sanction for the said scheme was accorded; and

(b) the time by which the afore-said scheme is likely to be implemented?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी हां। 10—3—1981.

(ख) योजना का कार्य चल रहा है तथा मार्च, 1987 तक पूरा होने की सम्भावना है।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने कल दो अटैं ान मो ांज आपकी सेवा में प्रस्तुत किए है। ये दोनो बडे सीरियस मामले है। हमारे प्रदे ा में आरमी के सोलजर्ज और आफिसर्ज काफी मात्रा में है। एक इसी तरह के मेजर जनरल दरियाओं सिंह, एफ0आर0सी0एस0 है। गवर्नमैंट ने अ योर किया था कि उनके हार्ट के आप्रे ान का खर्चा गवर्नमैंट बर्दा ात करेगी..... .....

श्री अध्यक्षः डा0 साहब वह अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है। जब मेरे पास आएगा तो मैं उसे कंसीडर करूंगा।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, दूसरा मामला यह है कि आपने अखबारों में पढा होगा कि हरियाणा में लाखों मजदूर रहते है। उनके डिस्पयूट लेबर कोर्टस और ट्रिब्यूनल कोर्टस में चल रहे है लेकिन पिछले सवा या डेढ साल से इन कोर्टस में प्रिजाइडिंग अफसर नहीं है। लगभग 150 मुकदमें पैंडिंग पड़े है। हाई कोर्ट ने इनको ..... लगाई है और डायरैक्ट किया है कि 6 तारीख तक आपको प्रिजाईडिंग अफसर अप्वायंट करने पड़ेंगे। ये हाउस में अमैंडिंग बिल लाएं क्योंकि यह मामला बड़ा सीरियस है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः फटकार का भाब्द रिकार्ड में नहीं आएगा। डा0 साहब यह मो ान भी अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है। जब मेरे पास पहुंच जाएगा तो मैं इसे कंसीडर करूंगा।

श्रीमती चंद्रावतीः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी को जब भी हम कोई बात कहते है तो ये कहते है कि उसका सबूत दो। सबूत तो हर बात का गवर्नमैंट के पास होता है इसलिये इनको सुओ मोटो एक ान लेना चाहिए। अभी पिछले महीने के पहले हफ्ते में मुख्य मंत्री जी नौलया गये थे। इनके मुताबिक वहां पर इनको पौने दो लाख रूपये भेंट किए गए लेकिन मेरी इतलाह के मुताबिक वहां पर नौ लाख रूपये इक्ट्ठे हुए। मै चाहता हूं कि इस मामले की इन्क्वायरी की जाए। (ाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि मैं नौलथा गया था और नौलथा हल्के में लोगों ने मरे गले में 1,93,400 रूपये के हार डाले जोकि मैंने प्रदे ा कांग्रेस कमेटी को उसी समय दे दिये। एक–एक आदमी ने इतने–इतने पैसे दिए। वहां पर किसी भी आदमी ने यह नहीं कहा कि मैंने पैसे दिए थे और मेरा नाम लिस्ट में नहीं डाला गया। इनका यह ऐलीगे ान बेसलैस है।

श्रीमती चंद्रावतीः आप इसकी इंक्वायरी करवा लें कि पंचायत के लोगों से तथा दूसरे लोगों से कितने पैसे इक्ट्ठे किए गए। (ाोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले बताया कि वहां पर बाकायदा लिस्अ अनाउंस हुई थी। किसी भी

आदमी ने यह नहीं कहा कि मेरा नाम उस लिस्ट में दर्ज नहीं हुआ या अनाउंस क्यों नहीं हुआ। (ाोर)

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैं ान मो ान दिया था। बच्चों के इम्तहान भाुरू होने वाले है हरियाणा में सरकार के जो पुस्तक विक्रेता भंडार है उनसे बच्चों को एक भी किताब नहीं मिल पाई है।

श्री अध्यक्षः आर्य साहब, वह मो ान अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है। जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसे कंसीडर करूंगा।

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि जिन लोगों ने हार डाले थे उनकी लिस्ट सबको सुनाई गई थी। मुख्य मंत्री जी यह भी बताएं कि वहां पर कितने कर्मचारी थे और उनके रि तेदार कितने थे ताकि सही बात का पता चल पाए। (ाोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आर्य जी बहुत पुराने मैम्बर है। हम तो बड़े खु ाकिस्मत है कि इन्होंने एक दिन में 6 बार पार्टी बदली। इस वजह से दोबारा इलैक्ा ान हुए और हम एम0एल0ए0 बन कर आ गए। इसलिए मैं तो इनका बड़ा भाुक्रगुजार हूं । अध्यक्ष महोदय, जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस मामले में इनको परम वीर चक्र मिलेगा। गवर्नर साहब ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हीरा नंद आर्य को कोई मात नहीं

कर सकता। जो आदमी एक दिन में 6 बार पार्टी बदलता है उसके पास सिवाए लांछन लगाने के या इलजाम लगाने के और कोई बात नहीं होती। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह पूछा कि नौलथा में सरकारी आदमी कितने थे? किसी भी सरकारी आदमी ने कोई माला मेरे गले में नहीं डाली है। यह इलजाम भी इनका गलत है। (ाोर)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, हाउस में लीडर आफ दि अपोजी ान ने एक स्पैसिफिक और डैफिनिट प्रिसाइज बात कहीं जिस पर मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार हूं (ाोर) आर्य जी के प्र न पर थोड़े से वे आगे बढ़ गए। कहने लगे कि दल बदलने का पदम श्री एवार्ड इनको नहीं मिलना चाहिए बल्कि मुझे मिलना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हमें ऐतराज नहीं है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, यह एवार्ड देगा कौन?

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब यह तो इनसे पूछें। मेरी तो सबमि ान यह है कि मामला बड़ा सीरियस है और इसको सैट–असाइड नहीं करना चाहिए। यहां पर इनके एक कैबिनिट कुलीग के बारे में बात कही गई है, इनको उसे सीरियसली लेना चाहिए कि वे इसके लिए हाउस की एक कमेटी बनाने के लिए तैयार है। दूसरे अगर कोई आदमी एलीगे ान लगाए कि नौलथा

मे नौ लाख रूपया इक्टठा हुआ था तो क्या उसकी इंक्वायरी करवाने के लिए भी ये तैयार है? (ाोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में किसी आदमी ने भी लिख कर नहीं दिया और न ही किसी ने ि ाकायत की है। आज बहिन जी ने यह प्वायंट रेज किया है। उससे पहले किसी भी लोकल आदमी ने उस बारे में कुछ नहीं कहा। फिर भी मैं हाउस की तसल्ली के लिए इस बात की जरूर पूछताछ करवा लूंगा। किसी भी आदमी ने अलग से तो कोई पैसा दिया ही नहीं। किसी ने थैली भेंट की हो और उसका नाम लिस्ट में न आया हो, ऐसी बात नहीं है। वहां पर एक–एक आदमी का नाम बाकायदा पढ कर सुनाया गया। अगर अपने तौर पर इनके पास कोई आदमी आया हो कि मैंने पैसा दिया था लेकिन मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया तो उस बारे में ये मेरे को लिख कर भेज दें, मैं इंक्वायरी करवाउंगा। मैं इसका चैक–अप करवाउंगा लेकिन ऐसी बात मिलने का सवाल मेरे ख्याल में नहीं हो सकता।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण–

श्री हीरा नंद आर्य द्वारा–

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेने ान देना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने मुझ पर इलजाम लगाया कि मैंने दिन में 6 बार दल बदला। यह मुझ पर निराधार इलजाम लगा रहे हैं। जिस प्रकार से.....

.....उस प्रकार से मैंने दल नहीं बदला था। मैंने तो कुर्सी को ठोकर मारी थी। यह तो उस वक्त के राजनैतिक नेताओं की साजि ा का नतीजा था। (ाोर)

श्री अध्यक्षः ऐसी बाते रिकार्ड में नहीं आएगी। (विघ्न) जो डैरोगेटरी बात कही गई है, वह एक्सपंज कर दी जाए।

श्री हीरा नंद आर्यः कोई आदमी यह साबित कर दें कि मैंने लोभ लालच के लिए ऐसा किया था तो मैं अस्तीफा देने के लिए तैयार हू। (ाोर)

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, आप थोड़ा हाउस को डैकोरम रखें। यह बात ठीक है कि गर्मागर्मी में कुछ ऐसे भाब्द इस्तेमाल हो जाते है। आर्य साहब आपने अपनी पर्सनल एक्सप्लेने ान दे दी अब आप बैठ जाएं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने कैटेगरिकली आनरेबल मैम्बर श्री हीरा नंद आर्य जी को यह कहा कि वे डिफैक ान के हैबीच्युवल है, इस लिए उनको दल बदलने का एवार्ड मिलना चाहिए लेकिन आर्य साहब ने अपनी पर्सनल एक्सप्लेने ान देते समय यह कहा कि इनकी यह बात सरासर गलत है और मैंने इनसे कम दल बदले है। इसके अलावा आर्य साहब ने दूसरी ऐसी कोई बात नहीं कहीं लेकिन आपने यह कहा कि इनकी बात को एक्सपंज कर दिया जाए।

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, मैंने तो यह कहा कि जो डैरोगेटरी वर्ड इस्तेमाल किए गए है वे एक्सपंज कर दिए जाएं। (ाोर)

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैंने डैरोगेटरी वर्ड नहीं कहे। (ाोर)

श्री अध्यक्षः आर्य साहब मैंने भी यही कहा है कि यदि आनरेबल मैम्बर ने कोई डैरोगेटरी वर्ड बोले है तो उनको एक्सपंज कर दिया जाए। अगर आपने कोई डैरोगेटरी वर्ड नहीं बोले है तो एक्सपंज नहीं किए जाएंगे। (ाोर)

सहकारिता तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी बीरेंद्र सिंह): स्पीकर साहब, पहले हरियाणा में यह प्रोवर्ब चली थी कि आया राम गया राम। वह तो गलत है इसकी जगह हीरा लाल पन्ना लाल होना चाहिए। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी सुरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा हाउस के सामने एक सबमि ान करना चाहता हूं। मेरी सबमि ान यह है कि चंद रोज पहले राव निहाल सिंह जी ने आपके सामने एक परपोजल रखी थी और रिक्वैस्ट की थी, आपने उनकी बात को मद्देनजर रखते हुए उनकी रिक्वैस्ट मान ली थी। राव निहाल सिंह जी ने यह बात कही थी कि आज का एम0एल0ए0 पिक्चर हमें दिखाई जानी चाहिए, आपने इस बात को मान लिया था। मैं इस बारे में एक बहुत ही सीरियस बात

कहना चाहता हूं । कल मैंने अपने किसी दोस्त के यहां पर पिक्चर देखी है। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हो, उस पिक्चर को देखने के बाद यह कहेगा कि यह पिक्चर वास्तव में हरियाणा की पोलिटिक्स पर बनाई गई है और हरियाणा के लिए ही डिसप्ले की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हमें वह पिक्चर दिखाई जाएगी। इसलिए आपके जरिए मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि एल0आर0 और ए0 जी0 आफिस के आदमियों को भी वह पिक्चर दिखाई जाए। ताकि वे उस पिक्चर को बैन करने के बारे में अपनी ओपीनियन फार्म कर सकें। We should launch prosecution against the producer, director and whatever they are.

चौधरी साहब सिंह सैनीः स्पीकर साहब, कल मैंने हुड्डा के बारे में आपकी सेवा में एक काल अटैंशन मोशन का नोटिस दिया था। मैंने अपने नोटिस में यह कहा है कि हुड्डा बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने के लिए या किसी दूसरे परपज के लिए जमीन एक्वायर करके देता है। इसी प्रकार से कुरूक्षेत्र जिले में रतगुल, देवीदासपुर और सुंदरपुर गांवों की जमीन हुड्डा एक्वायर कर रहा है जिसके कारण वहां पर सैंकड़ों गरीब परिवार उजड़ जाएंगे।

श्री अध्यक्षः मैंने वह मोशन डिस–अलाउ कर दी है। आपके पास उसकी इंफर्मेशन आ जायेगी।

श्री हरि चंद हुड्डा: स्पीकर साहब, मैंने भी आपके सेवा में एक काल अटैंशन मोशन का नोटिस दिया था लेकिन आपने वह रिजैक्ट कर दिया। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि मैंने उस काल अटैंशन मोशन के नोटिस में यह कहा था कि सरकार ने रोहतक में गोहाना रोड पर साढ़े नौ सौ एकड़ जमीन एक्वायर की थी और उसका लगभग सत्तर लाख रूपया मुआवजा किसानों को दे दिया था लेकिन एक बहुत तगड़े आदमी के कारण वह जमीन एक्वायर की थी और उसका लगभग सत्तर लाख रूपया मुआवजा किसानों को दे दिया था लेकिन एक बहुत तगड़े आदमी के कारण वह जमीन ज्यों की त्यों पड़ी हुई है और अब जबकि उस जमीन की एक्वायर करने के लिए सैक्शन चार और सैक्शन छः का नोटिस हो चुका था इस वजह से वह मुआवजे की रकम अभी तक उलझी हुई है। इसी तरह से रोहतक बाईपास पर सरकार ने जमीन एक्वायर करने के लिए सैक्शन चार का नोटिस किया था और सैक्शन 6 का नोटिस अभी जारी होना था लेकिन थमजअप वालों ने वह जमीन भी एक्वायर नहीं होने दी।

श्री अध्यक्ष: वह भी मैंने डिस–अलाउ कर दी है आपके पास इंफर्मेशन भेज दी गई है। भाायद वह भी आपको मिल गई होगी।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, मैंने भी एक काल अटैंशन मोशन का नोटिस आपकी सेवा में दिया था। हरियाणा

सरकार ने हरिजनों के नाम पर यह वाबेला मचा रखा है कि हम हरिजन बस्तियों में स्ट्रीट लाइट दे रहे है लेकिन जो स्ट्रीट लाइट जिन हरिजन बस्तियों में लगाई हुई है, उन पर एक भी बल्ब नहीं लगाया हुआ है। मैंने इस बारे में आपकी सेवा में नोटिस दिया था उसके बारे में आपने क्या फैसला दिया है?

श्री अध्यक्षः वह डिस–अलाउ हो चुका है और आपके पास उसकी इंफर्मे ान जाएगी।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, आपने उसको डिस–अलाउ करके हमारे साथ अन्याय किया है। आपको वह नोटिस डिस–अलाउ नहीं करना चाहिए था।

चौधरी कुंदन लालः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि बहिन चंद्रावती जी ने पार्टी के नाम पर जो 13 लाख रूपए इक्ट्ठे किए थे क्या उसकी इन्कवायरी करवाएंगे। (ाोर)

प J पालन राज्य मंत्री (चौधरी लाल सिंह): स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत अर्ज करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, मैं आपकी कुर्सी की बहुत इज्जत करता हूं और आपकी भी बहुत इज्जत करता हूं। आज के ट्रिब्यून में और कल के ट्रिब्यून में, दूसरे पेपरों में नहीं, यह खबर छपी है कि स्पीकर साहब ने चौधरी लाल सिंह पर बहुत झाड़ डाली है। स्पीकर साहब, मैंने ऐसा कौन सा जुल्म किया है जिसके कारण यह लिखा गया है

कि आपने मुझ पर झाड़ डाली। मैं यह आपसे जानना चाहता हूं और आप सारे हाउस को साफ भाब्दों में यह बता दें कि मेरा क्या कसूर था जिसके कारण ऐसा लिखा गया। जब मेरा कसूर नहीं तो ट्रिब्यून ने यह कैसे छापा है?

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, चौधरी लाल सिंह जी बड़े भोले भाले और काफी पुराने मैम्बर है। ये मुझ से जवाब तलबी कर रहे है। मैंने इनके ऊपर कोई झाड़ नहीं डाली। यह सारा हाउस इस बात को देखता रहा है कि मैंने चौधरी लाल सिंह जी पर कोई झाड़ नहीं डाली। पता नहीं इनको यह गलतफेहमी कैसे हो गई। मैंने इनके ऊपर कोई झाड़ नहीं डाली। पता नहीं इनको यह गलतफेहमी कैसे हो गई। मैंने इनके ऊपर कोई झाड़ नहीं डाली।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा क्योंकि यह बहुत सीरियस बात है। क्या हाउस का कोई मैम्बर आपकी जवाब तलबी कर सकता है?

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने आपकी सेवा में एक काल अटैं ान मो ान का नोटिस दिया था। मैंने उसमें यह कहा था कि हिसार लाइव स्टोक फार्म एि ाया का बसे बड़ा फार्म है उस फार्म की तीस एकड़ जमीन सरकार ने एक्वायर करके हरियाणा के गजटिड

आफिसर्ज को 25–30 रूपए गज के हिसाब से दे दी है। उस जमीन का बाजारी मूल्य 150–200 रूपए गज है। आज से चार पांच साल पहले क्लास थ्री और क्लास फोर के सरकारी कर्मचारियों ने भी इस जमीन के लिए सप्लाई किया था लेकिन उनको यह जमीन नहीं दी गई। गजटिड आफिसर्ज को यह जमीन इसलिये दी गई है क्योंकि उनमें से कुछ सरकार के बल्यूआइड आफिसर्ज है, जो सरकार के हर काम में मदद करते है।

श्री अध्यक्षः वह मैंने डिसअलाउ कर दिया है। (ाोर एवं विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब करोड़ों रूपये की जमीन इस सरकार ने एक्वायर करके गजटिड आफिसर को दे दी है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः मैंने आपको बता दिया है कि वह मैंने डिसअलाउ कर दिया है। आपकी बाकायदा रूल कोट करके और रीजंज लिख करके इंफर्मे ान भी भेज दी है अगर आपकी तसल्ली नहीं है तो मेरे चैम्बर में आ करके मुझे से मिल लेना। (ाोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। वहां पर एक कोआप्रेटिव सोसाइटी बनाई है। जिसमें लगभग 300 आफिसर्ज है। उन आफिसर्ज ने मकान बना कर रहने के लिए उस जमीन की मांग की थी, इसलिए सरकार ने उनको वह जमीन दी है। (ाोर)

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, हाउस के भी किसी मैम्बर ने उस जमीन को लेने के लिए 250 रूपए गज के हिसाब की औफर दी थी। (ाोर)

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, हाउस के भी किसी मैम्बर ने उस जमीन को लेने के लिए 250 रूपए गज के हिसाब की औफर दी थी। (ाोर)

चौधरी भजन लालः यदि आप तैयार है तो लिख करके दीजिए।

श्री कंवल सिंहः हम तैयार है। (ाोर)

चौधरी भजन लालः यदि आप तैयार है तो लिख करके दीजिए।

श्री कंवल सिंहः हम लिख करके देने के लिए तैयार हैं। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, वह जमीन बहुत उंची–नीची और उबड़ खाबड़ है। उस जमीन के अंदर आज तक एक भी दाना पैदा नहीं हुआ है। इसलिए वह जमीन मकान बनाने के लिए आफिसर्ज को दी गयी है।

श्री कंवलः उस जमीन को लेने के लिए हमने 250 रूपये गज के हिसाब से औफर कर दी थी। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैंने उस पर अपनी रूलिंग दे दी है। यह मो ान मैंने रूल्ज के हिसाब से डिस–अलाउ की है। उसमें यदि आपको कोई भाक लगता हो तो आप मेरे चैम्बर में आ कर मेरे से बात कर सकते है। (ोार)

श्रीमती चंद्रावतीः जब मुख्यमंत्री जी ने यहां पर जवाब दे दिया है तो यह बात ओपन हो गयी है। (ाोर) हमारे एम0एल0एज0 कह रहे है कि उस जमीन को हम 250 रूपये गज के हिसाब से लेने के लिए तैयार है जबकि इनकी तरफ से उस जमीन को सिर्फ 25 रूपये गज के हिसाब से अधिकारियों को दिया गया है। इन आफिसर्ज के पास तो पैसे का साधन भी है। जो इन्होंने किया है, वह बड़ा गलत किया है। ऐसा करके सरकार खुलमखुल्ला फेवरेटीज्म और नैपोटीज्म कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, ला एंड आर्डर की सिचुए ान के बारे में जो हमने काल अटैं ान मो ान दी थी उसका जवाब दिया जाना था। उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, कल बात हो गई थी कि वह मामला काफी लंबा है और उसके बाद में क्वै चन पूछने में डेढ दो घंटे लग जाने है। इसलिए वह हम तीस तारीख के बाद लगाएंगें। (विघ्न) आप कल खुद ही मान गए थे। (विघ्न) उसमे आपका टाईम लग जाएगा और बजट पर बोलने के लिए टाईम

कम मिलेगा। (विघ्न) अब मैं उसे दो अप्रैल के लिए लगा रहा हूं। आप इसको नोट कर लीजिए।

श्री मंगल सैनः ठीक है जी।

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

श्री अध्यक्षः अब एक मंत्री हाउस की टेबल पर पेपर रखेंगे।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala):

Sir I beg to lay on the Table of the House-

The Transport Department Notification No. G.S.R. 20/C.A. 4/30/Ss. 24 and 41/Amd. (I)/83, dated the 4th February, 1983, regarding the Punjab Motor Vehicles. (Haryana 1st Amendment) Rules, 1983, as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939

The Transport Department Notification No. G.S.R. 57/C.A. 4/39/S. 41/83 dated the 30th August, 1983, regarding the Punjab Motor Vehicles. (Haryana 2nd Amendment) Rules, 1983, as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939

The Transport Department Notification No. G.S.R. 75/C.A. 4/39/S. 24/83 dated the 20th December, 1983, regarding the Punjab Motor Vehicles. (Haryana Fourth Amendment) Rules, 1983, as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939

The 14th Annual Statement of Accounts for the year 1980-81 of the Haryana State Electricity Board, as required under section 69 (4) and (5) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

The Administration Report for the year 1981-82 of the Haryana State Electricity Board, as required under section 75 (IA) of the Electricity(Supply) Act, 1948.

The 15th Annual Statement of Accounts for the year 1981-82 of the Haryana State Electricity Board, as required under section 69(4) and (5) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

The Annual Financial Statement for the year 1983-84 Budget Estimates and Revised Estimates for the year 1982-83 of the Haryana State Electricity Board, as required under section 61 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

The Statement showing Loans raised by the Haryana State Electricity Board upto 15-1-1984 for which the State Government stood guarantee for repayment thereof under section 66 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

सरकारी संकल्प

एस्टेट डियूटी एक्ट, 1953 में अमैंडमैंट संबंधी

Finance Minister(Chaudhri Katar Singh Chhokar): Sir I beg to move-

WHEREAS by a resolution passed by the Haryana Legislative Assembly in pursuance of clause (I) of articles 252

of the Constitution on the 2nd April, 1982 estate duty in respect of agricultural land is now regulated in the State of Haryana by the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), as passed by Parliament.

AND WHEREAS it apears to this Assembly to be desirable that the Estate Duty Act, 1953 shall cease to apply to the levy of estate duty in respect of agricultural land situate in the State, and for this purpose necessary amendments should be made in the Act,

AND WHEREAS it appears to this Assembly that the Act aforesaid should be further amended to provide for the following matters, namely:-

(i) to omit the provisions of the said Act relating to aggregation of agricultural land with other property for the purpose of determining the rate of estate duty;

(ii) to amend sub-section (3) of section 85 of the said Act relating to the laying of rules before both houses of Parliament so as to bring it in conformity with the model rule laying formula as approved by the Committees on Subordinate Legislation of both Houses of Parliament;

NOW, THEREFORE, this Assembly hereby resolves, in pursuance of article 252 of the Constitution, that the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) may be amended by parliament to provide for the aforesaid matters.

Mr. Speaker: Motion moved-

"WHEREAS by a resolution passed by the Haryana Legislative Assembly in pursuance of clause (I) of article 252

of the Constitution on the 2nd April, 1982, estate duty in resect of agricultural land is now regulated in the State of Haryana by the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), as passed by Parliament.

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the Estate Duty Act, 1953 shall cease to apply to the levy of estate duty in respect of agricultural land situate in the State, and for this purpose, necessary amendments should be made in the Act,

AND WHEREAS it appears to this Assembly that the Act aforesaid should be further amended to provide for the following matters, namely:-

(i) to omit the provisions of the said Act relating to aggregation of agricultural land with other property for the purpose of determining the rate of estate duty;

(ii) to amend sub-section (3) of section 85 of the said Act relating to the laying of rules before both houses of Parliament so as to bring it in conformity with the model rule laying formula as approved by the Committees on Subordinate Legislation of both Houses of Parliament;

NOW, THEREFORE, this Assembly hereby resolves, in pursuance of article 252 of the Constitution, that the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) may be amended by parliament to provide for the aforesaid matters.

श्री मंगल सैन(रोहतक): स्पीकर साहब, इस रैजोल्यू ान के पैरा 3 की सब क्लाज (2) में लिखा है–

"to amend sub-section (3) of section 85 of the said Act relating to the laying of rules before both Houses of Parliament so as to bring it in conformity with the model rule laying formula as approved by the Committees on Subordinate Legislation of both Houses of Parliament:-"

इस बारे में मेरी अर्ज यह है कि पिछले 4–5 दिनों से मैं पार्लियामैंट की सबोर्डिनेट लेजिस्ले ान कमेटी द्वारा एप्रुव किए गए फार्मूले को ढूंढता रहा हूं। मैंन विधान सभा सचिवालय के जो रिसर्च आफिसर है उनसे भी रिक्वैस्ट की थी कि मुण्े इस फार्मूलें को ला कर दें। इस संबंध में उन्होंने मुझे बताया कि यह हमारे पास लाईब्रेरी में नहीं है। मेरी गुजारि ा है कि न तो यह फार्मूला विधान सभा में मिला और न ही रिसर्च आफिसर के पास मिला। यह पार्लियामैंट की चीज है। जब तक यह चीज हमें नहीं मिल जाती तब तक बगैर पढे हम क्या राय हाउस में दे सकते हैं। यदि इस संबंध में हमें सारी चीजें डिटेल में मिल जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बगैर हम हैंडीकैपड है।

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, आप मेरे से सहमत होंगे कि विधान सभा के सभी एम्पलाईज आपको पूरा सहयोग दे रहे है। इसलिए आप उनके बारे में न कहे तो अच्छा रहेगा।

श्री मंगल सैनः मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। He is very much helpful. वे बड़ी सहायता करते है। इस बात के लिए मैं उनका एहसानमंद हूं। उन्होंने यह कहा है कि यह चीज हमारे पास लाईब्रेरी में नहीं है। In the absence of those formulae

which were submitted to the Parliament. जब तक हमें पूरी डिटेल में मैटिरियल नहीं मिल जाता तब तक हम क्या सुजै ान हाउस के सामने दे सकते है। सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब गवर्नमैंट कोई प्रस्ताव हाउस के सामने लाती है तो उस को आंखें बंद करके तो पास नहीं करना चाहिए। कोई चीज पास करते समय सारी बातें देखनी पड़ती है। संविधान में क्या प्रोविजन है, गरीबों को ऊपर कैसे ले जाना है और पूंजीपतियों के पास ज्यादा पूंजी न हो, ऐसी चीज तो पढने से ही मालूम होगी। मैटिरियल न होने की वजह से हमें राय देने में बहुत कठिनाई आ रही है। संविधान के आर्टिकल 252 में है कि पार्लियामैंट उस विशय पर कानून बना सकती है जिस पर एक या एक से ज्यादा स्टेट भाामिल हों या सहमत हो। **11.00 बजे** स्पीकर साहब, एस्टेट डियूटी के बारे में पूरी तरह से स्पश्ट है। एक आदमी जो मर जाता है और इतनी प्रौपर्टी छोड़ जाता है, इसके लिए गवर्नमैंट आफ इंडिया का कानून है और उस कानून में सलैबज फिक्स की हुई है। यह इग्नोरेंट ला है और आन दि फेस आफ इट वह बड़ा मासूम लगता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो एग्रीगे ान आफ एग्रीकल्चर लैंड है इस पर एस्टेट डियूटी न लगाई जाए। अगर इस रैजोल्यू ान के तहत गांव में रहेन वाले किसान को, जो जमीन का मालिक है उसको एस्टेट डयूटी से एग्जम्पट करना है तो बड़ी अच्छी बात है। जमींदार को एग्जैम्पट करना ही चाहिए क्योंकि आज के जमाने में बहुत से जमींदारों के पास स्माल होल्डिंग है अन–इकोनोमिक होल्डिंग है।

न तो इनके पास पैसे रहते है और न ही इतनी जमीन होती है इसलिए इन छोटे जमींदारों को एग्जैम्पट करना ही चाहिए। अगर इस रैजोल्यू ान का मन ाा यह है कि भाहरों में करोड़ों की सम्पति के मालिक को, कारखानेदारों को, पूंजीपतियों को जिन के पास पैसे का ठिकाना नहीं है और नम्बर दो के पैसे को नम्बर वन में कंवर्ट करने में लगे रहते है हल नहीं चलाते, खेती की खुद देखभाल नहीं करते और रिकार्ड में फर्जी एंटरी करके नम्बर दो का लाखों रूपया कमाते है, टैक्से ान स्ट्रक्चर को आउट–बिट कर देते है, उनको फायदा पहुंचाना है तो हम इस रैजोल्यू ान को अपौज करेंगे। जिस आदमी की प्रौपर्टी भाहरों में है, कारखानें है और उसके साथ बहुत सी सम्पति जुडी हुई है उस पर एस्टेट डियूटी लगनी चाहिए। स्पीकर साहब, रैजोल्यू ान पे ा करने से हुई है उस पर एस्टेट डियूटी लगनी चाहिए। स्पीकर साहब, रैजोल्यू ान पे ा करने से पहले हमें सैंट्रल गवर्नमैंट के रूलज नहीं दिखाए गए, इसमें हमें हैंडीकैप्उ रखा गया। क्या विधान सीाा के सैक्रटेरिएट में सैंटर के रूलज नहीं है? स्पीकर साहब, जो मौडल रूल्ज पार्लियामैंट में ले–डाउन किये है और पार्लियामैंट की सुबार्डिनेट लैजिस्ले ान कमेटी ने जो रूलज फार्मुलेट किए है अगर वे हमारे सामने नहीं है तो हम क्या अंदाजा लगाएं कि किस के हित में यह अमैंडमैंट की जा रही है। इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर यह किसान तक ही संबंधित है और किसान को एस्टेट व डयूटी से एग्जम्पट करना है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि वित मन्त्री महोदय इस बात को स्पश्ट करें। अगर यह

किसान से सम्बन्धित नही है, बड़े–बड़े पूजिपतियों को मालामाल करने वाली बात हैं तो बहुत बुरी बात हैं। वैसे सरकार का हर कदम प्रो–कैंविटालिस्ट हैं, कहने को तो यह अपने आप को समाजवादी धारा की सरकार कहतमी हैं लेकिन वास्तव में नही हैं। मैं यहीं प्वायंट आउट करना चाहता था, वित्त मंत्री महोदय इसका स्पश्टीकरण दें।

श्री वीरेन्द्र सिंह(नारनौद): अध्यक्ष महोदय, जो रेजोन्यू ान फाईनैंसमिनिस्टर साहब ने सदन में पें ा कियास हैं, मैने यह सारा पढा हैं और इसका मैं पूरे तौंर पर समर्थन करता हूं। इसके पैरा दो में लिखा हैं:–

"And whereas it appears to this Assembly to be desirable that the Estate Duty Act, 1953 shall cease to apply ot the levy of estate duty in respect of agricultral land situate in the States, and for this purpose, necessary emendments should be made in the Act."

and Sub-Clause(i) of para reads as under:-

"To omit the provisions of the said Act relating to aggregation of agrlcultural land with other property for the purpose of determining the rate of estate duty."

It is very clear. इसके तहत एग्रीकल्चर लैंड की एस्टेट डियूटी से एग्जम्पट किया जा रहा हैं। डिटेल में तो एफ.एम कलीयर कर देगें लेकिन जहां तक मै समझ पाया हूं, एस्टेट डियूटी एक्ट के तहत स्टेट मे भी रूल बनाया होगा। सैन्टर में तो

इसके अपने रूल्ज होगें। हमे अपनी अमेंडमैंटस के जरिए कुछ रूल्ज को अमेंड करना पड़ेगा ताकि it may become in confirmity with the amendment in the act. उसकें हिसाब से रूल्ज बने लेकिन इस में फार्मूला तय करने वाली बात हैं। इसलिए मैं अपने दल की ओर से इस रैजोल्यू ान को स्पोर्ट करता हूं। मेरे दल का यही ब्यू प्वांयट हैं।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने खेती बाड़ी की जमीन पर से एस्टेट डियूटी एग्जम्पट करने का जो रैजोल्यू ान सदन में पे ा किया हैं, मैं इसका स्वागत करती हूं। जब मैं मैंम्बर आफ पार्लियामैंट थी उस वक्त भी वि ोश कर किसानों को बहुत दिक्कत थी। जिस जमींदार के पास केवल 5 बीघें जमीन थी, उसकों भी एस्टेट डियूटी देनी होती थी। जो बहुत ही छोटे–छोटे टुकड़ों के मालिक थें, उनके ऊपर भी एस्टेट डियूअी थी। स्पीकर साहब, चाहिए तो यह था कि इस एक्ट को बहुत पहले ही अमैंड कर दिया जाता और सब लौगों को कान्फिडैंस मे लेकर अमेंडमेंट करतें। अगर सको कांफिडेंस मे लेकर अमेंडमेंट करते तो अच्छा होता। आज सारे एम.एल.ए. इसके बारे में लेमैन हें, जो इसको पूरी तरह से समझ नही सकतें। एस्टेट डियूटी एक्ट के तहत कोन से रूल्ज और रैगूले ान्ज हैं, इनको समझने में आगे चल कर दिक्कत न आये, इसलिए पहले ही सलाह करके इस रैजोल्यू ान मै आगे चल कर दिक्कत न आयें, इसलिए पहले ही सलाह करके इस रैजौल्यू ान

का लाया जाता तो ठीक था। मेंरे कई भाई वकील हैं, वे इस पर सुझाव दे सकतें थे। एग्रीकल्चरिस्ट को इस एक्ट से बहुत ज्यादा दिक्कत हैं, फिर भी मे। इस अमेंडमैंट को स्वागत करती हूं और मे समझती हूं कि इस अमेंडमैंट को बहुत पहले लाना चाहिए था।अगर कोई बहुत बड़ा आदमी इस की भाह से एस्टेट डियूटी माफ करवाना चाहता हैं ओरप वह कास्तकार हैं तो छोटे एग्रीकल्चरिस्ट इससे प्रभावित होते हैं। यह अमेंडमैंट बहुत पहले आनी चाहिए थी, पिछले 37 सालों से जमींदार हैरान हो रहे हैं, अब तक इस तरफ ध्यान नही दिया गया था। अब सरकार ने सोच लिया हैं, अच्छी बात हैं। अगर सुबह का भूला भाम को घर आ जाए तो उसको भूला नही कहना चाहिए।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर):अध्यक्ष महोदय, यह एक साधरण सा रेजौल्यू ान हैं। इसके पीछे जो भावना हैं वह स्पश्ट हैं। इस पर किसी को कोई खास आपति भी नही हैं, मैंम्बर साहिबान ने मोंटी मोटी बाते कही हैं। एक बात डा. मंगल सैन जी ने कही है कि रूल्ज की अमेंडमैंट के लिए इस रैजोल्यू ान को विधान सभा में लाने की क्या जरूरत थी।

डा. मंगल सैन : यह मैंने नही कहा। मैंने यह कहा कि पूंजीपतियों को एस्टेट डियूटी से एग्जैम्पट करवाना बुरी बात हैं। अगर एग्रीकल्चरिस्ट एंगजैम्पट होते हैं तों ठीक बात हैं।

चौधरी कटार सिंह छोकरः इन्होने रूल्ज के बारे में कहा था कि विधान सभा से हमें सैन्टर के रूल्ज नही मिले, बगैर पढे कया मत दें। स्पीकर साहब, एक बात रूल्ज के बारे में सबमिट करना चाहूंगा। यह रूल्ज में अमैंडमैंट करने के लिए नही हैं। एस्टेट डियूटी एक्ट के सैक ान 85 मे एक अनेबलिंग सैक ान हैं जिसके तहत लेजिस्लेचर को पार्लियामैंट को अनेबल किया जाता हैं और यह रूल मैकिंग पावर होती हैं।

श्री मंगल सैनः सैक ान 85 में ता यह लिखा हैः—

" All rules made under this Act shall be laid before both Houses of Parliament as soon as may be after they are made."

इस रूल्ज को अमैंड करने की बात नही हैं, ले डाउन करने वाली बात हें।

चौधरी कटार सिंह छोकरः ठीक हैं, इसमें ले डाउन करने की बात हैं और जो एस्टेट डियूटी हैं इसका मन ाा यह है कि जो एस्टेट डियूटी लगती हैं वह सारे दे ा में सैन्ट्रल लैवल पर लगती हैं और वहां से डिस्ट्रीब्यू ान होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी इम्पलीमैंट के जो रूल्ज हैं वे पर्लियामैंट ने बनाने हैं और वही ले डाउन करती हैं, हमारे यहां से ले डाउन नही होतें। सैन्टर में जो पेसा एस्टेट डियूटी का इक्ट्ठा होता हैं वह स्टेटस को ज्यो का त्यो दे दिया जाता हें। बाकी रूल्ज ले डाउन करने का प्रोवीजन सैक ान 85 में है और

सैक ान 85 को ही अमैंड करना पड़ेगा। इस रैजोल्यू ान को कोई स्टेट पास करे या न करे, किसी एक स्टेट द्वारा रैजोल्यू ान पास न होने से यह विदड्रा नही होगा। सैक ान 85 को पार्लियामैंट अमैंड करेगी, इसके बाद रूल्ज ने डाउन करने पड़ेगें।

हमारी स्टेट ने रूल्ज ले डाउन नही करने हैं। न हमने रूल्ज बनाए है, न इम्पलीमैंट करते हैं और न ही एन्फोर्स करते हैं। यह एक लीगल बात हैं। यूनियन ला मिनिस्टरी ने यह म ावरा दिया कि हर स्टेट जो एग्रीकल्चर लैंड पर यह ओमी ान चाहती हैं, वह यह रैजाल्य ान पास करे कि सैक ान 85 की अमैंडमैंट की जाए जिसमें रूल्ज ले डाउन करने का प्रोवीजन हैं। स्पीकर साहब, डा. साहब ने यह भाक जाहिर किया है कि ऐसा करने से जहां किसानों को फायदा होगा वहां पूजिपतियों को भी फायदा हो सकता हैं * * * * * * (विघ्न)

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, के बारे में अभी जो बात कही गई है वह रिकार्ड न की जाए।

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, इसमे कोई अनपालियामैंटरी बात नही थी (विघ्न) इनके साथी चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने इसे स्पोंर्ट किया हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः इन्होने भी अपोज नही किया हैं।(विघ्न)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरी बात को ये टविस्ट करके यहां रखना चाहते हैं। (विघ्न) ये बड़े काबिल मंत्री बनते हैं। लेकिन ये मुझे बता दे कि what is the laying of formula as approved by the Committees on Subordinate Legislation of both Houses of Parliament. क्या यह हमारी बाजिब मांग नही है कि उस फार्मले को हमें दिखा दिया होता?

Chaudhri Katar Singh Chhokar: We are not concerned with the formula. (Interruptions.). This House is not concerned with the formula. उसकी इम्पलीमैंटे ान यहां नही होती। उसकी सारी इम्पलीमैंटे ान वही होती हैं। वही उसको कार्यन्वित करते हैं। (विघ्न) स्पीकर साहब, एग्रीकल्चर इन्कम की जो टैक्से ान होती हैं वह वैल्थ टैक्स मे होती है या इन्कम टैक्स में होती हें। वह हर साल रैगुलर फिचर होता हैं। इसमे उसक इन्कम को जोडने या न जोड़ने की बात नही हैं। अध्यक्ष महोदय, एस्टेट डियूटी में ऐसा नही होता। जब तक होल्डर आफ दी प्रोपर्टी जीता हें, उस पर कोई टैक्स नही लगता। इसमे पूंजीपती को कोई फायदा नही होगा। क्योकि यह तो उसके मरने के बाद उसकी औलाद पर लगेंगा जो उसे सक्सीड करेंगी। इसके अलावा यह जिन्दगी में केवल एक दफा देना होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इससे किसानो फायदा होगा या नही होगा यह नही कहा जा सकता। यह तो एस्टेट डियूटी ऐक्ट की प्रोवीजन हैं जो एग्रीकल्चर लैंउ की बाबत औमिट कराई जाएगी। यह एग्रीकल्चर इन्कम के बारे मे नही हैं। इन भाब्दो के

साथ मै हाउस से प्रार्थना करूंगा कि इस रैजोल्यू ान को पास किया जाए।

श्री हीरा नन्द आर्यः यह कब से लागू होगा?

चौधरी कटार सिंह छोकरः रैजाल्यू ान पास होने के बाद सैन्ट्रल गवर्नमैंट को भेजा जाएगा। उसके बाद पार्लियामैंट ऐक्ट बनाएगी। अभी तो फाईनैंस मिनिस्टर की तरफ से यह अनाऊंसमैंट हुई हैं कि उनका इरादा ऐस्टेट डियूटी से एग्रीकल्चर लैंड को औमिट करने का हैं। दो स्टेटस द्वारा रैजोल्यू ान पास करके भेजा जाना जरूरी हैं। जब पार्लियामैंट द्वारा ऐक्ट पास हो जाएगा तब वह लागू होगा।

श्री हीरा नन्द आर्यः इसको रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट होगा या यह अबसे लागू होगा?

श्री अध्यक्षः रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से नही होगा। It will be prospective.

Now, I will put the resolution to the vote of the House.

Question is:-

" Whereas by a resolution passes by the Haryana Legislative Assembly in pursuance of clause (I) of article 252 of the Constitution on the 2nd April, 1982 estate duty in respect of agricultural land is now regulated in the State of

Haryana by the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), as passed by Parliament.

And whereas it appears to this assembly to be desirable that the Estate Duty Act, 1983 shall cease to apply to the levy of estate duty in respect of agricultural land situate in the State, and for this purpose, necessary amendments should be made in the act.

And whereas it appears to this assemble that the Act aforesaid should be further amended to provide for the following matters, namely:-

(i) to omit the provisions of the said Act relating to aggregation of agricultural land with other property for the purpose of determining the rate of estate duty;

(ii) to amend sub section(3) of section 85 of the said Act relating to the laying of rules before both houses of Parliament so as to bring it in conformity with the model rule laying formula as approved by the Committees on Subordinate Legislation of both Houses of Parliament;

Now, Therefore, this Assembly hereby resolved, in pursuance of article 252 of the constitution, that the Estate Duty Act, 1953(34 of 1953) may be amended by parliament to provide for the aforesaid matters"

The Motion was carried.

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, यह युनानिमसली पास हुआ है।

श्री अध्यक्षः जी हां। युनानिमसली पास हुआ हैं।

वर्श 1983–84 के सप्लीमैंटरी एस्टीमैंट्स (दूसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान

(i) राज्य के राजस्वों पर प्रभारित अनुमानो पर चर्चा।

(ii) अनुपूरक अनुदानो की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्षः पहली प्रैक्टिस के अनुसार तीि हाउस का समय बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई डिमाण्ड इक्ट्ठी पढी तथा पे ा की गई समझी जाएगी और उन पर जनरल डिस्क ान होगी। आनरेबल मैंम्बर्ज किसी भी डिमांड पर डिस्क ान कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले उस डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हों। डिस्क ान के बाद डिमांडज हाउस की वोट के लिए पुट की जाएगी।

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7,26,500 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. 1 **Vidhan Sabha.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 83,68,459 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. 2 **General Administraation.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,16,07,536 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. 3 **Home.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 17,45,26,920 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. 4 **Revenu.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 29,91,175 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. 5 **Excise and Taxation.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,62,98,490 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. 6 **Finance.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 9,13,44,275 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. 9 **Education.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,66,43,315 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of

payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. 10 **Medical and Public Health.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 73,22,634 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. 11 **Urban Development.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 60,35,071 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. 12 **Labour and Employment.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,47,21,484 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. 13 **Social Welfare and Rahabilitation.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 30,97,640 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **14 Food and Supplies.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,33,80,290 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **16-Industries.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 24,45,550 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **17-Agriculture.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,75,32,150 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **21-Community Development.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,93,21,390 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **23-Transport.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,55,105 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **24-Tourism.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **25-Loans and Advances by State Government.**

श्री हीरा नन्द आर्य(लोहारू) अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मांग न.1 पर चर्चा करना चाहूंगा जिसके द्वारा

7,26,500 रूपये की स्वीकृति हाउस से मांगी गई है। अध्यक्ष महोदय, इसमे लिखा गया हैं कि श्री फतेहचन्द विज की आखं के इलाज पर 1,85,000 रूपये खर्च हुए । अध्यक्ष महोदय, यह ठीक हैं कि विधान के अनुसार हर विधायक, मंत्री और मुख्य मंत्री फी ट्रीटमैंट का ऐनआइटल्ड हैं लेकिन इसमें इस बात की चर्चा नही की गई हैं कि मुख्य मंत्री महोदय या मंत्रियों के इलाज पर कितने लाख रूपयें खर्च हुए हैं। क्या उनका इलाज बिना खर्च के हुआ हैं? मैं समझता हूं कि उनके इलाज पर 5–5 या 6–6 लाख रूपये जरूर खर्च हुए होगें।(विघ्न) अध्यक्ष महोदय, कल यहां चर्चा चल रही थी कि भीत लहर से जो किसानों की फसले बरबाद हुई हैं लेकिन इनेक पास उनको मुआवजा देने के साधन नही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इन से पूछना चाहता हूं कि अगर इनके पास साधन नही है तो एयर कंडी ानिंग प्लांटस और एयर कंडी ानर्जा आदि पर इनता पेसा क्यों खर्च किया जा रहा हैं।(विघ्न) स्पीकर साहब, राज्यमपाल महोदय के हाउस होल्उ ऐक्सपैंडिचर के लिए 7,62,000 रूपये मोगे जा रहे हैं और खरीदे जाएगें एयर कंडी ानर्ज विद वोल्टेज स्टैबेलाईजर्ज आदि। (इस समय श्री उपाघ्यक्ष पदासीन हुए) इसी तरह से 13,35,045 रूपये 28 एयर कंडी ानर्ज और 15 वोल्टेज स्टैबेलाईजर्ज आदि खरीदने पर और खर्च किए जा रहे हें। और भी बहुत सारे खर्च इस प्रकार के किए जा रहे हैं जिन की मैं बाद मे चर्चा करूगां। तहसील, डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल हैंउक्वटर्ज पर लगभग 90–95 परसैंट खर्च नोन–प्लान साईड पर

किया जा रहा हे। ऐस्टब्लि ामैंट पर खर्च होती भी है तो वह भी यूं ही बरबाद कर दिया जाता हैं। कहने का मतलब यह है कि आज हरियाणा के लिए और हरिजनों के लिए क्रोकोडाईल टीयर्ज बहाते हैं, वास्तव में उनके लिए कुछ नही करते इस लिए मैं इस डिमांड का पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः आपम की साईड से दूसरे मैंम्बर्ज भी बोलना चाहते हैं इस लिए आप वाईंट अप करें। अगर आप भाार्ट न करेंगे तो दूसरे मैंम्बर्ज रह जायेंगें।

श्री हीरा नन्द आर्यः डिप्टी स्पीकर साहब, जितना भी पेसा यह सरकार खर्च करने जा रही हे। वह फिजूल के कामों पर खर्च कर रही हैं। सरकार को नये सब–डिविजन, तहसील और सब तहसीलज बनाने की क्या आव यकता हैं? सरकार ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रे ान के लिए 33,65,615 रूपए सप्लीमैंटरी एस्टीमैंटस द्वारा मांगे हैं जो बिल्कूल नाजायज हैं। इतनी तहसीले केवल अपने आपदमीयों को खु ा करने के लिए क्रियेट की जा रही हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, अभी पिछले दिनों मैं सरकार ने एक्साईज विभाग के जरिए जगह जगह पर ठेके नीलाम किए हैं। सरकार ने अपने चाहने वाले आदमियों को भाराब के ठेके दिए है। पहले तो बोली करवा देते हैं लेकिन जब इ न का अपना आदमी नही होता हैं तो उस बोली को सस्पैंड कर के बाद में

कोर्लब्रेट कर कि द्वारा नीलाम करते हैं ताकि अपने आदमी को ठेका मिल जाए। बोली देने का कोई मुनासिब तरीका होना चाहिए। आज के दिन इस सरकार के ठेकों की नीलामी मे छोटा आदमी या गरीब आदमी बोली देना चाहे तो नही दे सकता । अपने आदमी को ठेका देने के लिए यह चाहे सरकार को घाटा क्या न उठाना पड़े लेकिन दूसरे आदमी को नही देते हैं। दूसरे, साधारण आदमी इस काम को कर भी नही सकता। महने अपने समय मे न ाबन्दी का प्रोग्राम चलाया था लेकिन सरकार ने उस प्रोग्राम को तहस नहस कर दिया। भाराब लोगों को बिल्कूल तबाह करती हैं लेकिन इस सरकार ने उस न ाबन्दी की नीति को खत्म कर दिया और भाराब का प्रचार भुरू कर दिया। इस सरकार की नीयत खराब हैं और नीजित भी खराब है।।

डिप्टी स्पीकर साहब, कल आप ने अखबारेां मे पढा होगां कि सारे हिन्दूस्तान मे 23 करोड़ रूपये की भाराब पी जाती हैं जो लोगों की सेहत खराब करती हैं और आपस में मुकदमे बाजी होती हें। आप इस प्रकार के हालत क्यो पैंदा करते हों? लोगों को टाईम पर रोटी मिलती नही और पीने के लिए जगह जगह पर ठैके खोले जा रहे हैं। अगर सरकार ही लोगों को प्रोत्साहन करेगी तो भाराब कैसे बन्द होगी। मै तो यह कहूंगा कि इस सरकार को यहा बैठने का अधिकार नही हे। इस सरकार की नीति और नीयत खराब हें। अभी पिछले दिनों हरियाणा के नेताओं की चर्चा थी। कुछ दिन पहले कलकता में कांग्रेस का सै ान था।

उस समय टेलीग्राफ अखबारो मे छपा था कि फला नेता की कौन सी आख खराब है यानि कौन सी आख पत्थर की है ओर कौन सी सही हैं। उस मे लिखा था कि जो भी यह बता देगा उसे एक लाख रूपया दिया जाएगा।(विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः इस की कोई रेलेवैनसी नही हैं। आप डिमांड पर बोलिए।

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, मै डिमांड पर ही बोल रहा हूं। कुछेक नेताओ के इलाज पर इतना पैसा खर्च हुआ है कि उस के साथ इस रैलैवेन्सी हैं। जहा तक आंख की बात हैं, किसीा ने बाताया कि उस की बायी आख खराब हैं, दूसरी ने कहा कि आप को कैसे मालूम कि उस की बायी आख खराब हैं, यानी पत्थर की है। क्योकि उमसे मुझे कुछ भार्म नजर आती है। क्योकि हरियाणा सरकार की वि वसनीयता किस हद तक गीरी हुई है कि पत्थर में भी भार्म हो सकती हैं परन्तु इन मे नही । टैलीग्राफ अखबार में छपा था An eye on Bhajan Lal जिस मे यह बात छपी थी।

श्री उपाध्यक्ष :आप रैलेवन्ट बोलें।

श्री अमर सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। वैसे तो यह बहुत लायक हैं लेकिन स्पीकर साहब, ने पहले ही यह कहां था कि मैम्बर्ज डिमान्डज पर बोलते समय डिमान्ड का नम्बर बता कर बोलें। क्योकि ये तो फिसल कर कही और चले जाते हैं

इसलिए आप इनके भी टाईम फिक्स कर दें और हमारे लिए भी फिक्स कर दें।

श्री हीरा नन्द आर्यः आपने कुगंड़गांव के जोहड़ में खड़े होकर यह कसम खाई थी कि मैं पार्टी छोड़कर नही जाऊंगा लेकिन आप पार्टी छोड़कर चले गए।(ाोर)

चोधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं। चौधरी अमर सिंह जी तीन बार एम.एल.ए. बने हैं और तीनो ही बार अपने दल को छोड़ कर कांग्रेस मे चले गए।

श्री अमर सिंहः मैंने हीरा नन्द आर्य की तरह छः छः बार तो पार्टी नही बदली यह तो एक दिन में छः बार बदले हैं। मैंने कोई कसम नही खाई यह सब गलत कहां हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः आपने कुगंड़गांव के जोहड़ में खड़े होकर यह कसम खाई थी कि मैं लोकदल मे रहूंगा। मै तो सन 1967 से एम.एल.ए. बनता आ रहा हूं ओर आज तक कांग्रेस के विरूद्व ही लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा।

श्री उपाध्यक्षः आप रैलेवेन्ट बात को छोड़ देते हैं और इररैलेवेन्ट पर आ जाते हैं। आप दो मिनट मे समाप्त करें।

श्री हीरा नन्द आर्यः डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नम्बर चार पर बोलना चाहता हूं। इस डिमांड में

फ्लड एण्ड साईक्लोन्ज के लिए 17,05,76,950 रूपयो मांगा हैं। इसमे 15.13 करोड़ रूपया केन्द्रीय सरकार ने दिया है और बाकी हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, इस सरकार के पास राजनैतिक लोगों को प्रसन्न करने के लिए तो पैसा हैं परन्तु किसान को देने के लिए नही हैं।(विघ्न) इनकी यह पोलिसी बहुत दिनों से चली आ रही हैं। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, इस सरकार की तो अजीब हालत हैं। अभी पिछले दिनेां एक मंत्री ने ब्यान दिया था कि पुलिस की सुरक्षा के बावजूद भी कोई आदमी सुरक्षित नही हैं (विघ्न) मंत्री जी सुरक्षित नही तो आम आदमी कैंसे सुरक्षित रह सकता है।

श्री उपाध्यक्षः आपको बोलते हुए 12 मिनट हो गए है इसलिए आप वाईंड अप करें।

श्री मंगल सैंनः डिप्टी स्पीकर साहब, कम से कम आपको ता एतराज नही होना चाहिए। हमे आपको कहतें हूंए बड़ा संकोच होता हैं। आप हर तीन मिनट के बाद घंटी बजा देते हैं। अगर आप टौकते रहेगें तो ठीक नही और न ही आपसे हम ऐसी आ ाा करते हैं।(विघ्न)

श्री हीरा नन्द आर्य : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं होम डिपार्टमैंट की डिमांड पर बाले रहा था । आज सारे प्रदे ा मे अ ाान्ति का वातावरण हैं। इर जगह पर पुलिस राज हैं । आज के दिन आप जैंसे भले आदमी का भी जीवन सैफ नही तो आम

आदमी की हिफाजत कैसे हो सकती हैं। जब जीन्द मे राश्ट्रपति जी आये थे तो उस समय यह ब्यान छपा था मि मत्री भी पुलिस के रम पर ओर उन्हे भीउन तक नही जाने दिया। इस लिए इस सरकार को जन–प्रतिनिधित्व का दर्जा कैसे दिया जा सकता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, जब किसानों की बात आती है तो यह सरकार उनकी और कोई ध्यान नही देती। सरकार ने ट्यूबवैल मुहैया किये हैं। लेकिन अगर ट्यूबवेल सिंचित होने वाली फसल को नुक्सान हो जाता है तो उसका आबियाना माफ नही किया जाता हे। जहा पर नहरो से सिचाई होती हैं। अगर उस एरिया में प्राकृतिक आपदा आ जाये तो आबियाना माफ कर दिया जाता हैं। पहले ट्यूबवैल से इरिगे ान नही होती थी लेकिन अब जहां पर ट्यूबवैल से सिंचाई होती हें। उस एरिया मे अगर प्राकृतिक आपदा हो ताए तो वहां पर बिजली का बिल भी माफ नही होता । यह सरकार इस बात पर पुनःविचार करने के लिए तैयार नही है। आज के जमाने मे ट्यूबवैल सिंचाई का एक नया साधन है, पहले तो यह साधन नही होता थां। अगर किसानो की ऐसे एरिया में फसल बरबाद हो जाऐ तों उन्हे राहत क्यों निही दी जाती है। मैं चौधरी भाम ेर सिंह से निवेदन करूंगा कि कोई राहत का रास्ता निकाले।

सिचांई तथा बिजली मंत्री(चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): जब 1977–78 मे फ्लडज आये थें तो क्या उस समय आपने ट्यूबवैल के बिजली के बिल माफ कर दिये थें?

श्री हीरा नन्द आर्य: अगर हम नही कर सके तो आप तो कर दो। हम तो यह भी कर पाय्र कि 20 की माइनोरिटी होते हुए भी 30 का बहुमत बनाकर सरकार बना सकें और चला सके। हम तो यह चाहते है कि जो कुद हम नही कर सके, अगर आप कर दे तो लाग आपके धन्यावादी होगें। दूसरी बात डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सेल्ज टैक्स के अन्दर लूट खसूट चल रही हैं वह किसी से छूपी हुई बात नही हैं। करोड़ो रूपये का घोटाला चल रहा है। यह बात अखबारों में भी आयी हैं।30–31 जनवरी को दिल्ली में एक पिछड़े वर्ग के नाम से रैली आयोजित की गई थी। जिसमें लोगो को मजबूर करके 5–7 हजार ट्रक ले गये। अगर इनको वाकई गरीबों के साथ हमदर्दी थी तो यह जो करोड़ो रूपया खर्च किया गया वह उनके भले के लिए खर्च करते। व्यापारियों को जबरदस्ती प्र ासकों ने निचोड़ा। लेकिन अगर इस पैसो को जो इस रैली पर खर्च किया गया, उन गरीब लोगो पर लगा दिया जाता तो उनकी तरक्की के लिए कई काम किये जा सकते थे। इसके साथ ही साथ मै एक बात और भी कहना चाहता हूं कि डिमांड न .8 जो पी.डब्ल्यू.डी.(बी. एंड आर.) के बारे में हैं, अगर हम पी.डब्ल्यू.डी.(बी. एंड आर.) की बजाये आदमपुर डिवैल्पमैंट बौर्ड का नाम कह दे तो कोई अति योक्ति नही होगी। सारा पेसा आदमपुर हल्के मे खर्च किया जा रहा है और जो कुछ बचा खुचा हैं, वहा बाकी हिसार जिले मे खर्च होता हें। हरियाणा के दूसरे हिस्सों पर कोई पैसा खर्च नही होता।(घंटी) एक बात मै यह भी कहना चाहता हूं कि डिमांड न.10

पीने का पानी मुहैया करवाने के बारे में है लेकिन भिवानी और महेन्द्रगढ जिले मे पानी मुहैया करवान मे सरकार असफल रही है।इसने महैन्द्रगढ ओर भिवानी जिले में पानी उपल्ब्ध करवाने के नाम पर दिल्ली सराकार से और वर्ल्ड बैंक से पैसा तो ले लिया लेकिन वह पैसा दूसरे हल्को मे राजनैतिक आधार पर खर्च कर दिया जाता हैं। आज भी भिवानी जिले के हल्को में बहल गांव से लेकर गुरेरा गांव के बीच के कई गावं है जहां पर पीने का पानी उपलब्ध नही है। वहां पर 20–30 गावं ऐसे है जहां पर जनसख्यां इनती बढ गयी हे। कि उसके मुकाबले में पहले से भी कम पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। पहले वहां पर 5 गैलन प्रति व्यक्ति पानी की स्कीम थी, अब डेढ गैलन पानी दिया जा रहा है। मै समझता हूं कि राजनैतिक आधार पर पानी के मामले मे भी भेदभाव किया जा रहा हे। इन भाब्दों के साथ मैं इन डिमांडज का विरोध करता हूं और हाउस से यह दरखास्त करता हूं कि इनको पास न किया जाये।

श्री फतेह चन्द विज (पानीपत): डिप्टी स्पीकर साहब, आपका बहुत–बहुत धन्यावाद जो आपने मुझे बालेने के लिए समय दिया। मैं डिमाण्ड नम्बर 1, 9, 23, 8 और 2 पर बोलना चाहूंगा। इस डिमाण्ड के तहत इन्होने 1 लाख 85 हजार रूपया मेरे इलाज के लिये लिखा हुआ हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, एक मुस्लमान नमाज नही पढता था। उसे एक मोलवी ने पूछा की तुम नमाज क्यो नही पढतें हो। वह कहने लगा कि कुरान भारीफ में लिखा हुआ हैं कि

जमाज मत पढों। आगें यह लिखा हुआ था कि अगर तुम पाक न हों। उसने कहां कि जो मेरे मतलब को था वह मैने पढ लिया। आगे का तुम पढते रहो। तो मै यह कहना चाहता हूं कि मैने वापस आकर 95000 रूपया वापस जमा करा दिया था। वह रूपया इसमें एडजस्ट नही किया गया। वह 95,000 हजार रूपया डिमांड में एडजस्ट करना चाहिए था। मेरा यह कहना हैं कि यह इनकी गलती हैं। इसको ठीक करना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होने 22,94,240 रूपया सूचना तथा प्रचार के लिए खर्च किया हैं। एक तरफ तो 46 करोड़ रूपये का घाटे का बजट पे ा करते हैं और दूसरी तरफ केवल प्रचार के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्च करना, यह कहां की बुद्विमता हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, पेज 35 पर यह दिया हुआ है कि पानीपत के नजदीक काला–आम में एक स्मारक बनाया जा रहा है। वहा पर जलसे मे सी.एम. साहब को यह कहा गया था कि पानीपत एक इण्डस्ट्रीयल टाउन है ओर एतिहासिक नगर है। यहां से हर साल 50 करोड़ रूपये का माल दूसरे मुल्को में एक्सपोर्ट होता हैं। यहां पर बाई–पास नही बना। डिप्टी स्पीकर साहब, 10–15 हजार की हाजरी के जलसे मे सी.एम. साहब ने यह कहा कि यह बाई पास मंजूर हो चुका हैं, उसका काम जल्दी ही भाुरू हो जायेगा। लेकिन मुझे कल जो मेरे सवाल का जवाब दिया गया हैं, असमे यह लिखा है कि नही बना रहे हैं। मेरा सवाल क्वै च्नज लिस्ट में थोड़ा पीछे था, इसलिए वह टेक अप तो नही हो सका लेकिन मुझे जो

रिटन रिप्लाई दिया गया हैं, वह मैंने आपको बता दिया हे। वह बाई पास 1977–78प मे छठी पांच साला प्लान मे मन्जूर हो चुका हैं। पानीपत की डेढ लाख की आबादी को देखते हुए वह मंजूर किया गया था। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा हैं कि राजस्थान के एम.पीज. का एक डैपुटे ान प्लानिंग कमी ान को मिला और वह हरियाणा के पानीपत बाई–पास को कैंसल कराकर अजमेर को बाई–पास मंजूर करवा लाया।(व्यवधान व भाोर) आप फाईलज देख ले। आपको सब कुद पता चल जायेगा। यह बात रिकार्ड पर हैं। हमने जब इस बारे में अपनी सरकार पर जोर दिया तो यह लिखते हैं कि हम गौर कर रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण बाई–पास होने के बावजूद, इतनी ज्यादा डींगें मारने के बावजूद प्रदे ा का इतना बड़ा प्रोजेक्ट ना–मंजूर हो गया ओर स्टेट सरकार इस बारे में कुछ भी नही कर सकी। यह हमारे मिनिस्टर साहेबान के लिए कोई सौभा वाली बात नही हैं कि एक मनजूर हुआ पड़ा प्रोजैक्ट रिजैक्ट कर दिया जाए। इसके बाद प्राईवैट स्कूलो और प्राईवेट कालेजों के लिए ग्रान्टस की डिमांड के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। इस बात का तो आपको भी इल्म हैं कि प्राईवेअ स्कूलों के अन्दर अगर कई बार इस हाउस के अन्दर इस बात का मुतालबा हुआ हैं कि प्राईवैअ स्कूलों और कालेजों के टीचर्ज को ट्रेजरी से तनखवाह दी जाए लेकिन यह सरकार कह देती हैं कि हम इस बात को कंसिउर कर रहे हैं। पता नही कब तक यह कंसिडर करते रहेंगें। यह प्राइवेट स्कूलों और कालेजों वाले 500 की बजाए अढाई सौ और 700 रूपये की बजाए साढे

300 रूपये देते हैं। सरकार की प्राईवेट टीचर्ज के साथ ज्यादा देर तक बेइन्साफी नही करनी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद मै डिमान्ड नम्बर 23 जो ट्रांन्सपार्ट डिपार्टमैंट की हैं के बारे मे कुछ कहना चाहता हूं । हमारे ट्रांन्सपार्ट मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे नही हैं मुझे उम्मीद हैं फाईनैस मिनिस्टर साहब नोट कर लेगे। हरियाणा ही सारे दे ा के अन्दर एक ऐसा सूबा हैं जहां निराले–निराले कानून ट्रांन्सपार्ट डिपार्टमैंट ने बनाये हुए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, रीजनल ट्रांन्सपार्ट अथोरिटी का सैक्रेटरी चालान करता है। कायदा तो यह है कि वह केस कोर्ट मे जाए और कोर्ट देखे कि चालान ठीक है या नही है। लेकिन हरियाणा मे यह कर दिया हैं कि जिसका चालान हुआ है वह सैक्रेटरी आर.टी.ए. के सामने पे ा हो। यह तो वही हुआः–

वही हाकिम, वही कातिल, वही मुखबीर, वही मुन्सिफ, ठहरे

अबरबा मेरे करे खुन का दावा किस पर।

वही चालान करने वाला, वही फरीयाद सुनने वाला तो फिर इन्साफ कैसे मिल सकता हैं। जब वह आदमी चालान भुगतने आर.टी.ए. के आफिस मे जाता हैं तो उसको एक फार्म दिया जाता हैं। वह फार्म उस आदमी को भरकर नीचे दस्तखत करने पड़ते हैं। फिर उसक आदमी को कहा जाता हैं कि निकालो पांस सौ रूपया,

निकालो एक हजार रूपया। डिप्टी स्पीकर साहब, सारे हिन्दुस्तान मै कही इस तरह का कायदा नही हैं। अगर चालान किया जाता हैं तो उसको कोर्ट में भेजना चाहिए तभी इन्साफ मिल सकता हैं। मै मिनिस्टर साहब को कहूंगो कि वह अपने जवाब में इस बारे में रो ानी डालें। डिप्टी स्पीकर साहब, दे ा के किसी हिस्से में भी ऐसी बात नही है कि जो चालान करे उसी की कोर्ट में पे ी हों।

इन डिमाण्डज में उन लोगों को पैसा देने के लिए रूपया मांगा गया है जिनकी जमीन सरकार ने ऐक्वायर की ओर जिन को ऐक्वायर करने के समय कम पैसा दिया गया ओरप फिर वे कोर्ट मे ंचले गए। कोर्ट ने उनक को ज्यादा मुआवजा मन्जूर किया और इस तरह से सरकार को जमींदारो को ज्यादा पैसा देना पड़ा। डिप्टी स्पीकर साहब, बात इस हाउस में काफी सालो से आ रही है कि सरकार जब किसी की जमीन एक्वायर करे तो उसको उचित मुआवजा दिया जाए। जिससे कि उसको कोंर्ट मे जाने की जरूरत ने पड़े। लेकिन इस बात पर अमल नही किया जा रहा हे। पहले वह आदमी हाई कोर्ट मे जाता हैं फिरप सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं और इस तरह से दोनो का समय और रूपया बरबाद होता हें। सरकार ऐसा इन्तजाम क्यो नही करती है कि जो औफिसर कम मुआवजा आंकते हैं, जो जयादती करते हैं उनके खिलाफ एक ान ने और उनको जिम्मेदार ठहराए। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि पिछले पांच चार सालें में जिन

लोगों की जमीन ऐक्वायर की गई है उनको सरकार पूरा पैसा दे जिससे कि वे कोर्ट मे न जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मै एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे फाईनैस मिनिस्टर इलैक ान के बाद जब पानीपत में गए थें। जो लोगों ने वहां इनका स्वागत किया था। वहां डिमाण्ड की गई थी कि यहां पर कोर्ट, तहसील और दूसरे औफिसिज दूर–दूर हैं लोगों को काफी चलना पडता हैं और आप भी वकील हैं इसलिए लोगों की तकलीफ को समझ कर यहा पर एक मिनि सैक्रेटेरिएट बना दिया जाए। इन्होने वहां पर कहा था कि इस साल तो नही लेकिन अगले साल पानीपत में एक मिनि सैक्रेटेरिएट बनवां दूंगा। पता नही व भूल गए आज तक वहा कुछ भी नही बना। मैं कहना चाहता हूं कि इनको वहां फिर कभी जाना पड़ सकता हैं इसलिये ये अपने वायदे को पूरा करें। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार बाबार कहती है कि स्टेट मे कोई गांव ऐसा नही है जो पक्की सड़क से न जुड़ा हो लेकिन एफ.एम. के अपने हल्के मे पांच–छः गांव ऐसे है जहां पर सड़के नही है।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): वे जुड़ गए हैं।

श्री फतेह चन्द विजः जुड़ गए हैं तो अच्छी बात हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात यह है कि मेरे हल्कें में एक सड़क जटोल से बिन्जोल हैं जिसका सिर्फ डेढ किलामीटर लम्बा

फासला हैं। मै तीन साल से कह रहा हूं लेकिन उसको पक्का नही किया जा रहा है जबकि कास्टीच्यूएंसी मैं बीसो गावं ऐसे हैं जहां पर डबल लिंक रोड बना दी गई हैं लेकिन मेरी डेढ किलोमीटर सड़क नही बनाई जा रही है। मेरी सरकार से प्रार्थना हैं कि इस सड़क का बनाया जाए। धन्यावाद।

प्रौ. सम्पत सिंह (भट्टू कलां): डिप्टी स्पीकर साहब, मै सप्लीमैंटरी डिमान्डज नम्बर 3, 5, 17 और 1979–80 की एक्सैस डिमांण्डज ओवर ग्रांटस की डिमाण्डज न. 15 और 22 पर बोलना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक हैं कि सरकार को जो पैसा बजट में किसी मद के लिए रखती हैं और जब सरकार उससे ज्यादा खर्च कर देती हैं तो उसको पास कराने के लिए हाउस के सामने डिमाण्डज के रूप में लाती हैं कि यह खर्चा मन्जूरप किया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, हम इस खर्चे को मंजूर करते अगर यह पैसा सही तरीके से खर्च किया जाता और जिस परपज के लिए मांगा गया हैं उसी परपज के लिए खर्च किया जाता हैं। डिमांडज नम्बर 3 होम से सम्बन्ध रखती हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, होम अफेयर के जो औफिसर्ज है वे तो केवल नाम मात्र के औफिसर्ज हैं। होम अफैयर्ज तो किन्ही और के हाथो में हैं। जो कानून है वे किसी और के हाथों में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज हरियाणा के अन्दर हरियाणा सरकार के वजीरों के हाथों में कानून हैं। इन लोगो ने कानून अपने हाथ में ले रखे है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी कांस्टीच्यूऐसी और मुख्य मंत्री जी की

कांस्टीच्यूएंसी साथ –साथ लगती हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे हल्के का कोई गांव ऐसा नही बचा होगा जिस गांव के अन्दर कत्ल न हुआ हो ओर ये सारे पोलिटीकल मर्डर है।

सिरडान, ढांड बनावाली, बोडिया, भाना, चिन्दड, सेखपुरप, खाराखेडी़, कुलेरी, किरमारा, सदलपुर, सीसवाल, आदमपुर, भााहपुर और बटटूबन मंदौरी। ये गांव है जहां पर मर्डर हुए हैं ओर ये सारे पोलिटीकल मर्डर हैं। कहने को मतलब यह हैं कि रोजाना कत्ल हो रहे हैं ओर ज्यादा पोलिटीकल मर्डर हो रहे हैं। अफसोस की बात तो यह हैं कि आज एडमिनिस्ट्रे ान बिल्कुल डिमारेलाइज हो चुका हैं। जो अफसर हैं वे बिल्कुल डिमोरेलाइज हो चुके हैं। जो लोग एडमिनिस्ट्रे ान को चला रहे हैं वे कहते है कि हम क्या करे हमको तो कुछ पावर ही नही है। असली पावर तो किन्ही और लोगो के हाथों में हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मै सिरसया का किस्सा बताता हूं। वहां पर दो सिपाहियों ने आत्म हत्या कर ली ओर आत्म हत्या को कारण क्या था? वे कहते थे कि जो मोजूदा कानून हैं उसके मुताबिक नही चल सकते। चार बार एक सिपाही ने आत्म हत्या करने की कोि ा ा की। लेकिन फिर भी उसकी डियूटी जहां हथियार रखते हैं, वहा पर लगा दी और आखिर मे उसने रिक ाा पुलर को पहले गोली मारी फिर अपने आपको गाली कर अपनी हत्या कर ली। आज हालत यह है कि टोटल एडमिनिस्ट्रे ान पोलीटीकल हाथों में आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सिरडान के जो सरपंच का मर्डर हुआ उसके बारे

में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वह फतेहाबाद हल्के का गांव नही है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह गांव मेरे हलके मे पड़ता हैं। एक पार्टी का आदमी चुनाव के सिलसिले में दूसरे हल्के मे जा सकता है और वह सरपंच भी चुनाव के सिलसिले मे वहां गया था, इस लिए उसका मर्डर हुआ। डिप्टी स्पीकर साहब, आज हालत यह हैं कि एफ.आई.आर. को तोड़ा मरोड़ा जा रहा हैं। सिरडान के मर्डर की जो एफ.आई.आर. लिखाई गई उसमें से नाम निकालें जा रहे हैं। इससे सिरियस बत और क्या हो सकती है। डिप्टी स्पीकर साहब, एक मिनिस्टर का बहनोई मर्डर कर देता हैं तो उसका नाम निकाल दिया जाता हैं। अगर इसी तरह से काम चलता रहा तो फिर पैसा किस चीज के लिए मांगा जा रहा है। अगर होम अफेयर्ज में मिनिस्टर्ज के रि तेंदारों और पोलिटिक्स आदमीयो ने ही काम करना हैं तो फिर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत हैं? डिप्टी स्पीकर साहब, अक्टूबर 1983 में इसी सरकार के एक स्टेअ मिनिस्टर ने जानी राम के समग्लर को रिप्रि ामैंट दिया। अगर मिनिस्टर ही ऐसा काम करने लग गए जाए फिर तो माक चल गया। डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले दिनों सिरसा के अन्दर कुछ प्रोस्टीच्यूटस और बड़े लोगो के भाहजादें को ता छोड़ दिया और अगले दिन दो चार और औरतों को पकड़ लिया, इस तरह से कार्यवाही पूरी कर दी गई। होम डिपार्टमैंट के लिाग अगर इस तरह से करेगें तो कैसे काम चलेगो और इस पैसे को खर्च करने की क्या जरूरत हैं? डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको और बताता हूं कि सरकार ब्लूआईड अफसर पाल रखे हैं जोकि सरकार के

इ ाारों पर ही चलते हैं। हिसार मे डी.सी.और एस.पी. हैं, वे सरकार के इ ाारेां पर ही चलते हैं। कांग्रेस का कारोबार वे सम्भालते हैं, पार्टी को कारेाबार वे सम्भालते हैं। हिसार में जो भी एस.पी. लगता हैं, वह वहां से डी.आई. जी. बनकर ही निकलता है। मतलब कि सरकार हर तरह से नाजायज काम उन अफसरो से लेती है और फिर उन्हे तरक्की दी जाती है। हरियाणा काग्रेस (आई) वीमैन सैल की ज्वायंट सैक्रेटरी हिसार के डी.आई.जी. की बीवी है। हिसान डिस्ट्रिकट सैल की प्रधान वहां के डिस्ट्रिक्ट इंस्पैक्टर पुलिस की बीवी है। इस तरह के काम सरकार ने वहां पर कर रखे है तो फिरप इस तरह के अफसर लोगों के किस काम आयेगें?(ाोर एव व्यवधान)

श्री अपाध्यक्षः सम्पत सिंह जी, इस तरह की इनडीसैंट बाते हाउस कमे नही कहनी चाहिए। (ाोर एव व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः यह सच्चाई हैं डिप्टी स्पीकर साहब, आप रिकार्ड मंगवा करके देख लें।

प्रो. सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस सरकार के क्या – क्या कारनामें बताऊ। इस एडमिनिस्ट्रे ान में जितने रेप और डोरी डैथ के केसिज हुए हैं पहले भाायद ही किसी राज में हुए होगे। खुद पार्लियामैंट में स्टेट होम मिनिस्टर ने यह माना हैं कि अगर सारे हिन्दुस्तान में 300 के करीब डौरी डैथ हुई है तो इनमें से वन थर्ड के करीब केवल हरियाणा में ही हुई हैं। अगर

होम डिपार्टमैंट का, डिप्टी स्पीकर साहब, यह हाल है तो फिर दूसरे विभागों का क्या हाल होगा।

श्री नेकी रामः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं जो पार्लियामैंट की प्रोसीडिंग्ज है वह अखबारो में तो छपी नही है। इनके पास ऐसा कौन सा सोर्स आफ इनफरमैं ान है जिस से इनको पता चला हे।

प्रो. सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, जो कुछ मैं यहां हाउस मे कह रहा हूं वह बिल्कूल सत्य हैं। अब मै टूरिजम कार्पोरे ान की कुछ कारगुतारियों और वहां के कम्पलैक्सिज पर भी रो ानी डालना चाहता हूं। इस कार्पोरे ान के चेयमैन अपने आपक को बड़े भारी एडमिनिस्ट्रे ान के निर्माता समझते हैं। अखबारों मे भी हम पढते रहे हैं ओर एक मैंग्जीन में भी देखा था, कि कम्पलैक्सिज में बहुत बड़े बड़े अफसर थें। नव वर्श वाले दिन वहां कैबरे डान्स हुए। इन सभी अफसरेां ने ऐन्टी सो ाल एक्टीविटीज में हरियाणा सरकार के पैसे का बुरी तरह से प्रयोग किया है। हरियाणा के खुन पसीने के पैसे के साथ ये लोग अपना एनजायमैंट करत हैं, कितनी भार्म की बात है।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात और हाउस के सामने लाना चाहता हूं कि कुरूक्षेत्र * * * * * * नाम को एक कार्ग्रेस (आई) का वर्कर हैं वह वहां से किसी लड़की को नोकरी दिलवाने मे बहाने करनाल ने गया। वहा ले जाकर बाकायदा उसे इललीगंल

कंफाईनमैंट मे रखा गया, उसके साथ जो बुरा हुआ, उस बारे में मै यहा पर कुछ बतला नही सकता।(ाोर)

इसके साथ–साथ एक और बात आपके नोअिस मे लाना चाहता हैं कि एक बार मुख्य मंत्री महोदय ने खुद यह बात कही थी कि अगर फलां आदमी मेरा रि तेदार हो ओर वह व्यापार में हो, तो मैं आत्म हत्या कर लूगां। एक्साइज एंड टैक्से ान व फूउ एण्ड सिविल सप्लाईज के अधिकारियो ने उसकी दुकार पर इनके कहने पर रेड किया। यह केस फतेहाबाद का है। उस आदमी के खिलाफ टैक्स बकाया था और उसने टैक्स की चोरी भी कर रखी थी। जब उस दुकान पर छापा मारा तो वहां से कुछ लूज पेपर्ज बरामद हुए। उनके बेसिज पर फिर से राईस मिल पर भी छापा मारा गया जहा पर 30,493 अन–अकांउटिड राईस के बगैंज मिले। उसने इस मामले मे टैक्स की डबल चोरी की हुई थी क्योकि एक तो 90 परसैन्ट राईस लेबी मे आता है ओर दूसरे जो इसका टैक्स बनता था वह उसने पे नही किया यानी मार्किट फीस की भी चोरी हो गई। इस तरह से वह आदमी गुनहागार था।

इस मामले मे मुख्य मंत्री जी, ने बड़े लैवल के अफसरो, जोकि डिप्टी एक्साईज एण्ड टैक्से ान कमी नर व फुड एण्ड सप्लाईज अध्झिकरी पर तो कोई एक ान लिया नही लेकिन वहां के जो छोटे–छोटे कर्मचारी थें, उनको ससपैन्ड कर दिया। उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि आपने फलां दुकान में छापा क्यों मारा हैं?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): डिप्टी स्पीकर साहब, इनको बल्कि दाद देनी चाहिए कि वह रेड हमारे कहने पर किया गया। इनको तो इस बात की खु ाी होनी चाहिए कि जिसका कसूर था, जिसने टैक्स नही दिया था वह आदमी को पकड़ कर उसके खिलाफ एक ान लिया हैं। जहां तक छोटे कर्मचारियों को ससपैन्ड करने का सवाल है, वह इनकी बात गलत हैं। हमने, जिस किसी अफसर या कर्मचारियों को कसूर था, उनके खिलाफ एक ान लिया हैं। छोटे कर्मचारियों/अफसरेा के बारे मे एक ान लेने पर इनको तकलीफ हुई हैं, वह इस लिए हुई हैं कि वे भाायद इनके रि तेदार होगें।

श्री उपाध्यक्षः सम्पत सिहं जी, आप बाईंड अप करें, आपका समय हो गया हैं।

प्रो. सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मै कहना चाहता हूं कि इन्होने उस आदमी के खिलाफ एक ान नही लिया जिसने टैक्स की चोरी की थी बल्कि इनहोने कर्मचारियों को इसलिए ससपैन्ड किया कि उन्होने उस दुकान पर रैड क्यों मारा और यह अनियमितताए क्यों पकडी़।(ाोर एव व्यवधान)

चौधरी भजन लालः डिप्टी स्पीकर साहब, पिछली असैम्बली में चौधरी गंगा राम और चौधरी संत कंवर भी इसी प्रकार बिना मतलब बोलते थे और मैने उनको कहा था कि आप अगली बार चुनकर नही आ सकोगें। यही बात अब मैं इनको

कहता हूं कि यह भी अगली बार उनकी ही तरह चुनकर नही आ सकेगे। (ाोर एव व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मै इस बात को चैलेन्ज करता हूं।

चौधरी भजन लालः मौका आने पर दिखा देगें।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय इनकी बात से चिढ क्यों गए हैं?(ाोर एव व्यवधान)

चौधरी कंवल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी सम्पत सिंह जी के चैलेन्ज को मान कर खुद भी अस्तीफा दे फिर दोनो का इलैक ान हो जाए। (ाोर एव व्यवधान)

चौधरी भजन लालः आप क्या बोलते हो, मैने आपके लीडरप और आपके * * ** * * * * को भी तीन बार पछाड़ा था ओर उसकी पीठ लगाई थी।(ाोर एव व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मै अर्ज कर रहा था कि मुख्य मंत्री जी इनकी बात से चिढ गये। मै तो कहता हूं कि इस चैलेंज का मानते हुए मुख्यमंत्री जी को भी अस्तीफा दे देना चाहिए और सम्पत सिंह जी भी दे देगें। फिर दोनों का इलैक ान हो जाएगा। इसमें इनको क्या आपति हैं। ये बार बार कहते हैं कि तेरे * * * * * * * * तेरे नेता मेरे मुकाबिले के पहलवान नही है। मुख्यमंत्री बन कर इनको बहुत गरूर हो गया

हैं। ये अपने हल्के में हमे ाा ही बोगस वोटो के सहारे जीते है।(ाोर एव व्यवधान)

चौधरी भजन लालः 27 हतार वोटो से जीत कर आया हूं और आपके लीडर को भी साढे 11 हजार वोटो से 1972 मे हराया था।(ाोर एव व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, ये कभी हैसियत की बात करते हैं कि मेरी हैसियत बहुत बड़ी हो गई हैं। मै अर्ज कर रहा हूं कि अगर मुख्य मंत्री बनने से किसी की हैसियत बनती हैं तो सुभाश चन्द्र बोस, जय प्रका ा नारायण और महात्मा गांधी जी का तो नाम लेना ही गुनाह होगा। हैसियत तो उस आदमी ही होती हैं जिसके साथ जनता को प्यार हों। हिन्दुस्तान में ये पहले मुख्य मंत्री है जिनसे हरियाणा की जनता को * * * * * * * * * * * हैं।

श्री उपाध्यक्षः पिता तथा नफरत वाला भाब्द रिकार्ड न किया जाए।

श्रीमती चन्द्रावतीः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, को हमारे एक माननीय सदस्य * * * * * * * * का नाम यहां नही लेना चाहिए था। यह मुख्य मंत्री जी, ने बडी़ गलत बात की है।

श्री उपाध्यक्षः वह मैने कार्यवाही मे से पहले ही कटवा दिया हैं।

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, आप सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं, आप हमारे को तो बार बार कह रहे हैं लेकिन आपकी हिम्मत नही हुई कि आप चीफ मिनिस्टर को कह दे कि वे चुप हो जाओ। मुझे माफ करना, मै बड़ी हम्बली यह सब मि ान करना चाहता हूं। ऐसा मै पिछले दस मिन्ट से देख रहा हूं।(ाोर)

Mr. Deputy Speaker: I had requested every member to be relevant and maintaqin the decorum of the House (Interrptions) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
मुख्य मंत्री जी, बार बार कहते हैं कि मैने उनको पटका रखा हैं। यह कोई अखाडा़ नही हैं जहां ऐसी बातें कही जाए। यह ठीक हैं कि मेरे मित्र ने कोई बात गलत कही होगी। अगर उन्होने कोई गलत बात कही होगी। अगर उन्होने कोई गलत बात कही है तो ये उसको रिफयूट कर दे । लीडर आफ दि हाउस ने हमे कहा कि मर्यादा रखें लेकिन वे खुद इसका ख्याल नही रखते। आपसे रिकवैस्ट करता हूं कि आप अपने आफिस को इस्तेमाल किजिये।(ाोर)

Mr. Deputy Speaker: When i thought that it was indecent i ordered that those words be not recorded. This is give and take (Interruptions)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर बड़ी अन–फारचुनेट बातें हुई हैं। मै आपके माध्यम से डा. साहब ने दर्खास्त करूगां, डा. साहब भाायद हममें से सब

से ज्यादा पुराने मैंम्बर है और ये हर वक्त ठीक कन्ट्रीब्यूट करते हैं लेकिन अब जो भाब्द कहे * * * * * * * * कम से कम ऐसे भाब्द डा. साहब को नही कहने चाहिए।

Sh. Mangal Sein: I never wanted to question the wisdom of the Chair.

श्री उपाध्यक्षः सम्पत सिहं जी आपने 11.45 पर बोलना भाुरू किया था अग आप दो मिनट में समाप्त करे।

प्रो. सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, सच्ची बाते कड़वी हुआ करती है। हिसार और सिरसा का जो इलाका हैं वह बड़ा सैंसेटिव इलाका है। पंजाब मे आज कल जो एक्सट्रिमिस्टस की गतिविधियां चल रही है और जो वायलैंस हो रही है। यह इलाका भी उसके साि लगाता इलाका हे। अगर कानून को तोड़ा जाता हैं ओर क्राइम तथा वायलैस करने की खुली छुट दी जाती है तो ला एंड आर्डर की प्रोबलम हो जाएगी। आज जिन्होने इन लोगो को छुटटी दे रखी हे। उनको याद रखना चाहिए कि जो दूसरों को नही बख ाते वे छुटटी देने वाले को भी भाायद न बक ें। रतिया भी इसके साथ लगता इलाका है। वहा पर हर दस मिन्ट के बाद अफीम पकडी़ जाती हैं। वहां पर दुकानो पर लिखा हुआ हैं कि यहा पार भाुद्व अफीम मिलती है।

चौधरी भजन लालः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंअ आफ आर्डर है। आप अन्दाजा लगाए कि कोई आदमी अफीम बेचता

हो तो क्या वह दुकान के सामने बोर्ड लगा सकता है कि मै अफीम बेचता हूं। इनको हाउस में ठीक बात कहनी चाहिए। (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः हमने अपने आखों से देखा हैं ओर कही तो आपको भी देखा लाते हैं। (ाोर)

प्रो. सम्पत सिंहः मेरे पास फोटोज हैं और ट्रू रिकार्ड हैं। (ाोर) तो मैं कह रहा था––––––

श्री उपाध्यक्षः आपका टाइम हो चुका हैं, अब आप बैठियें। (ाोर)

प्रो. सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मुझे बीच मे इन्ट्रप किया गया था। मैं रतिया का किस्सा बता रहा था।

श्री सागर राम गुप्ताः डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे काल अपौन कर चुके हैं, इसलिये स्पीकर साहब, अब मुझे बालने दिया जाए।(ाोर)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, ने सम्पत सिंह जी को दस मिनट का टाईम दिया था लेकिन ये 25 मिनट से बोल रहे हैं। अब डिप्टी स्पीकर साहब, ने सागर राम जी को काल अपौन किया था इसलिये इनको बालेने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी आप कृपया अपनी स्पीचप वाइंड अप करे।

प्रो. सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, अगर इस तरह की खुलम खुला छूट मिल जाती हैं तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता हे। वहा पर जो अफीम बेचने वाला हैं उसका नाम महेंन्द चन्द बि नाई हैं। उसने ऋशि बि नोई नाम का अस्पताल खोला हुआ हैं। इस वजह से वहां अफीम बेचता रहा हैं। आज यही हालत इरीगें ान डिपार्टमैंट की है।

22.03.1984 को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के स्थान पर सरकारी कार्य करने का निर्णय

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान मैने एक अनाउन्समैंट करनी हे। कल नान आफि ियल डे है उसके बारे में अपोजी ान के सारे ग्रुपस के लीडर्ज ने मेरे साथ अपनी सहमति प्रकट की हैं कि कल के नान आफि ियल डे को आफि ियल डे में कनवर्ट कर दिया जाए।

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, आपने बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मिटिंग मे जब इस बात का जिक्र किया था उस समय डा. मंगल सैन जी आपके चैम्बर से उठकर बाहर चले गए थे लेकिन आज यदि इन्होने कल के नान आफि ियल डे को आफि ियल डे में कनवर्ट करने का सुझाव आपको दिया हैं, तो यह बहुत अच्छा किया हैं। आज अगर इन्होने इस बात को मान लिया है तो यह वही बात हुई कि सुबह का भूला भााम को घर वापिस आ जाए तो उसको भूला हुआ नही

कहते। यह अच्छी बात हैं। हमें भी मंजूर हैं कि कल के नान आफि ियल डे को आफि ियल डे में कनवर्ट कर दिया जाए।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान कल बजट पर डिस्ब ान होगीं इसके इलावा दूसरी बात मै यह कहना चाहता हूं कि कल राव निहाल सिंह जी ने '' आज का एम.एल.ए.'' पिक्चर दिखाने के बारे मे जो बात कही थी, वह मान ली गई थी और उस पिक्चर को देखने जाने के लिए दो डीलक्स बसेां का भी प्रबन्ध कर दिया गया हैं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से एक सबमि ान करना चाहता हूं। आज एक माननीय सदस्य ने '' आज का एम.एल.ए.'' पिक्चर दिखाने के बारे में कहा था कि वह पिक्चर हरियाणा की पोलिटिक्स पर रिफलैक्ट करती है और हरियाणा के लिए ही डिस्पले की गई है। मै आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी, से यह कहना चाहूगां कि आज हमारे साथ वे भी इस पिक्चर को जरूर देखें ताकि उस बारे में ये अपनी सलाह दे सकें।(ाोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, उस पिक्चर का हरियाणा से कोई ताल्लुक नही हैं। लेकिन यह अच्छी बात हैं कि उस पिक्चर को देखें ताकि इनको थोडी़ बहुत समझ आ जाए। परमात्मा इनको उस पिक्चर के देखने के बाद थोडी़ अक्ल दे दे यह अच्छी बात हैं।(ाोर)

वर्श 1983–84 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस (दूसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री सागर राम गुप्ता(भिवानी): स्पीकर साहब, मै डिमाण्ड नम्बर 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, और 16 पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मै सबसे पहले डिमांड नम्बर 1 के बारे में अपने विचार प्रकट करूगां जो विधान सभा सैक्रेटरीएट के लिए हैं। यह डिमांड 7,26,500 रूपए की है। यह पैसा एम्पलाईज को डी.ए. देने के लिए और हमारे एक माननीय सदस्य अमेरीका मे इलाज करवा कर आए थें उनके लिए खच्र किया गया है। मै समझता हूं कि यह मांग जायज हैं ओर यह मंजूर की जाए, लेकिन इस डिमांड के संबंध मे मै सरकार को भी और स्पीकर साहब, आपको भी कुद सुझाव देना चाहूगा। मैरा पहला सुझाव तो यह है कि हमारे विधान सभा सैक्रेटरीएट में एकोमोडै ान की बडी़ भारी कमी है। स्पीकर साहब, आप यह भी जानते है कि इस बारे में आपके साथ मेरी कई बार बात हो चुकी है कि आप यह भी जानते हैं कि इस बारे मे बापके साथ मेरी कई बार बात हो चुकी है। इस हाउस के आनरेबल मैम्बर्ज की जो इम्पोर्टैंट कमेटीज बनी हुई है उनके चेयरमेनो के लिए अभी तक विधान सभी सैक्रेटरिएट की तरफ से न कोई कमरे का प्रबंध किया गया है न टैलीफोन का प्रबंध किया है और नह ही स्टाफ का प्रबंध किया गया है। स्पीकर साहब, मेरी यह नि चत राय हैं कि वेरियस कमेटीज के चेरयमैनों के लिए अलग से स्टाफ टैलीफोन और कमरे का होना बहुत जरूरी हैं

ताकि वे स्टेट के इंट्रेस्ट मे कमेटीज का ज्यादा जिम्मेदारी के साथ और अच्छे तरीके से काम कर सके। इसके अलावा स्पीकर साहब, आपके नाटिस मे यह भी आया होगा कि हरियाणा एम.एल.एज. होस्टल की बहुत बुरी हालत हैं। आप वहां पर जाकर के पर्दे और दरियां देखें। उनको देखने के बाद मेरे ख्याल में आप यह महसूस करेगे कि वहा पर जो एम.एल.एज. साहेबान रहते हैं, उनका स्टेट मे कोई सटेट्स नही हैं। (विध्न) मुझे तो यह बात नही जंचती कि स्टेटस रह जाएगा। इसके अलावा मै यह भी कहना चाहता हूं कि सर्दियों के दिनो में एम.एल.एज. होस्टल में आनरेबल मैम्बर ठिठुरते रहते हैं, इनके लिए वहां पर हीटर वगैरह को कोई प्रबन्ध नही किया जाता है जब्कि मिनिस्टर्ज की कोठियों पर एयर कंडी ानर, हीटर्ज वगैरह सब तरह की सुविधाए है। मैने इस बारे में आपको लिख करके भी दिा था।

श्री अध्यक्षः जी आपने लिख करके दिया था, मै आपके उन सुझावों के बारे में गौर कर रहा हूं। मैने एस्टीमैटस बना कर सरकार के पास भेज रखे हैं। ज्यों ही उन एस्टीमैटस की सैक ान आ जाएगी, आपके सुझावो पर अमल किया जाएगा।

श्री सागर राम गुप्ताः स्पीकर साहब, आप हम एम.एल. एज. के बारे में इतनी बात तो अव य ध्यान मे रखे कि एम.एल. एज. के लिए वहा पर कम से कम सर्दियों मे हीटर्ज जरूर लगवा दिया करे। मैंने खुद एम.एल.एज. होस्टल मे सर्दी महसूस की है ओर मै अपने घर से यहां पर हीटर लेकर आया करता था।

सर्दियों के दिनो मे होस्टल के अन्दर कमरों मे बहुत सर्दी लगती है। इसके अलावा स्पीकर साहब, मै एक ओर अर्ज करना चाहता हूं कि सै ान के दिनो मे एम.एल.एज. होस्टल मे लोगों की बढी भारी भीड़ हो जाती हैं। आप खुद किसी समय रात को लगभग 11.00 बजे विजिट करके देखें। यदि कमरो मे आप चलना भी चाहेगें तो आपको कदम रखने के लिए जगह नही मिलेगी, इनती भारी भीड़ हो जाती हैं। सै ान के दिनो मे जनता अपने कामों के लिए अपने हल्के के एम.एल.एज. के पास आती है इसलिए ज्यादा भीड़ होती है। इस बारे में मै सरकार को एक सुझाव देना चाहूगां कि एम.एल.एज. साहेबान के पास आने वाले जो लोग है उनके लिए एम.एल.एज. होस्टल के पास कोई सराय या धर्म ाला या कोई दूसरी बिल्डिंग बना दी जाए लोग वहा पार ठहर सके और एम.एल.एज. साहेबान को आराम करने का मौका मिल सके। स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नम्बर 6 के बारे में कुछ बाते कहना चाहूंगा। यह डिमांड इक्नोमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल आग्रेनाइजे ान देने के लिए और कुछ वैकेनट पोस्टो को फिल करने की लिए खर्च किया गया है। यह भी जायज मांग इसको भी मंजूर किया जाए। स्पीकर साहब, इस डिमांड के बारे मे मै एक सुझाव देना चाहता हूं। यह आगेनाइजै ान हरियाणा मे बकिंग क्लास के लिये कौास्ट आफ लिविंग इनडैस निकालती हैं। और यह इनडैक्स फैक्टरियों मे मजदूरो को महगांई भत्ता देने के लिये काम में आता है। यह अर्गेनाइजे ान इनडैक्स निकालती है उसके बारे मे कई मजदूरों, कई यूनियनों और ठीक ढंग से प्रद ित नही करती

है। स्पीकर साहब, इस बारे मे मै सरकार से प्रार्थना करूगां कि इस आर्गेनाइजे ान का इस वक्त जो इन्डैक्स निकालने का तरीका है। उसमे मुनासिब तबदीली करने के बारे में विचार किया जाए ताकि गरीब मजदूरों को मंहगाई भत्ता ठीक ढंग से मिल सके। इसके अलावा स्पीकर साहब, अब मै डिमांड नम्बर 7 के बारे मे अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। इस डिमांड के जरिए जो पैसा सरकार मंजूर करवा रही है वह पैसा फरीदाबाद कम्पलैक ा मे कुछ जमीन एक्वायर की गई थी, उसके संबंध मे खर्च हुआ हैं। यह जायज मांग हैं इसलिए इसको जयरूर मंजूर किया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, फरीदाबाद में इण्डस्ट्रीज का बड़ा सैंटर है। बहुत से इण्डस्ट्रियल को हरियाणा सरकार कीर तरफ से फरीदाबाद कम्पलैक्स में मजदूरों को आज हाउसिंग की बड़ी भारी प्रोब्लम हैं। जिन इण्डस्ट्रीयलियस्ट को मजदूरों के लिए क्वाटर्ज बनाने के लिए जमीन दी गई थी, उन्होने अभी तक मजदूरों की रिहाय ा का कोई इन्तजाम नही किया है। मैं यह बात गलत नही कह रहा हूं चाहे सरकार इस बात की इन्कवायरी करवाकर देख लें। वहां पर अभी तक मजदूरो के लिए किसी भी इण्डस्ट्रीयलियस्ट ने क्वाटर्ज नही बनवाए है। यह अच्छी बात है कि सरकार ने मजदूरों के क्वाटर्जार बनाने केलिए जमीन एक्वायर करके दी है, लेकिन देखने की बात तो यह है कि आया वह जमीन जिस उदे य के लिए दी थी, क्या वह उस उदे य के लिए इस्तेमाल हुई है। इसलिए स्पीकर साहब, मै सरकार से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि उस बारे में जल्दी हो कोई कार्यवाही करे और

जितनी जमीन मजदूरो के लिए क्वाटर्ज बनाने के लिए दी गई थी उसमे उनके लिए क्वाटर्ज बनवाए जाए ताकि मजदूरो की हाउसिंग प्रोब्लम हल हो सके। इसके अलावा स्पीकर साहब, अब मै डिमांड नम्बर 9 के बारे मे अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। यह डिमांड ि ाक्षा के बारे मे है। यह भी जायज मांग है। इसे भी मंजूरी किया जाना चाहिए लेकिन ऐजूके ान के बारे मे मै एक बात कहना चाहता हूं कि प्राईवैट कालेजिज को सरकार की तरफ से जो 95 परसैन्ट ग्रांट दी जाती है। वह अच्छी बात है उनकी मदद होनी चाहिए। स्पीकर साहब, आज सुबह कवै चन आवर मे दोरप सदन मे जिक्र आया था कि हमारे यहां जिट्रसी की परसैंटेज कम है। यदि लिट्रेसी को बढावा देना हैं तो उसके साथ साथ एजूके ानल इंसटीच्यू ाज को भी बढावा बहुत जरूरी हैं। कई बार यह ि ाकायत सूनने में आई है और एतराज सामने आए है कि बहुत से एजूके ानल इंस्टीच्यू ान सरकार से ग्राट तो ले लेते हैं लेकिन वे आगे अपने स्टु को पैसा डिस्बर्स नही करते और मिसमैनेजमैंट भी काफी किया जाता है। इस बारे मे मै सरकार से कहना चाहूंगा कि जिस एजूके ानल इंस्टीच्यू ान को 95 परसैन्ट ग्रांट दी जाती है उस इंस्टीच्यू ान पर सरकार कंट्रोल भी करे ताकि उसमे मिसमैनेजमैंट न हो और उसका ठीक ढंग से काम चल सके। कई एजूके ानल इंस्टीच्यू ान बोगस बिल बना कर सरकार से ग्रांट ले लेते है और पैसा इंस्टीच्यू ान में खर्च नही किया जाता हैं। मै सरकार से इस बारे में पूरा कंट्रोल करे और इसकी चैकिंग के लिए अपने आफिसर्ज को लगाए ताकि सरकार

की तरफ से जितनी एजूके ान इंस्टीच्यू ान को ग्रांट दी जाती हैं, उसका सही इस्तेमाल हो सके। स्पीकर साहब, इसके बाद मैं डिमांड नम्बर 10 के बारे में है, जायज मांग करना चाहूंगा। यह डिमाण्ड चिकित्सा और पब्लिक हैल्थ के बारे में है, जायज मांग हैं इसे मंजूर किया जाना चाहिए। लेकिन स्पीकर साहब, इस बारे में मै एक अर्ज करना चाहता हूं। भिवानी में हर साल पीने के पानी की बहुत कमी रहती है। सरकार नें भिवानी में 1 करोड़ 40 लाख रूपए की वाटर सप्लाई स्कीम बनाई थी। सरकार ने यह कहा कि हमने एल.आई.सी. से इस स्कीम के लिए लोन मांगा हैं और उन्होने लोन मंजूर कर दिया हैं। लेकिन एल.आई.सी. वालो ने इनको यह कहा हैं कि कुछ म्यूनिसिपल कमेटीज ने कुछ स्कीमें के लिए हमारे से लोन लिया हुआ हैं, उसकी एनुअल इंस्टालमैंट हमे दे दी जाएगी। वह इन्सटालमैंट 10 लाख रूपये बनती है। यदि हमारी सरकार यह 10 लाख रूपए एल.आई.सी. को दे दे तो एल. आई.सी. से 3 करोड़ रूपया म्यूनिसिपल कमेटी को सरकार के माध्यम से मिल सकता है। अब यह कहा जा रहा हैं कि सरकार 10 लाख रूपये देने के लिए तैयार नही है। यह बात समझ मे नही आ रही हैं कि वित्त विभाग में बैठे आफिसर्ज क्या कर रहे हैं। जब तक सरकार एल.आई.सी. को 10 लाख रूपया नही दे देती तब तक एल.आई.सी. से तीन करोड़ रूपया मिल नही सकता। अब इसको मतलब यही लगाया जा सकता हैं कि सरकार जनहित के कामें की तरफ कम ध्यान दे रही है और दूसरी बातों की तरफ ज्यादा परवाह की जाती हैं। इस संबंध मैं मेरी मुख्य मंत्री जी, से

दरखास्त हैं कि वह इस मामले को पर्सनली टेकअप करें क्योंकि यह जनहित का मामला हैं। यदि 10 लाख रूपया एल.आई.सी. को दे कर तीन करोड़ रूपया उससे मिल जाता हैं तो यह कोई खराब सौदा नही हैं।

श्री अध्यक्षः आप का समय हो गया हैं।

श्री सागर राम गुप्ताः मै अभी खत्म करता हूं। Page 40, Item (4): Grant-in-aid by Central Government fo environmental improvment of Urban Slums – Rs. 33,00,000 यह बड़ी अक्छी बात हैं। इसके लिए पैसा दिया जाना चाहिए। इस संबंध में मेरी अर्ज हैं कि सरकार ने या यूं कहिए कि हाउसिंग बोर्ड ने वहां पर सलम क्रिएट किया हुआ हैं। इसके लिए केवल ग्रांट मांगने से काम नही चलेगा बल्कि साथ ही साथ सुधार भी करना पड़ेगा। हाउसिंग बोर्ड ने भिवानी में एक कालोनी बनायी। वहां पर जब भी बारि ा होती हैं तो सारा पानी वहीं इक्ट्ठा हो जाता हें। उस कालोनी के लिए न तो कोई सड़क बनायी गयी और न ही नाईट आदि को कोई इंतजाम किया गया। लाईट आदि के लिए जब म्यूनिसिप्ल कमेटी के पास जाते हैं तो वे कहते है कि यह काम हमारा नही हैं, हाउसिंग बोर्ड का हैं। हाउसिंग बोर्ड के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि हमारा काम तो मकान बनाने का था, वह हमने बना दिए। अब हमारा इन मकानों से कोई ताल्लूक नही है। इस संबंध में मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि इस और ध्यान देकर इस कालोनी को डिवैल्प करें। इसी प्रकार से at Page 43, Item No.

(1): Introduction of 10+2 Vocational Education scheme in Haryana Rs. 50,35,071 यह बहुत अच्छी बात हैं कि हमारे भिवानी में संजय इंजीनियरंग टैक्नीकल इंस्टीच्यूट नाम से कोई इंस्टीच्यू ान बनाया गया है। वहां पर न तो कोई बिल्डिंग बनाई गयी है और न ही कोई इक्विपमैंट आदि खरीदे गए हैं। जिन बच्चो ने पैसे दिए थें, वे आरे मारे मारे फिर रहे है। भाायद यह ि ाकायत मुख्य मंत्री जी के नोटिस में भी आयी होगी। इस संबंध मे मैं सुझाव क्या दूं। इस तरफ तो सरकार को ही देखना चाहिए कि जो आदमी दूसरों के साथ धोखा करता हैं, उससे कैसे निपटा जाऐ। इस संबंध में मै इतना ही कह सकता हूँ कि अगर कोई धोखा करता है तो उसका कोई न कोई इन्तजाम अव य होना चाहिए। at page 55 there is Item No.(3) Grant of 10 Percent outright central subsidy in the slected backward areas in Haryana. इसकी पेमेंट 1 करोड़ 24 लाख के आसपास हैं। यह मंजूरी होनी चाहिए। इसके बारे में मैने कल भी जिक्र किया था। इस संबंध में मेंरी गुजारि ा हैं कि जिस प्रकार के एरिड और नॉन–एरिड एरिया का ध्यान रख कर एग्रीकल्चर के लिए बिजली दी जाती है उसी प्रकार से जो बैकवर्ड एरियाज हैं, उनमें भी बिजली ज्यादा दी जानी चाहिए। इस संबंध में मेंरी प्रार्थना हैं कि जिन बैकवर्ड एरियाज में इण्डस्ट्रीज लगी हुठ हैं, उनको ज्यादा बिजली दी जायें।

श्री अध्यक्षः आप का समय हो गया हैं।

श्री सागर राम गुप्ताः ठीक हैं जी।

श्री अध्यक्षः अब वित्त मंत्री जवाब देंगें।

श्रीमती चन्द्रावतीः हमारी पार्टी की तरफ से एक ही मैम्बर बोला हैं, आप हमे और समय दीजिए।

श्री अध्यक्षः कल बजट पर आपके मैंम्बर बोल लेंगें।

श्रीमती चन्द्रावतीः हमारा तो सिर्फ एक ही मैंम्बर अभी तक बोला हैं।

श्री अध्यक्षः इधर से भी सिर्फ एक ही मैंम्बर बोला है। आप कृप्या बैंठे।

अब वित्त मंत्री जवाब देंगें

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): अध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने कुल 137 करोड़ 68 लाख रूपये की डिमांडज पे ा की गई हैं। इस में से 107 करोड़ रूपये की ऐसी रा ि ा है जो सैन्ट्रल गवर्नमैंट से या दूसरे साधनों से असिस्टेंस के तौर पर या ग्रान्ट के तौर पर मिली हैं। अब इस चालू साल के दौरान इनकी केवल कन्ट्रा–एन्ट्रीज ही होनी हैं, सरकार ने कोई खर्च नही करना। इस रा ि ा की ब्रीफ डिटेल्ज मैं हाउस को बता देना चाहता हूं। इस दौरान हरियाणा सरकार को सैंन्ट्रल सरकार से इलैक ान के लिए 2 करोड़ 42 लाख 65 हजार रूपये, सैन्ट्रल सबसिडी, बैकवर्ड एरियाज के लिए 1 करोड़ 24 लाख 13 हजार

रूपये, ब्लाक लैवल म ाीनरी (आर.डी.) प्रोग्राम को बढाने के लिए 15 लाख रूपयें, रूरल एम्पलायमैंट गारन्टी स्कीम जो नई चली हैं के लिए 84 लाख रूपये मिले हैं। यह रा ि ा तकरीबन 22 करोड़ के आसपास बैठती हैं। इस रा ि ा के खर्चे का अनुमान पहले से नही लगाया जा सका था। ये सारी की सारी कन्ट्रा–एन्ट्रीज है जो पब्लिक डैट या वैज एण्ड मीन्ज फंड मे जमा होती है। 107 करोड़ रूपये की रा ि ा में से तकरीबन 84 करोड़ रूपये की रा ि ा ऐसी है जो चालू साल में हर महीने थोडी़ बहुत एडवांस ड्रा करते रहे। यह पैसा उसी साल मे जमा करना पड़ता हैं। लेकिन ऐसी अमांउट पर स्टेट को थोडा़ बहुत इन्ट्रैस्ट अव य देना पड़ता है। 137 करोड़ रूपये से ज्यादातर अमाउन्ट यानी 84 करेाड़ रूपया निकाल लिया जाये जो 30 करोड़ रूपया बचता है जो चालू साल के दौरान सरकार ने खर्च करना है। यह खर्चा पहले से नही दिखाया गया था या पहले से इसकी सैक ान नही थी। इन डिमांडज पर बोलते हुए आर्य साहब ने कुछ आपत्ति उठाई थी जो इन्होने आपत्ति उठाई थी, उसमें वजन हैं। इन्होने बड़ी अच्छी बात कही थी कि नौन प्लान के लिए यानी नौन डिवैल्पमैंट एक्टीवीटीज के लिए ज्यादा खर्चा हैं और डिवैल्पमैंट एक्टीविटीज के लिए कम खर्च किया हैं। देखने के हिसाब से तो यह रा ि ा ठीक लगती है कि नौन प्लान की तरफ ज्यादा पैसा है। यह बात ठीक है कि यह खर्चा नौन प्लान चा नौन डिवैल्पमैंट एक्टीविटीज के लिए दिखाया हुआ है। मै सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वैसे यह अमांउट डिवैल्पमैंटल एक्टीविटिज के लिए ही हैं। जैसे ि ाक्षा

को ले लिजिए। ि ाक्षा के बारे में नही कहा जा सकता कि यह डिवैल्पमैंट एक्टीविटीज नही हैं। इसी प्रकार से जन स्वास्थय, उद्योग, सामुदायिक विकास, परिवहन और फ्लड कन्ट्रोल आदि की कुछ अमाउंट ऐसी ही है जो नौन डिवैल्पमैंट एक्टीविटीज की तरफ दिखायी हुई हैं। यह तो सिर्फ खर्चा दिखाने के लिए नौन प्लान में डाल दिया गया है वास्तव मे यह योजनागज खर्चे से मिलता जुलता है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत साधारण सी बात है कि जब कोई पार्टिकुलर स्कीम चालू की जाती हैं तो काम करना भाुरू कर दें, उसकी मेन्टनैंस होनी भाुरू हो जाए और सैन्ट्रल गवर्नमैंट मे असिस्टेस वगैरह मिलनी भाुरू हो जाए तो उसको नौन प्लान साइड मे द ार्िया जाता हैं। यह केवल कागजी हेर फेर हैं। उसकी एक्टीविटी उसकी डिवैल्पमैंट बराबर होती रहती है। आफटरआल जब एक प्रोजैक्ट बन जाता है तो उसका फायदा उठाया जाए। जब फायदा उठाना भाुरू हो जाता है तो उसको नौन प्लान मे भाामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा मेरे कुछ साथियों ने अपने अपने इलाके के बारे मे बोल कर अपनी भडो़स निकाली हैं उनमे बहुत सी बाते ऐसी है जों उनके अपने अपने क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। अध्यक्ष महोदय मे इन सब बातों का जवाब नही दे सकूंगा क्योकि रिसपैक्टिव मिनिस्टर्ज ने अपने अपने मतलब की बाते नोट कर रखी है। जो खास बात हैं उसका जवाब डिपार्टमैंट से लेकर ही दिया जा सकता है, इस वक्त मै मोटी मोटी बातों का ही जवाब दे सकूगा। कुछ मैम्बर साहिबान ने गवर्नर के रैफरीजरेटर को रिप्लेस करने पर एतराज किया हे। यह बडी़

साधारण सी बात है। जो पुरानी चीज हो जाती हैं उसको बदलना ही हैं। अगर न बदला जाए तो भी एतराज होता हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक मैम्बर साहब ने कहा कि एम.एल.ए. अमेरिका इलाज करवाने के लिए गये थे उनका खर्चा सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस में कैसे दिखा दिया गया। हमारे हाउस के एक एम.एल.ए. श्री फतेह चन्द विज अपोजि ान साईड के हैं, इनका खर्चा दिखाया गया हैं। इस पर अपोजी ान के भाईयों को आपति हो गई कि मुख्य मंत्री जी, भी बाहर गए थें। उनका खच्र नही दिखाया गया। यह भी दिखाया हुआ है कि आप जरा पढने की कृपा करें। जनरल बात चौधरी सम्पत सिंह जी ने कही कि स्टेट मे डिस्आर्डर हो गया हैं। (व्यवधान) डिस्आर्डर की तो कोई बात हमे नजर नही आती। ये आपोजी ान के भाई है। इसलिए इनको कहना पड़ता है वीग ए फ्यू इन्स्टासिंज जो सिर्फ रिटैलिए ान की वजह से हुए हैं, अदवाईज हरियाणा में ला एंड आर्डर की स्थिती हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेटों से बेहतर हैं। मेरे भाई श्री सम्पत सिंह जी ने कुछ पर्सनल बाते कहीं, उन्होने मर्डर्ज बहुत बतांए। अध्यक्ष महोदय, कुछ हल्के ऐसे होते है जिन मे ऐसी बातें होती है। जिस क्षेत्र मे आप आते हैं उसका आपको पता ही हैं। आप दिल्ली की तरफ जांए, कितना फर्क है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां क्राईम की स्थिती घटती बढती रहती है लेकिन जनरली सारी स्टेअ मे लां एण्ड आर्डर की स्थिती बहुत अच्छी है बल्कि मै तो यह कहूंगा कि थ्रु आउट दि कंट्री ला एंड आर्डर की स्थिती बहुत बेहतर हैं।

प्रो. सम्पत सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, मैने जो जिक्र किया था, भाायद इन्होने मेरी बात नोट नही की है। मैने कहा था कि सैन्टर के स्टेट होम मिनिस्टर मे पार्लियामैंट मे जवाब दिया था कि डोवरी डैथस की संख्या हरियाणा मे सबसे ज्यादा है। हरियाणा मे सबसे ज्यादा डैथस क्यों हैं? हरियाणा में इसका कारण क्या हैं?

चौधरी कटार सिंह छोकरः अध्यक्ष महोदय, मैने इनकी यह बात नोट की हुई हैं। स्पीकर साहब, यह भी कहा गया कि हरिजन रैली मे वेस्टेज हुई है। यह तो पार्टी का अफेयर हैं, इस में सरकारी खर्चे की बात नही आती। उन्होने अपनी मर्जी से किया, अपना खर्च किया, इस मे सरकारी खर्चे की बात नही है। एक सेल्ज टैक्स की बात कही गई। आर्य साहब ने कहा था कि सैल्ज टैक्स मे इतना इवेजन नही हैं, डिपार्टमैंट अपनी मर्जी से रेड करता रहता है। जहां सैल्ज टैक्स मे इतना रिकवर करने की जरूरत है, वहां करते हैं, लेकिन लार्ज स्केल पर सेल्ज टैक्स का इवेजन नही हे। एक बात इन्होने यह कही कि पोलिटिकली सारा पैसा वाटर सप्लाई पर खच्र होता हे। ऐसी कोई बात नही हैं, इसका जवाब हाउस मे पहले ही दे दिया गया हैं। अगर कोई सदस्य कोई खास बात ध्यान मे लाएगां कि उसके क्षेत्र मे ऐसा हुआ है तो गौर किया जा सकता हे। आप लिख कर दे, हम इन्कवायरी करायगें। इसमे यह सवाल नही है कि आर्य साहब का हल्का है। इनका हल्का नही हैं, यह तो लोगों को हल्का है

क्योकि सुविधाएं आर्य साहब को या किसी एक एम.एल.ए. को नही दी जाती बल्कि पब्लिक को दी जाती है इसलिए ऐसी कोई बात नही हैं। इसके अलावा विज साहब ने एक बात कही कि प्राईवेट टीचर्ज की ट्रैजरी के थ्रू तन्खाह दी जाए। यह पोलिससी की बात है, इस पर कई बार विचार किया जा चुका है। प्राईवेट टीचर्ज ने कई बार माग की हैं, अभी तक इस कात का निर्णय नही हुआ हैं कि प्राईवेट टीचर्ज की सरकारी मुलाजिमो की तरह हर महीने ट्रैजरी या चैक के द्वारा तनखाह दी जाए। अगर इस तरह दी जाती है तो वे प्राईवेट टीचर्ज कैसे हो सकते हैं। इस प्वायंट पर सरकार का मत दूसरी तरह का हैं चैक के द्वारा उनको तन्खाह नही दी जानी चाहिए ताकि मैनेजमैंट का थोड़ा बहुत कंट्रोल रहे। इसके अलावा एक बात इन्होने यह कही कि इन्फर्मे ान एंड पब्लिसिटी पर ज्यादा खर्च किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो फेयर्ज हैं, इन मे पवेलियन्ज बनाये जाते हैं। कई पवेलियन्ज में हरियाणा ने दूसरी दूसरी बार गोल्ड मैंडल लिए हैं, इसलिए थोड़े बहुत पवेलियन बनाने ही पड़ते हैं। यह मुनासिब चर्चा हैं, इसमें ऐसी कोई बात नही है। एक बात पानीपत मे बाई पास बनाने के बारे में कही गई। यह कहा गया कि नैक्स्ट प्लान मे यह बाईपास बनाने से रिफ्यूज कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, नैक्स्ट प्लान तो अभी बनी ही नही। इसलिए यही कहा जा सकता हैं कि जब नैक्स्ट प्लान बनेगी, तब सोचेगें कि इस प्लान मे कौन कौन सी चीज आनी हैं।

श्री फतेह चन्द विजः आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। यह बाई–पास 1978 में मंजूर हुआ था, चालू प्लान में बनाये जाने का विचार था लेकिन इसमे से इसको काट दिया गया।

श्री अध्यक्षः विज साहब, आपको भी एतराज हैं जिनकी तहसील के एफ.एम. साहब है। जब आपका हाल ऐसा हैं तो वाकियों का क्या होगा?

चौधरी कटार सिंह छोकरः मै नैक्स्ट प्लान की बात कर रहा हूं। नैक्स्ट प्लान अभी बनी ही नही है। चालू प्लान को एक साल और रहता है। जहां तक इस प्लानप का ताल्लूक हैं इस के बारे मे पिछली दफा इन्होने एक सवाल भी किया था। उस वक्त यह तय हुआ था कि चूंकि इस प्लान मे यह बाई पास नही बन पायेगा, इसलिए इस बीच पानीपत भाहर मे फोर लेनिंग कर दी जाए और वह कर दी गई हैं। अगर थोड़ा बहुत डिस्टैंस रहता है,जहां भाहर की भीड़ है, वहां सड़क को दोना तरफ से बढा दिया जाए, इसका आल्टरनेटिव निकाल लिया गया है। अब उम्मीद है कि नैक्स्ट प्लान मे यह बाई पास जरूर आ जाएगा। एक और पर्सनल सी बात इन्होने कह दी कि मै पानीपत बार मे मिनी सैक्रेटरिएट के लिए बायदा करके आया था। ऐसी कोई बात नही है और न ही ऐसा कोई औके ान अराइज हुआ था। यह बात ठीक हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब वहां गए थे। उनके सामने यह बात रखी गई थी। उन्होने यह बात स्पश्ट की थी कि अभी तक तो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर्ज पर मिनी सैक्रेटरिएट बनेने की बात हैं

अभी तक भी रहता है। उसका फाऊडे ान स्टोन इन्होने ले कर दिया हैं। जब सभी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर्ज पर मिनी सैक्रेटरिएट बन जाऐगें उसके बाद सब–डिविजनल हैडक्वाटर्ज पर यह काम भुरू करने की बात सोची जा सकती हैं।

स्पीकर साहब, यह कहा गया कि लैंड कम्पनसे ान देर से दिया जाता है और इससे लोगो को बड़ी परे ाानी होती है। इसमे कोई भाक नही। इस सिस्टम को अब हमने स्ट्रीम लाईन कर दिया है। ये पुराने किसिज है जो हाई कोर्ट मे लोगों ने पहुंचाए हुए थे। वहां पर कम्पनसे ान बढा दिया जाता है। उस पर इंट्रेस्ट भी लगता हैं। कुछ और भी खर्च पड़ता है। यह हमे देना पड़ता है। एक आदमी अगर अपील हुए हैं और उसे विछड्रा न करे तो इसमे स्टेट गवर्नमैंट क्या कर सकती हैं?

विज साहब ने कहा कि आर.टी.ए. के सामने ही अब चालान पे ा किए जाते हैं। इस बात को हम कंसर्न्ड डिपार्टमैंट मे ऐग्जामिन करवा लेगें अगर इसमे कोई ज्यादती हुई तो उसको दूर करने की कोि ा ा करेगे।

एक बात इन्होने कही कि मेरे हलके मे कोई सड़क नही है।(विघ्न) मेरी इनहे बड़ी चिन्ता रहती है। (विघ्न) इन्होने कहा कि मेरे हल्के मे कुछ गांव ऐसे हैं जिनमे सड़क नही है, जो लिंक नही हो रहे हैं।(विघ्न)

मर्डर्ज की सम्पत सिंह जी ने बात की और चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब भी दे दिया हैं। इन्होने यह भी कहा कि हमारे राज मंत्री किसी ऐक्यूजड को मिलने जेल मे गए। स्पीकर साहब, राज्य मंत्री होम की कई जिम्मेदारियां होती हैं। वे पता नही किस ख्याल से गए और किसको मिलने गए। (विघ्न) ये इस बारे कोई फैक्टस प्रोवाइड करे। ये इसके बारे मे जब कोई डिटेल्ज फरनि ा करेगें तो देखा जाएगा। यह बहुत ही वेग सी बात इन्होने कही हैं।

यहां यह भी कहा गया है कि डी.सीज. और एस.पीज. के लेडीज किसी पोलिटीकल पार्टी के कार्यक्रम मे भाग लेती हैं। मेरे नोटिस मे यह बात नही हैं लेकिन कानूनी तौर पर इस पर कोई मनाही भी नही है। हर आदमी पौलिटिक्स मे भाग ले सकता है ब ार्ते वह सरकारी मुलाजिम न हो। वे सरकारी मुलाजिम नही है। ऐसी बहुत सी मिसाले है जिनसे यह पता लगता हैं कि ऐसे अधिकारियों की पत्नियां पोलिटिक्स मे भाग लेती हैं। पंजाब के आई.जी. पुलिस, श्री भिंडर की ही मिसाल आप ले लें। उनकी पत्नी पार्लीयामैंट की मैंम्बर है। ऐसी और भी बहुत सी मिसालें हैं। उनका यह इटिविजुवल राईट है। उसे कर्व नही किया जा सकता। वे पोलिटिक्स मे भाग ले सकती है। उसे कर्व नही किया जा सकता। वे पोलिटिक्स मे भाग ले सकती है।अगर ऐडमिनिस्ट्रे ान में कोई इन्टरफियरैंस की बात इनके नोटिस मे है तो ये उसे हमारे नोटिस में लाए। इन्होने तो प्रैस मे देने के लिए यह बात

कही है। एक भाब्द भी इन्होने नही कहा कि उन्होने किसी मामले मे इन्टरफेयर किया हैं।(विघ्न) स्पीकर साहब, एक बात इन्होने रेप ओर डोरी डैथस के बारे के कही। इन्होने कहा कि इस बारे में गवर्नमैंट आफ इन्डिया के होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामैंट मे कोई ब्यान दिया है। हमारे नोटिस मे ऐसा कोई ब्यान नही है। (विघ्न) सरकार के नोटिस मे भी ऐसा कोई ब्यान नही है। अगर ये कोई औथैन्टिक बात हमारे नोटिस मे लाऐगें तो देख लेगें।

श्री मंगल सैंनः यह बात वहां की प्रोसीवडिंगज मे आई है।

चौधरी कटार सिंह छोकरः प्रोसीडिंग्ज इन्होने रैफर नही की। (विघ्न) अगर ये अब भी कह दे कि इन्होने प्रोसीडिंग्ज पढी है तो उन्हे हम ऐग्जामिन करेंगें।

प्रो. सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मै इनको प्रोसीडिंग्ज दिखा दूंगा। (विघ्न)

चौधरी कटार सिंह छोकरः इन्होने काई सोर्स रैफर नही किया। ऐसे ही कोई कहता रहे तो बात नही बनती। (विघ्न)

एक और बात इन्होने कही कि सी.एम. साहब ने रेड्ज करवाए और उन्होने ही कलप्रिंटस को लैट औफ करवा दिया। (विघ्न) ये बड़े होि ायार आदमी हैं क्योंकि प्रोफेसर है। (विघ्न) एक तरफ तो कहते हैं कि रेड करवाया और दूसरी तरफ कहते हैं कि उन्हे लैट औफ करवा दिया। ये अपने ब्यान को जरा

री–कंसाइल करें।¼fo?u½ मुख्यमंत्री जी ने इस बारे मे काफी जवाब दे दिया है।

प्रो. सम्पत सिंहः मैं कह रहा था कि औफिसर्ज के खिलाफ तो ऐक ान लिया गया। बहुत अच्छी बात हैं, ऐक ान लेना चाहिए। लेकिन जिन लोगो पर छापे मारे गए थे और उनके पास से अन–अकाऊटिड मैटिरियल मिला था उनके खिलाफ क्यों एक ान नही लिया गयां।(विघ्न)

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, एक बात यहां कही गई कि टूरिज्म कार्पोरे ान के चेयरमैन साहब, ने टूरिजम डे मनाया। जब टूरिजम डे मनाया जाता है तो वहां जैन्टस भी जा सकते हैं और लेडीज भी जा सकती है। इनको इस बात की क्या तकलीफ हैं, यह बात समझ मे नही आती। ऐसी कलचरल ऐक्टिविटीज होती रहती है। डा. साहब पता नही कैसे ऐबसैन्ट हुए, इनको तो न्योत दिया जाना चाहिए था। (विघ्न)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, कैबरे डान्स इन्ही को मुबारिक हो क्योकि यह इन्ही की कल्चर में हैं लैकिन अगर यह फैक्ट है तो it is slur on the face of the Government.

चौधरी कटार सिंह छोकरः यह आम बात हैं। इनको ख्वामख्वाह पेर ाानी हो रही हैं। जब कभी ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो डिफरैन्ट कलर्ज मे डिफरैन्ट कल्चरल आईटम्ज पे ा हो सकती है। इन्हे इतनी घृणा नही होनी चाहिए।(विघ्न) यह कैमरे है या

कैबरे है इस बात को तो मुझे पता नही लेकिन अगर कोई औब्जैक ानेबल बात हुई है तो हमारे नोटिस में लाए। उसको देखा जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई बात हो नही सकती।

सागर राम गुप्ता जी ने दो तीन बहुत अच्छी बाते कही। एक तो विधान सभा सचिवालय मे एकामोडे ान की बात हैं और दूसरी बाते एम.एल.एज. होस्टल के बारे मे है। स्पीकर साहब, वे बाते आपके विचारधीन है ओर उन पर आप मुनासिब कार्यवाही करेगे। गुप्ता जी ने एक बात यह भी कही कि ई.एस.ए. आर्गेनाईजे ान जो प्रईस इंडैक्स तैयार करता है।, वह ऐग्जैक्ट नही होता। कोई स्पैकसिफिक बात अगर इन के नोटिस मे हो तो ये कृपया हमे बता दे, उस मै ऐग्जातिन करवा लूंगा। जहा तक मुझे जानकारी है, क्योंकि यह आर्गेनाइजे ान मेरे अन्डर ही है, काफी दोड़ धूप करके बाजार से प्राईसिंज वगैरह इक्ट्ठी की जाती है लेकिन फिर भी कुछ गलती हो सकती हैं जिसे हम ऐग्जामिन करके ठीक करने की कोि ा ा करेंगे।

एक बात यहां यह कही गई कि लेबर कालोनिज के लिए लैंड ता ले ली गई लेकिन इण्डस्ट्रीयलिस्टस ने कोलोनीज नही बनाई। डिपार्टमैंट कंसर्न्ड को कहेगे कि वह इस बात को चैक–अप करे। (विघ्न) Labour Courts के बारे मे आज अखबार में आपने पढा होगा कि हाई कोर्ट ने रिट औफ मैनडमस जारी किया है और कहा है कि प्रिजाईडिंग आफिसर्ज लगाए जाए। (विघ्न)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, हम कैटेग्रीकाल स्टेटमैंट चाहते है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है उसे इम्पलीमैंट करेगें या नही? हाउस मे अ योरेन्ा दी जानी चाहिए कि यह फेसला लागू कर दिया जायेगा और वकील नही लगाये जायेंगे।

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, हमने पहले वकील लगा दिये थे। लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये कायदे कानून के मुताबिक नही लगाये हैं। अब जो भी फैसला हुआ हैं, उसके अनुसार कार्यवाही करेगें। स्पीकर साहब, कालेजिज की ग्रांट की भी बात कही गई। गवर्नमैंट की तरफ से तो ग्रान्ट दी जाती हैं लेकिन वहां की मैनेजमैंट ठीक नही है। उस बारे मे हम देख लेगें।

श्री सागर राम गुप्ता जी ने भिवानी मे वाटर सप्लाई स्कीम के विशय मे जिक्र किया कि एल.आई.सी. से पैसा आना था वह नही लिया जा रहा है। ठीक है भिवानी म्यूनिस्पिल कमेटी ने तो पैसा जमा करा दिया होगा लेकिन दूसरी म्यूनिस्पिल कमेटीज से लगातार पैसा नही आ रहा है। वे सभी भाहर पूरा पैसा जमा करा दे तो हमें एल.आई.सी. से तीन करोड़ रूपया मिल सकता हैं। कई म्यूनिस्पिल कमेटीज बहुत डिले कर देती है। उन्हे पैसा वापिस करना होता है। लेकिन समय पर नही देती। जो अदायगी कमेटी ने करनी है वह करे। सरकार कब से उनकी इन्तजार कर रही है लेकिन वह पैसा ही नही दे रही है फिर भी जो कुछ भी हो सकता है, इसमें करेगें।

भिवानी की हाउसिंग बोर्ड कालोनी के विशय मे कहा गया। संबंधित मंत्री महोद और डिपार्टमैंट के नोटिस मे यह बात आ गई है, वे इस बारे मे देख लेगें कि क्या कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री हीरा नन्द आर्यः आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, फैमिन रिलीफ के लिए केन्द्रीय सरकार की और से 10.25 करोड़ रूपया दिया गया हैं। यह नैचुरल कलैमिटी के कारण हुए नुकसान के लिए दिया हैं। 1982–83 मे जो बाढ़ आई और औले पड़े उसके लिए तो केन्द्रीय सरकार सहायता दे सकती है। लेकिन मौसम खराब होना भी नेचुरल कलेमिटी मे है, इसके लिए सरकार ने केन्द्रीय सरकार का केस क्यो नही मूव किया जिससे अधिक सहायता मिल सके।

चौधरी कटार सिंह छोकरः अध्यक्ष महोदय, मै इसका जवाब देने की जरूरत नही समझता क्योकि इस पर काफी डिस्क ान हो चुकी है और मुख्य मंत्री जी, तथा इरीगे ान मिनिस्टर साहब ने जवाब भी दे दिया है। कोई नई बात नही है।

एक बात भिवानी मै अन–अयोराइज्ड इनसटीच्यू ान चलाने के बारे मे आई कि उसमे लड़को का काफी परे ाान किया जाता है। एग्जाम नही देने दिया गया। यह मामला जिस डिपार्टमैंट से भी सम्बन्धित है उससे जांच पड़ताल करके इन्कवायरी करेंगे।

श्री हीरा नन्द आर्य: पांच लाख रूपया मुख्य मंत्री जी, भी इस इन्स्टीच्यू ान को देकर आये है।

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, इसमे कोई वि ोश बात नही है। इसलिए अब इन डिमाण्डज को पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष: अगर हाउस की सैंस हो तो सभी डिमांडज को इक्ट्ठा पुट कर दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7,26,500 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **1-Vidhan Sabha.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 83,68,450 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **2-General Administraation.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,16,07,586 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **3-Home.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 17,45,26,920 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **4-Revenue.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 29,91,175 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **5-Excise and Taxation.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,62,98,490 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **6-Finance.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 9,13,44,275 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **9-Education.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,66,43,315 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **10-Medical and Public Health.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 73,22,034 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for

the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **11-Urban Development.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 60,35,071 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **12-Labour and Employment.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,47,21,484 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **13-Social Welfare and Rahabilitation.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 30,97,640 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **14-Food and Supplies.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,33,80,290 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **16-Industries.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 24,45,550 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **17-Agriculture.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,75,32,150 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **21-Community Development.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,93,21,390 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **23-Transport.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,55,105 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **24-Tourism.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of demand No. **25-Loans and Advances by State Government.**

The Motion was carried.

वर्श 1978–79, 1979–80 और 1980–81 की एक्सैस डिमाण्डज ओवर ग्रांटस एंड एप्रोप्रिए ांज पर चर्चा तथा मतदान।

Mr. Speaker: It the House agress, all the excess demands over grants and Appropriations relating to the years 1978-79, 1979-80 and 1980-81 may be taken up together

Voice: Yes.

श्री अध्यक्षः हाउस का समय बचाने के लिए इन सालों की आर्डर पेपर पर रखी हुई एक्सैस इक्ट्ठी पढी तथा पे ा की गई समझी जाएगी तथा उन पर जनरल डिस्क ान होगी। आनरेबल मैंम्बर्ज किसी भी डिमांड पर डिस्क ान कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे उस साल और डिमांड का नम्बर बता दे जिसको व डिस्कस करना चाहते है। डिस्क ान के बाद हर साल की डिमांडज अलग अगल पुट की जाएगी।

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2,02,194 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **6-Finance.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 10,65,461 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **8-Building and Roads.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 5,39,602 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **11-Urban Development.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2,42,17,202 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **15-Irrigation.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,74,495 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **3-Home.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 35,10,033 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **4-Revenue.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,10,02,917 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **8-Building and Roads.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 96,93,099 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **9-Education.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 5,68,32,429 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **15-Irrigation.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 10,68,250 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **17-Agriculture.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,01,651 be made to regularize the charges already incurred in excess

of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **22-Co-Operation.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 35,064 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **24-Tourism.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 88,25,167 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **3-Home.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,57,42,251 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **8-Building and Roads.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,45,84,230 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **9-Education.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 9,48,069 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **13-Social Welfare and Rehabilitation.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 25,04,75,496 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **15-Irrigation.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 3,31,598 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **18-Animal Husbandry.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 35,80,013 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **20-Forest.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,46,47,035 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **23-Transport.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 97,046 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **24-Tourism.**

13.00 बजें

डा. भीम सिंह दहिया(रोहट): स्पीकर साहब, ये जो डिमान्उज सन् 1978–79 की है इनमे डिमाण्ड नम्बर 11 अर्बन डिवैल्पमैंट के बारे मे है। इसमे अर्बन एस्टेटस की डिवैल्पमैंट के लिए फालतू पैसा मांगा गया हैं। मै इसके बारे मे कुछ कहना चाहता हूं। स्पीकर साहब, सोनीपत मे हुड्डा की कालोनी मे रहने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। करनाल, सोनीपत और अन्य जगहों पर इन कलोनियों को बने हुए कई साल हो गये है। आज इन कलोनियों की सड़को की पटड़ी पर एक भी टुकडी़ नही लगी

है। सड़के सब टूटी हूई है। पता नही उन सडकों के बनाने के बारे मे सोच ही नही रहे हैं। सोनीपत मे सारे सैक्टर के अन्दर केवल पांच छः महिने मे लगाते है और लगाते ही खराब भी हो जाती है या कोई उतार ले जाता हैं। इन कलोनियों की ऐसी दुर्द ाा हो रही है जिसके बारे मे कुद नही कहा जा सकता हैं। जहां पर भी हुड्डा के सैक्टर बने है। वहा किसी भी बात की इकोनोमी नही है। तो फिर इनको पैसा ज्यादा क्यो दिया जाता हैं। ये पैसे को वेस्ट करते हैं ओर किसी प्रकार को कोई भी इन्तजाम ठीक नही है। अच्छा यही है कि इस डिमांड का पास न किया जावें।

डिमांड नम्बर 15 इरीगे ान के विशय मे हैं। यहा हाउस मे इरीगे ान मंत्री महोदय बैठे हैं। मै उन्हे बताना चाहूगां कि मिस–मैनेजमैंट का क्या हाल है। मेरे अपने हल्के मे वैस्ट्रनजुआ ड्रेन है। यह मेरे अपने गांव सिलाना से निकलती है। यह ड्रेन पांच साल से बनी हुई है लेकिन आज तक कम्पन ोसन नही दिया गया है। दूसरी तरफ झझोली मे लोगों को मुआवजा दे दिया गया है लेकिन ड्रेन नही बन रही है। वहां पर हर साल फ्ल्ड का पानी आता है और लाखो रूपये की फसल बरबाद होती हैं। इस साल सारे गांव मे पानी भरा रहा हे। ड्रेन न बनने को कारण यह पानी भरा रहा। मिस मैनेजमैंट का भी आप ख्याल रखें क्योंकि पैसा आप मांग लेते है लेकिन उसका सही इस्तेमाल सही ढंग से नही किया जाता हैं।

स्पीकर साहब, डिमांड नम्बर 9 जो सन् 1980–81 की है। इसमे महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी और कालेजिज के लिए पैसा मांगा गया हे। अब ज्यादा कहने के लिए टाईम नही है। आज वहां पर यह हालत हैं कि लगजरी कोचिंग और एयर कन्डी ांड कार खरीदी जा रही है। एक एयर कंडी ांड मिनी बस, जिसमे वहां के बाइस चांसलर साहब का बिस्तरा लगाया गया है, वहां खरीद ली गई हैं क्योंकि वह बैठकर नही चल सकतें। इसके अलावा कितनी ही कारें बेची जाती हैं कितनी ही कारें खरीदी जाती है। हर साल मार्च के महीने मे कितना ही मैटीरियल खरीदा जाता हे। मेरा ख्याल है कि 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक का सामान हर साल खरीदा जाता हैं। वह कहां जाता है, किसी को पता नही है। हम सरकार से बार बार कहते है कि आप कोई कन्ट्रोल करे। आप इनको पैसा देते हैं, कुछ तो ध्यान रखें कि कहां जाता हैं। दूसरी तरफ कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी मे भी एक के बाद जब दूसर वाइस चांसलर आता है। तो वह अपनी मर्जी से पैसा खर्च करता है। किसी को इस बात की फैनसी है कि बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बन जाये, किसी को घर मे दूसरा सिस्टम चाहियें। इन बातों के लिय तो बहुत पैसा मिल जाता हैं लेकिन जब पढाई लिखाई के लिए या टीचर्ज की तनखवाह बढाने के लिये 10 रूपये मांगते हैं या रिसर्च के लिए 100–50 रूपये मांगते है तो वह नही मिलते क्योंकि गवर्नमैंट को फाईनैंि ायल स्ट्रिजेसी बहुत रहती हैं। वाइस चांसलर्ज के ऐ ाो आराम के लिये चाहे जितना पैसा खर्च होता रहे, उस पर कोई चैक नही है। इसलिये मैं यह

कहुंगा कि इस डिमांड का पैसा भी मन्जूर न किया जाये इसके बाद टूरिज्म की डिमाण्ड नम्बर 24 पर यह कहना चाहता हूं कि अगर आप बुक्स चैक करें तो आपको पता चलेगा कि जो कई सालों से प्रोफिट हो रहा हैं, वह असल मे प्रोफिट नही है। वह सारा मैनुपुलेटिड अकाउन्ट है। गवर्नमैंट की तरफ से इनको हैवी सबसिडी मिलती है और गवर्नमैंट की तरफ से असैट्स भी मिलते हैं। पी.डब्लयू.डी. के नाम से ये असैटस रखे हुए है। इनका कोई हिसाब किताब नही लगाया जाता। आम आदमी के लिए टूरिजम को कोई फायदा नही है। फाइव स्टार होटल बने, या हट्स बने, आप जाकर उनकी हालत देखिये । आम आदमी को इनसे कोइ कायदा नही है। वहां पर मिस–मैनेजमैंट है। जहां पर नये फाइव स्टार होटल बने हैं, वहा पर कागजात मे पैसे का क्या क्या दुरूप्रयोग हो रहा है।, इस बात की अगर जांच की जाये तो कई घोटाले निकलगें। दूसरी तरफ सोनीपत मे आलरेडी एक कम्पलैक्स है, जो चल नही रहा है। यह कमपलैक्स भाहर मे है। दूसरा खोलने की क्या जरूरत थी। दूसरा इन्होने हुड्डा की कलोनी मे खोल दिया है। मेरा ख्याल यह है कि जहा भी दुनिया मे प्रोहीबि ान नही है वहा पर भी किसी परमिसिव सोसाइटी के रैजीडैं ि ायल एरिया मे बार नही है। लेकिन इन्होने 14 सैक्टर सोनीपत मे बार खोल दी है। उसकी कितनी आकुपैसी हैं। एक तरफ तो इनका भाहर का कम्पलैक ा आलरेडी है तो दूसरा कमपलैक्स खोलने की क्या जरूरत थी। वहां पर महीने मे 20–30 हजार रूपया टूरिज्म डिपाटमैंट खर्च भी करता हैं। यह वेस्ट किया

जा रहा हैं। मै इसलिय इस डिमाण्ड का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इसको भी पास न किया जायें।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, हमने तीन वर्शो के लिये एक्सैस डिकान्डज ओवर ग्रान्टस की मन्जूरी करवाने के लिये कहा जा रहा है। इसमे एक बात तो यह है कि यह डिमाण्ड लगभग 5 साल के बाद आयी हैं। यह बात मेरी समझ मे नही आयी है कि इतनी देर बाद क्यो आयी हैं। स्पीकर साहब, मेरे भाई बैठे बैठे कह रहे है कि हमारे वक्त की है। चाहे किसी के वक्त की भी गलती हों, गलती आखिर गलती है। उसको गलती ही कहना चाहिये। डिमांड न.2 जनरल एडमिनिस्ट्रे ान की है। गवर्नर साहब, के घर के कुछ रख रखाव पर खर्च का मामला हैं। इस बारे मे 42,912 रूपया ज्यादा खर्च हो गये हैं। स्पीकर साहब, हमारी धारणा यह है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो, उस सादगी से रहना चाहिय। हमारे गवर्नर साहब कहने को तो गांधीवादी हैं लेकिन खर्च करते हैं अमरीका के राश्ट्रपति के स्टाईल से । हम आपके द्वारा सरकार के ध्यान मे लानी है। होम डिपार्टमैट ने जो रूपया हाईकोर्ट का दिया हैं, मै जानना चाहता हूं कि वहां पर हमारा जो रिप्रेजैअै ान को प्रोपो र्न है वह पेरा है या नही हैं जब कटार सिंह जी जवाब देगें तो बताये खर्च तो हमसे मंजूर करवाने के लिए कहा जा रहा है लेकिन हमे यहा भी बतायाजाये कि लिटीगे ान का क्या कोई हिसाब–किताब हैं या नही, कितने केसिज हमारी ओर से फाईल होते हैं या डिफैन्ड होते

हैं। यह देखा जाये कि कया पैसा उसके हिसाब से जाता है या ज्यादा जाता हे। इसके साथ ही मुझे वर्श 1978–79 की डिमांड नम्बर 11 के बारे मे भी कुछ कहना है। इसमे इन्होने 5,39,602 रूपये के एक्सेस खर्चे के बारे मे कहा है कि उसे कन्ऊान कर दिया जाये क्योंकि यह खर्चा हुड्डा के ऊपर हो गया। स्पीकर साहब, हुड्डा का कानसैप्ट ता एक नावल कासैप्ट हैं। एक बहुत अच्छा कप्सैप् ान है। कि ज्यो–ज्यों भाहर बढ रहे हैं, वहा पर आबादी की हैपजोर्ड ग्रोथ न हो, प्लान के साथ हो लेकिन हुडडा को कलोनाईजर्ज इररेलैवैन्ट कर दिया है। मैने पहले भी इसा सदन के कहा था कि इसका जवाब देने की पोजी ान मे भी न हो कि इन कलोनाईजर्ज के साथ क्या अन्डरहैंड एग्रीमैंट हो रहे है और क्या नही हो रहे है। एक छोटा और बंधी हुई तनखाह वाला आदमी, जो एक साथ पैसा नही दे सकता, कि तो मे दे सकता हैं, उसको इन कलोनाईजर्ज ने इररेलैवैन्ट कर दिया हैं। इनकी एक्टिवीटीज को इन कलोनाईजर्ज ने रोक दिया है। जवाब देने में उनकी भी अपनी लाचारी है। करोड़ो रूपया पंचकुला के लिए इक्ट्ठा हुआ था। उस दिन गवर्नर साहब, के एड्रैस पर धन्यावाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए चौधरी भजन लाल जी ने कहा था कि हमारी मर्जी है। कि हम कही पैसा दे दें। क्यों साहब, कोई सिी का सूद पर पैसा दे उसको तो आप सूदखोर कहते हो लेकिन आप जब सूद पर देते हो ओर जिसका पैसा है, उसको कुछ देते भी नही तो आप क्या हों? यह जनता के गाढे खून पसीने की कमाई का पैसा है। पता नही उन बेचारे मजबूर और जरूरत मन्द

आदमीयों ने कहां कहां से इक्टठा करके दिया होगा, इन्होने उसे 1981 से लेकर 1984 तक अपने पास रखा और उनको सूद तक नही दयिा । यही नही वे बेचारे अपना पैसा लेने के लिये धकके खाते रहे। हाई कोर्ट मे गये क्योकि ये हाई कोर्ट के नीचे तो किसी से बात ही नही करते। स्पीकर साहब, एक बात आपके नोटिस मे भी आई होगी कि 1500 केसिज लेबर कोर्ट मे पैंडिग है। पहले तो सरकार ने वहा पर अपने आदमी लगा दिये। जुडि ियरी ने अपनी जजमैंट मे यह कहा है कि जो दो आदमी प्रिजाइडिंग आफिसर का नही लगाया जा सकता। इन्होने उसको प्लाउट कर दिया। जब मैरिट पर केस लिया गया तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि हम आप की बात को नही मानेगें। डिविजन बैंच ने इन की बात को एक तरफ कर दिया। इनका को यह कहा गया कि 6 अप्रैल तक प्रिजाईडिंग आफिसर्ज की नियूक्ति करें। इन के एडी ानल एडवोकेट जनरल ने बहुत फरियाद की कि हमें एक महीने का टाईम दे दों, आजकल सै ान चल रहा है, इस एक्ट में कुछ सं ाोधन किया जा रहा है और हम सै ान खत्म होते ही इन वैक्रेन्सीज का भर देगें लेकिन जुडि ियरी ने इन की बात नही मानी। उन्होने यह कहा कि आप 6 अप्रैल तक अप्वायंट किजिएं। मै यह कहना चाहता हू कि लोगों ने हुडडा मे पैसा जमा करवाया था। जब देने का समय आया तो वह नही दिया। लोग धक्के खाते फिरते रहे।। अब जा कर उनक को पैसा मिल रहा हैं। अब इन्होने यह कहा है कि हम 200 आदमियो को रोजाना पैसा दे रहे है? सरकार कैसे फनक ान कर रही हैं, इससे क्या अनुमान लगाया

जाये? मेरा कहना है कि यह एक्सैस डिमाण्ड मंजूर नही की जानी चाहिए। स्पीकर साहब, फारेस्ट्री की भी यहां पर बहुत चर्चा हुई हैं। उस के बारे मे बहुत तारीफ के पुल बांधे गये। मेरा इस बारे मे मे एक स्टार्ड क्वै चन था। उसको आपने अन स्टार्ड कर दिया। किस तरह से वहां पर चेयरमैन काम कर रहा है ओर किसी तरह से दूसरे सारे फक ान हो रहे है, यह सारी बाते आपके सामने हैं।

स्पीकर साहब, मै निवेदन करना चाहता हू कि इस सरकार का एक ही ध्येय हैं, वन प्वायंट प्रोग्राम है कि अपने आदमीयों को, जो पोलिटिक्ली अन्एम्पलायड हो गए है, उनको एम्पलाएमैंट दिया जाए ओर अपने हाथ मे रखा जाए। स्पीकर साहब, यह बहुत ही अनहैल्दी ट्रेड है। डैमोक्रेसी मे जीत और हार तो होती रहती हैं। भजन लाल जी कई बार कहते है कि मैने फलां को पटक दिया, उसको गिरा दिया। स्पीकर साहब, यह तो साइन आफ हैल्दी डैमोक्रेसी है कि जनता जिस को चाहे चुन दे और जिस को न चाहे न चुनें। अगर कोई बोगस वोट से चुन कर आता है तो वह एतराज की बात है।(ाोर एव व्यवधान)। सुरजेवाला साहब को मेरी बात हाइद कर रहे है। इस मे बिल्डिंग और रोड्ज के लिए पैसा मांगो गया हें और रूपया मांगने के लिए यह दलील दी गई है कि तारकोल मंहगा हो गया है। कभी कहते है कि लेबर की दिहाडी़ बढ गई हैं। स्पीकर साहब, आठ रूपए से इन्होने नौ रूपये पच्चीस पैसे दिहाडी की है। केवल एक रूपया पच्चीस पैसे बढाया हैं। आज कल एक रूपया पच्चीस पैसे मे तो

दो कप चाय भी नही आतें। इंडिपैडैंट वजीर तो यहां पर कोई है नही। चौधरी भजन लाल जी नही है। अपनी बात किस को कहूं। भजन लाल जी पर तो नाराज बजीरों का बोझ पड़ा हुआ है, वे तो पहले ही बोझ से दबे हुए थें। आज कल तो उनको फुरसत ही नही हे। स्पीकर साहब, आपको पता होगा एज ए लेजिसलेटर आप का तजुर्बा भी होगा कि पहले एक रूए मे से सत्तर पैसे जनहित मे लगते थें। अब तो हालत यह है कि साठ पैसे भी जनहित मे नही लगते। अब तो चालीस परसैंन्ट ही जनहित मे लगता हैं। हमारे फाईनैंस मिनिस्टर भ्रश्टाचार की बात तो यहां नही मानेगें लेकिन जब लोबी मे हमारे साथ बैठते हैं तो कहते हैं कि आज जैसा हाल तो कभी नही हुआ होगा। मै अर्ज करना चाहता हॅ कि क्या कोई सरकार कोई ऐसी एजेन्सी बनाएगी, ऐसी ऐजेन्सी इवौलव करेगी जिस से भ्रश्टाचार की बीमारी से हमारा पीछा छूटे। स्पीकर साहब, मै इस हाउस मे कंफैस करता हूंकि हम पोलिटीक्ल आदमी सब से बड़े गुनहागार है जो क्रप ान फेलाते है। हमको चुनाव लड़ना पडता है और उसमे बहुत अधिक पैसा खच्र किया जाता हैं।

श्री नेकी राम : अगर आप पोलिटीकल आदमी क्रप ान फैलाने मे गुनहागार है तो फिर क्येा आत हो। जाकर मन्दिरो मै बैठ जाऔं।

श्री मंगल सैन : अगर चुनाव मे नम्बर 2 का पैसा इस्तेमाल न हो और चुनाव के कानून बदल जाएं, उसमे सं ाोधन

हो जाए तो कि सरकारी खजाने से चुनाव का खर्चा वहन होगा तो पूजिपतियों के पीछे कोई आदमी नही फिरेगा। फिर जैनुयन आदमी चुनाव लडेगां, ईमानदार आदमी ओर दे ाभक्त आदमी ही चुनाव लडेगा। इससे भ्रश्टाचार पर लगाम लगेगी। स्पीकर साहब, आप भी महसूस करते होगे कि यह बिमारी लाईलाज होती जा रही है। स्पीकर साहब, सब से ज्यादा खर्चा हमारी स्टेट मे कालका, हिसार और रोहतक मे होता है। मेरा तो यही कहना है कि इस का कोई प्रबन्ध होना चाहिए, कोई न कोई लगाम इस पर लानी चाहिए जिससे भ्रश्टाचार कम हो सके। स्पीकर साहब, पी.डब्लयू.डी. या इरीगे ान किसी को ले लीजिए। जहां कंस्ट्रक ान का काम होता है। वहा पर बहुत की अधिक भ्रश्टाचार है। आज सुबह ही एक सवाल के जवाब मे बताया गया कि 25 पोस्टस एडवरटाइज की गई और उन के अगैन्सट 103 आदमी सिलैक्ट किए गए वह भी ज्यादातर थर्ड डिविजनर ही लिए गए है। इस तरह से हरियाणा की काबलियत की तस्वीरे डिपिक्ट की गई है कि लगता है कि यहां पर कोइर्ह लगता हैं कि Somthing fishy is there, Sir स्पीकर साहब, इस बात को कैसे ब्यान किया जाए और कोई बुरा भी माने लेकिन आज सब ने माना है कि जितना भ्रश्टाचार आज के जमाने है उतना कभी भी नही था।

श्री अध्यक्षः डा.साहब, आप वाइंड अप कीजिए। टाईम काफी हो गया है। फिर फाईनैस मिनिस्टर साहब न रिप्लाई भी देना हैं सिर्फ पन्द्रह मिनट ही बाकी रह गए हैं।

श्री मंगल सैनः मैं तो पांच चार मिनट ही और लूंगा। मै आपका हुक्म जरूर मानूंगा।

श्री अध्यक्षः थैंक यू।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्त श्री भीम सिंह दहिया ने ऐजुके ान के बारे मे और रोहतक यूनिवर्सिटी के बारे मे बड़े विस्तार से कहा हें। उस यूनिवर्सिटी का वाईस चांसलर इतना पावरफूल है और उस दिन भी मैने हाउस मे कहा था.. . . . .

परिवहन मंत्री (कर्नल राव राम सिंह): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, यह बात पहले भी कई दफा आ चुकी है और आप रूलिंग दे चुके हैं कि जो सख्स अपने आपको हाउस मे डिफैन्ड नही कर सकता, उसका नाम यहां न लिया जाए। डा. भीम सिंह दहिया बड़े लरनिड हैं और डा. साहब भी बड़े पुराने लेजिस्लेटर हैं, but every time they are talking about Choudhri Hardwari Lal, Vice chanceller, and the fact is that I will not be far wrong in saying the Chaudhri Hardwari lal is not only the father of M.D.U. but he is also the father of Kurukshetra University. जिस सख्स ने हरियाणा मे हायर ऐजुके ान को इतना बढावा दिया हों and to blame a person who is not present here to defend himself is not correct, and the Hon'ble Speaker on a number of times has given ruling on this point.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैने उनका नाम नही लिया हैं।

श्री अध्यक्षः अगर नाम आता तो मै नही आने देता।

श्री मंगल सैनः मै उन्हे फादर की नही बल्कि ग्रैन्ड फादर समझता हूं। मै भाब्दो की कंजूसी नही करना चाहता। मै कह रहा हू कि it is a slur on the good name of this government, Sir Justice Dulat has given some findings after goning into all the details of the case which had been poroduced before him. He had indicated Vice-Chanceler of Rohtak University. उन्होन कहा है कि मिसमैनजमैंट, रोग अप्वायंटमैंटस, मिसएप्रोप्रिए ान आफ फण्डज और गल्त आदमियों को फाईनैि ायसल स्पोर्ट दी गई। अगर मेर लायक दोस्त कर्नल साहब, वास्तब मे चाहते हैं कि यह बात इस सदन मे डिसकस कर ली जाए तो स्पीकर साहब, मेरी सबमि ान यह है कि आप इसके लिए टाईम अलौट कर दे।

Mr. Speaker: Please do not throw challenges.

कर्नल राव राम सिंहः जस्टिस दुल्लत ने जब इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट कर दी उसके बाद the supreme Court has reinstated him. I think, the Supreme Court might have taken into consideration the Report of Justice Dulat Before re-instating him in the Universiry.

श्री मंगल सैनः सुप्रीम कोर्ट ने रिइंस्टेट नही किया था। रिइंस्टेट तो भजन लाल ने किया था (ाोर एव व्यवधान)

कर्नल राव राम सिहः डा. साहब कभी कभी गल्त ब्यानी कर देते है। (ाोर एव व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः जस्टिस दुल्लत की रिपोर्ट डिस्कस नही हुई है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मै चाहता हूं और आपसे रिक्वैस्ट करता हूं जस्टिस दुल्लत की रिपोर्ट हाउस मे डिस्कस हो जाए। आप कहें तो मै रूल 84 का नोटिस दे देता हैं। फिर बहस जा जाएगी और दूध दूध का और पानी का पानी जरूर हो जाएगा This is a criminal waste of money which has been hard earned by the people of this State and Misused by the Vice-Chanceller of Rohtak University, Sir.

Mr. Speaker: Kindly wind up.

Shiri Magal Sein: Alright Sir.

श्री अध्यक्षः कृपया आप बैठ जाइयें। मेरे ख्याल मे आप लोग पता नही आज इतन उतावले क्यो हो रहे हैं। एक्सैस डिमांडज ओवर ग्रान्टस पर आज तक कभी भी पांच दस मिन्ट से ज्यादा टाईम नही लगा। बजट पर जनरल डिस्क ान मे सब को बालेने का मौका दिया जाएगा।।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): स्पीकर साहब, यह तो 78–79ए 79–80 और 80–81 की एक्सैस डिमाण्डज ओवर ग्रान्टस की बात है। स्पीकर साहब, अगर कोई इररेगुलैरीटीज हुई होगी, कोई किसी किस्म की ज्यादती हुई होगी, फिजुलखर्ची हुई होगी या क्रप ान हुई होगी तो उसके लिए इधर वाले लोग जिम्मेवार है क्योकि ये सारा तो इनके टाईम का खर्चा है, हम तो केवल इसे रेगूंलराइज करने की इजाजत मांग रहे है गलत काम इन भाईयो ने किये होगे क्योकि हिसाब किताब नही देखा होगा या कही अमाऊंट को दो दफा जोड़ दिया होगा लेकिन अब हम इसको रेगुलर कर देगें, कोई दिक्कत वाली बात नही हैं। इसके साथ साथ यहा पर कुछ भाईयो ने बोलते हुए तीन विभागों से संबन्धित बाते कही हैं। हुड्डा, टुरिजम, एजुके ान और पी.डब्ल्यू. डी. वगैरह के बारे में(ाोर एव व्यवधान) डाक्टर भीम सिंह दहिया जी ने बोलते हुए हुड्डा कालोनीज मे सड़को पर टयूबज लगाने के बाद फयूज हो गयी हो और कुछ समय तक रिप्लेस न हुई हो। क्योकि यह बहुत बड़ा काम है। इसलिये थोड़ी मोटी देरी या कभी हो सकती हे। इसको हम जल्द दूर करने की कोि ा ा करेगें। हुड्डा के आडिट करवाने के बारे मे मुख्य मंत्री महोदय ने पहले ही जवाब दे दिया हैं इसलिये मै इसको दोहराना नही चाहता । इससक आगें डाक्टर भीम सिंह दहिया जी ने क्रप ान का जिक्र भी किया लेकिन उन्होने किसी भी विभाग से सम्बन्धित किसी भी इन्सटान्स का यहा पर जिक्र नही किया । अगर ये लोग आसानी से बेमतलब के आराम लगायेगे तो हम भी यह कह दैगे कि यह

गलत है। इसलिय इन भाईयों को कोठ ठोस सबूत देकर हर बात को यहां हाउस मे कहना चाहियस। किसी विभाग के किसी उच्च अधिकारी के लैबल पर क्र ान हुई हो या किसी लैबल पर इन्कवायरी करवा सकते है। वैसे ही अगर कोई वेग बात यहां पर कही जाए, जिसका कोई आधार न हो तो आप ही बताएं कि सरकार उसकी इनवकवायी क्या करवाऐगी? ये लेाग तो स्पीकर साहब, केवल इसलिये यहां पर बोलते है कि कल को इनका नाम ओर फोटो अखबार मे आ जाए। केवल इसी मात्र, वेसे इनका यहा पर आराम लगाने का काई आधार नही है।(ाोर एव व्यवधान)

श्रीमती भाारदा रानीः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। डाक्टर मंगल सैन रोज यहां पर भ्रश्टाचार का नाम लेकर बोलते है और साथ यह कहते हैं कि हमने ही भजन लाल जी को चीफ मिनिस्टर बनाया। फिर भ्रश्टाचार के लिये क्यों चिल्लाते है। (ाोर एव हंसीं)

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, इससे आगें यहा हाउस में ऐजूके ान के बारे मे भी बहुत सी बाते कही गयी है कि वहां का हिसाब किताब ठीक नही है। यह कहा गया हैं कि यूनिवर्सिटी ने लग्जरी वैन खरीद ली है और पॅसे का दुरूप्रयोग कर रहे हैं। हिसाब किताब नही रख रहे है , यू ही सरकार का पैसार बरबाद कर रहे हैं। ऐसी कोई बात होगी तो उसकी चैकिंग की जा सकती है। पैसा दुरूप्रयोग हो रहा हैं, ऐसा हमारे नोटिस मे तो कुछ नही हैं। अगर भाई ऐसे ही कह दे कि हिसाब किताब

ठीक नही है तो यह कहना उचित न होगा। खर्चा करने वाले तो यह कहेगें कि ठीक हे और ये कह रहे है कि गलत खर्चा हो रहा है।(ाोर एव व्यवधान)

डा. भीम सिंह दहियाः स्पीकर साहब, मैने इन्हे कई महीने पहले लिखकर भी भेजा था कि ये ये अनियमितताए हो रही है इसलिये सरकार इस का आडिट करवाए। लेकिन कोई कार्यवाही नही की गयी और न ही मुझे आज तक उसका जवाब ही मिला हैं।

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, वह मैने जांच के लिये भेजा हुआ कोई बड़ी बाते नही थी, छोटी मोंटी बाते हैं। अगर जांच मे किसी प्राकर की बात आएगी तो उसे ठीक किया जा सकता है। जांच और भी हो सकती हैै। एक ान भी ले सकते है।।

स्पीकर साहब, टूरिजम की बात भी यहां पर कही गयी जिसका यहा पर कहने का बिलकुल कोई आधार नही है। साथ मै यह भी कह दिया कि वह कार्पोरे ान बिल्कूल प्रोफिट मे नही है। टरिजम कार्पोरे ान भाुरू मे तीन चार साल घाटे मे अव य रहा लेकिन पिछले तीन चार सालें मे यानि 80–81 मे 10 लाख, 81–82 मे 12 लाख और 82–83 मे 14 लाख का प्रोफिट हुआ है। एक इन्होने कहा कि इसको सबसिडी दी जाती हैं, प्रोफिट मे तो सबसिडी देने का सवाल ही पैदा नही होता।

इसके बाद डा. भीम सिंह दहिया जी ने सोनीपत मे टुरिज्म कम्पलैक्स का जिक्र किया कि वहा पर रेजीडैं ि ायल

कालोनी मे इनहोने बार बना रखी हैं। जो तक हमारी नालिज हैं, वहां पर कोई ऐसी बार नही हैं। फिर भी हम चैक कर लेगे। सोनीपत मे पुराने कम्पलैक्स मे जगह ठीक नही थी। इसलिये अब यह नया कम्पलैक्स बनाया है। बस इन अस्फाज के साथ मै यह कहूगां कि इन एक्सैस डिमांडज को पास किया जाएं। धन्यावाद।

आवाजें: स्पीकर साहब, ये सभी डिमांडज इक्टठी पुट कर दी जाए।

Mr. Speaker: If this is the sense of the House, all these excess demands relating to the year, 1978-79, 1979-80 and 1980-81 will be put tovote together.

Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2,02,194 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **6-Finance.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 10,65,461 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **8-Building and Roads.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 5,39,602 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **11-Urban Development.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2,42,17,202 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **15-Irrigation.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,74,495 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **3-Home.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 35,10,033 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **4-Revenue.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,10,02,917 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **8-Building and Roads.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 96,93,099 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **9-Education.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 5,68,32,429 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **15-Irrigation.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 10,68,250 be made to regularize the charges already incurred in excess

of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **17-Agriculture.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,01,651 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **22-Co-Operation.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 35,064 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **24-Tourism.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 88,25,167 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **3-Home.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,57,42,251 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **8-Building and Roads.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,45,84,230 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **9-Education.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 9,48,069 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **13-Social Welfare and Rehabilitation.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 25,04,75,496 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **15-Irrigation.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 3,31,598 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **18-Animal Husbandry.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 35,80,013 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **20-Forest.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,46,47,035 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **23-Transport.**

That a grant of a sum not exceeding Rs. 97,046 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1978-79 in respect of **24-Tourism.**

The Motion was caried.

श्री अध्यक्षः अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिय एडजर्न किया जाता हैं।

13.27 बजें

(तत्प चात् सदन वीरवार दिनांक 22.03.1984 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिये स्थगित हुआ।)